ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

पंचम अंक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका

की प्रस्तुति

राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरु गांधी

चुनाव याचिका संख्या 5, सन् 1971
में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 12 जून , 1975
(हिंदी में अनुवादित)

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

हमें अत्यंत गर्व है कि आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रकरण **"राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी"** जो चुनाव याचिका संख्या 5 सन 1971 के रूप में योजित हुई, में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **दिनांक 12.06.1975** के हिन्दी अनुवाद पर आधारित ई-पुस्तिका के विमोचन के साक्षी बन रहे है, जो **'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय'** का पंचम संस्करण है। इस प्रकरण ने स्थापित किया कि लोकतंत्र मे **'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव'** सर्वोच्च महत्व रखते है तथा कोई भी विधि के शासन के ऊपर नहीं है।

"राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी" प्रकरण भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर है और इसे हम जनमानस के लिए विनम्रतापूर्वक लोकार्पित करते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** द्वारा संकल्पित यह संस्करण विधिक शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधि विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी। यह विमोचन न केवल प्रकाशन को सशक्त बनाने का प्रयास है, अपितु न्यायिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही न्याय तक पहुच को सरल, सुलभ और बहुभाषीय बनाने की दिशा में एक प्रसंशनीय कदम है। हम इस प्रयास में सहभागी विद्वानों, संपादकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का हार्दिक आभार व्यक्त करते है।

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति

श्री अजित कुमार

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति

श्री समीर जैन

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विक्रम डी. चौहान

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विवेक कुमार सिंह

सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Vinay Saran
Senior Advocate

प्रबुद्ध पाठकगण,

'संविधान' भारत की सबसे महत्वपूर्ण व प्रासंगिक पुस्तक है। यह कहना सर्वथा उचित होता कि भारत के एक विकसित व सृहढ राष्ट्र बनने मे संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था ही सर्वोपरि व सर्वप्रथम है। यह सर्वविदित तथ्य है कि न्यायालयो द्वारा हमेशा ही संविधान मे निहित प्रावधानो व अन्तर्निहित भावना का न्यायिक निर्णयो से संरक्षण व प्राख्यापन (Preservation & Promulgation) किया गया है इसी क्रम मे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 1975 मे दिये गये न्यायिक निर्णय **'राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी'** का एक विशेष स्थान है।

यह निर्णय एक ऐतहासिक निर्णय है जिसमे **'विधि के शासन'** के संवैधानिक सिद्धांत की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। इन निर्णय ने इस सिद्धांत को भी प्रस्तुत किया कि **'कानून के समक्ष समानता'** एक संवैधानिक विचार है जिसका पालन अनिवार्य है और पद, स्थिति या रसूख की परवाह किए बिना कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। इस निर्णय ने संविधान की एक और आवश्यक विशेषता को प्रकट किया जो कि **'स्वतंत्र न्यायपालिका'** के महत्व को प्रदर्शित करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कानून/विधि के शासन की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का होना नितांत रूप से आवश्यक है और ऐसी संरचना मे ही भारत के नागरिको के मौलिक अधिकारो व मानवाधिकारो की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है ।

यह निर्णय विधि विशेषज्ञों एवं अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनमानस के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसने सिद्ध किया कि **'कानून सबसे ऊपर है',** चाहे वह देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। इस निर्णय ने **'स्वच्छ चुनाव'** और **'समान अवसर'** के सिद्धांत को मजबूती दी। न्यायमूर्ति सिन्हा का यह निर्णय न्यायिक साहस का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।

आशा करता हूँ कि आप सभी विद्वान पाठकगण हिन्दी में प्रकाशित इस ऐतिहासिक निर्णयों की श्रृंखला को पढ़कर लाभ प्राप्त कर रहे होंगे।

वरिष्ठ संपादक

(विनय सरन)

वरिष्ठ अधिवक्ता

राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी प्रकरण: सारांश

राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी प्रकरण, 1971 के लोकसभा चुनाव से संबंधित एक ऐतिहासिक संवैधानिक विवाद था, जिसमे इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देकर चुनावी भ्रष्टप्रवृति पर नियंत्रण और संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत मजबूत हुआ। इस निर्णय ने भारतीय लोकतंत्र मे न्यायपालिका की सर्वोच्चता और चुनावी निष्पक्षता को सशक्त किया। यह प्रकरण भारतीय संवैधानिक इतिहास में 'न्यायिक स्वतंत्रता' और 'कानून के शासन' के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है।

1. प्रकरण का परिचय

यह मामला 1971 के लोकसभा चुनावों से संबंधित है, जिसमेंश्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत (1,11,810 मतों के अंतर) से जीत हासिल की। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण ने इस चुनाव परिणाम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिकाकर्ता राज नारायण का मुख्य आरोप था कि श्रीमती गांधी ने चुनाव जीतनेके लिए 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practices) का सहारा लिया है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए मुख्य आरोप

राज नारायण ने अपनी याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे:

• सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग: श्रीमती गांधी ने अपनी चुनावी संभावनाओ को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) श्री यशपाल कपूर (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - OSD) की सहायता ली।

• धार्मिक प्रतीकों का उपयोग: चुनाव प्रचार के दौरान 'गाय और बछड़ा' के चुनाव चिन्ह का उपयोग किया गया, जिसे धार्मिक भावनाओ को प्रभावित करने वाला बताया गया (बाद में इसे अदालत ने खारिज कर दिया)।

• सरकारी मशीनरी का लाभ: रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों की मदद से चुनावी रैलियों के लिए मंच, बिजली और लाउडस्पीकर की व्यवस्था करवाई गई।

• मतदाताओ को रिश्वत और प्रलोभन: मतदाताओ को शराब और कंबल बाँटने तथा उन्हें गाड़ियों में लाने-ले जाने के आरोप लगाए गए।

• व्यय सीमा का उल्लंघन: चुनावी खर्च की निर्धारित सीमा से कहीं अधिक धन

खर्च करने का आरोप।

3. न्यायालय के समक्ष मुख्य विधिक विंदु (Key Issues)

न्यायालय को मुख्य रूप से दो बिंदओ पर विचार करना था:

• क्या प्रतिवादी (इंदिरा गांधी) ने यशपाल कपूर की सेवाओ का उपयोग तब किया जब वे अभी भी सरकारी सेवा में थे?

•क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा चुनावी सभाओ के लिए किए गए इंतजाम 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आते हैं?

4. न्यायमूर्ति जे.एम.एल. सिन्हा का विश्लेषण और निष्कर्ष

न्यायमूर्ति सिन्हा ने साक्ष्यों की गहन जांच के बाद निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले:

• यशपाल कपूर का विंदु (विंदु संख्या 1 व 3): न्यायालय ने पाया कि श्री यशपाल कपूर ने आधिकारिक रूप से इस्तीफा देने से पहले ही श्रीमती गांधी के लिए चुनावी कार्य करना शुरू कर दिया था। चूँकि वे एक राजपत्रित अधिकारी थे, इसलिए उनकी सहायता लेना धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण था।

• सरकारी अधिकारियों द्वारा सहायता (विंदु संख्या 2): न्यायालय ने पाया कि रायबरेली के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और PWD अधिकारियों ने श्रीमती गांधी की चुनावी सभाओ के लिए मंच बनाने और अन्य व्यवस्थाएँ करने में सक्रिय भूमिका निभाई। यद्यपि यह 'सुरक्षा' के नाम पर किया गया था, लेकिन विधिक रूप से यह एक उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओ को बढ़ाने में सरकारी मशीनरी का उपयोग माना गया।

• अन्य आरोप: न्यायालय ने रिश्वतखोरी, धार्मिक प्रतीकों के उपयोग और खर्च सीमा के उल्लंघन के आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण निरस्त कर दिया।

5. ऐतिहासिक निर्णय (The Landmark Judgment)

12 जून, 1975 को न्यायमूर्ति सिन्हा ने अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया:

• चुनाव रद्द करना: श्रीमती इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली चुनाव को शून्य (Void) घोषित कर दिया गया।

• अयोग्यता: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8ए के अधीन, श्रीमती गांधी को अगले छह वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने या चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।

• स्थगन आदेश: चूँकि वे प्रधानमंत्री पद पर थीं, इसलिए निर्णय के प्रभाव पर 20 दिनों का 'अल्पकालिक स्थगन' (Stay) दिया गया ताकि वे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकें।

6. महत्व

यह मामला आज भी विधि के विद्यार्थियों और अधिवक्ताओं के लिए अध्ययन का विषय है क्योंकि:

- इसने यह सिद्ध किया कि "विधि सबसे ऊपर है", चाहे वह देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो।
- इसने चुनाव याचिकाओ में 'स्वच्छ चुनाव' और 'समान अवसर' (Level Playing Field) के सिद्धांत को मजबूती दी।
- न्यायमूर्ति सिन्हा का यह निर्णय न्यायिक निष्पक्षता का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।

अस्वीकरण

ई- पुस्तिका मे प्रकाशित निर्णय को ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित निर्णय की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/ सुवास प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा ।

मूल निर्णय स्त्रोत :

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मूल पत्रावली
(विधि संग्रहालय, प्रयागराज में संरक्षित)

चुनाव याचिका संख्या-5 वर्ष 1971
संबद्ध
रिट याचिका संख्या-3761 वर्ष 1975

माननीय न्यायमूर्ति जे.एम.एल. सिन्हा

वर्ष 1971 में लोकसभा के लिए हुए चुनाव में श्री राज नारायण (जिन्हें इसके बाद याचिकाकर्ता संदर्भित किया जाएगा) और श्रीमती इंदिरा गांधी (जिन्हें इसके बाद प्रतिवादी संख्या-1 संदर्भित किया जाएगा), 22 रायबरेली संसदीय क्षेत्र से मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे। मैदान में अन्य दो उम्मीदवार रामेश्वर दत्त मंडोव और स्वामी अद्वैतानंद थे। प्रतिवादी संख्या-1 को 1,83,309 मत प्राप्त हुए। याचिकाकर्ता को 71,499 मत मिले। रामेश्वर दत्त मंडोव और स्वामी अद्वैतानंद को क्रमशः 4,839 और 16,627 मत मिले। प्रतिवादी संख्या-1 को तदनुसार निर्वाचित घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या-1 के चुनाव को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका योजित की है। जिन आधारों पर बल नहीं दिया गया या उन पर बने नहीं रहा गया है, उन्हें छोड़कर, शेष आधार जिन पर चुनाव को चुनौती दी गई है, वे निम्नलिखित हैं:-

(1) यह कि प्रतिवादी संख्या-1 ने 27 नवंबर 1970 को लोकसभा के विघटन के तुरंत बाद 22 रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया और अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, उन्होंने श्री यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त की और जुटाया, जो भारत सरकार विशेषकार्याधिकारी के पद पर राजपत्रित अधिकारी थे, और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया।

(2) यह कि प्रतिवादी संख्या-1 और उनके चुनाव एजेंट ने उनकी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की सहायता प्राप्त की, क्योंकि सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों ने उनके अनुरोध पर वायु सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभाओं को संबोधित कर सकें, और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन एक और भ्रष्ट आचरण किया।

(3) यह कि प्रतिवादी संख्या-1 और उनके चुनाव एजेंट ने अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई राजपत्रित अधिकारियों और पुलिस बल के सदस्यों की सहायता भी प्राप्त की और जुटाया, क्योंकि जिलाधिकारी, रायबरेली, पुलिस अधीक्षक, रायबरेली और गृह सचिव, उ.प्र. सरकार की सेवाओं का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया-
(क) निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर मंचों का निर्माण और लाउडस्पीकरों की स्थापना, जहां प्रतिवादी संख्या-1 ने अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित किया:
और
(ख) उन मार्गों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की तैनाती, जिनसे प्रतिवादी संख्या-1 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में यात्रा करनी थी और जिन स्थानों पर उन्हें सभाओं को संबोधित करना था, जिससे उनकी यात्राओं को प्रचारित किया जा सके और बड़ी भीड़ को आकर्षित किया जा सके,
और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन एक और भ्रष्ट आचरण किया।

(4) यह कि श्री यशपाल कपूर, प्रतिवादी संख्या-1 के चुनाव एजेंट और उनके अन्य एजेंटों ने श्री यशपाल कपूर की सहमति से, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु उनके बीच रजाई, कंबल, धोती और शराब का मुक्त वितरण किया और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1)(ए)(बी)(II) के अधीन रिश्वतखोरी का भ्रष्ट आचरण किया।

(5) यह कि प्रतिवादी संख्या-1 और उनके चुनाव एजेंट ने गाय और बछड़े के धार्मिक चुनाव-चिन्ह की व्यापक अपील की और इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया।

(6) यह कि श्री यशपाल कपूर, प्रतिवादी संख्या-1 के चुनाव एजेंट, और उनकी सहमति से कुछ अन्य एजेंटों या व्यक्तियों ने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक मुफ्त पहुंचाने के लिए कई वाहनों को किराए पर लिया और जुटाया और इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया।

(7) यह कि प्रतिवादी संख्या-1 और उनके चुनाव एजेंट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के उल्लंघन में व्यय किया या अधिकृत किया और इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(6) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया।

प्रतिवादी संख्या-1 ने, उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से इनकार करते हुए, निम्नलिखित बचाव प्रस्तुत किया:-

(I) यह कि श्री यशपाल कपूर ने 13 जनवरी 1971 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र 14 जनवरी 1971 से प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसके संबंध में प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा 25 जनवरी 1971 को एक अधिसूचना जारी की गई। अतिरिक्त लिखित कथन में यह जोड़ा गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के सचिव श्री पी.एन. हक्सर ने उसी तिथि को, जिस दिन त्यागपत्र दिया गया था, श्री यशपाल कपूर को सूचित कर दिया था कि वह स्वीकार कर लिया गया है और औपचारिक आदेश बाद में निर्गत किए जाएंगे।

(II) यह कि श्री यशपाल कपूर 4 फरवरी 1971 को उनके चुनाव एजेंट बने, और उस अवधि में, जब वे भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी थे, उन्होंने उनकी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया।

(III) वायु सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के उपयोग का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी संख्या-1 ने स्वीकार किया कि 1 फरवरी 1971 को वे वायु सेना के विमान से दिल्ली से लखनऊ गईं, जहां से वे कार से रास्ते में सभाओं को संबोधित करते हुए, रायबरेली गईं, । उन्होंने आगे स्वीकार किया कि 24 फरवरी 1971 को वे नियमित पार्टी कार्य के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर से गोंडा गईं और वहां से वे कार से अपने स्वयं के अतिरिक्त कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली गईं। उन्होंने पिल्लई समिति की रिपोर्ट और भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि उपरोक्त उड़ानें उनके अनुपालन में की गई थीं। उनके द्वारा यह भी दलील दी गई कि नियमों के अधीन, उन उड़ानों के बिल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भुगतान किए जाने थे और उनमें से अधिकांश पहले ही भुगतान किए जा चुके थे। उनके अनुसार, न तो उन्होंने और न ही उनके चुनाव एजेंट ने वायु सेना के विमानों के उपयोग के लिए आग्रह, अनुरोध या आदेश दिया, और भारत सरकार ने अपने सामान्य कर्तव्य के रूप में विमान प्रदान किए।

(IV) यह कि प्रतिवादी या उनके चुनाव एजेंट ने याचिका में आक्षेपित किसी भी उद्देश्य के लिए जिलाधिकारी, रायबरेली और पुलिस अधीक्षक रायबरेली या गृह सचिव, उ.प्र. सरकार की सहायता प्राप्त नहीं की। फिर उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत निर्देश दिनांकित 29 नवंबर, 1958, साथ ही सभी राज्यों के महालेखाकारों के द्वारा और भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 12 जनवरी 1959 का उल्लेख किया। फिर उन्होंने दलील दी कि जिन मार्गों पर वे गईं, उन पर पुलिस की तैनाती की व्यवस्था और मंचों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा स्वयं उन निर्देशों की अनुपालन में की गई थी। लाउडस्पीकरों के संबंध में, उन्होंने दलील दी कि उनकी व्यवस्था जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई थी, न कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा। प्रतिवादी संख्या-1 ने इससे इनकार किया कि उनके या उनके चुनाव एजेंटों द्वारा कोई निर्देश या आदेश जारी दिए गए थे।

(V) यह कि कंबल, धोती और शराब के वितरण के संबंध में आरोप पूर्णतः असत्य थे।

(VI) गाय और बछड़े के चुनाव-चिन्ह का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी संख्या-1 ने दलील दी कि-

(क) वह धार्मिक चुनाव-चिन्ह नहीं था और यह गलत था कि उनके या उनके चुनाव एजेंट द्वारा उस चुनाव-चिन्ह के लिए व्यापक अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके चुनाव एजेंट ने केवल मतदाताओं को सूचित किया कि कांग्रेस (आर) का चुनाव-चिन्ह गाय और बछड़ा है और मतदान निशान उस चुनाव-चिन्ह के सामने लगाया जाना चाहिए,

और

(ख) चुनाव आयोग का निर्णय, जिसने उनकी पार्टी को गाय और बछड़े का चुनाव-चिन्ह आवंटित किया, अंतिम था और इसे चुनौती का आधार नहीं बनाया जा सकता, न ही न्यायालय वर्तमान कार्यवाही में उस प्रश्न पर विचार कर सकता है।

(VII) यह कि वाहनों को किराए पर लेने व जुटाने तथा मतदाताओं को

मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए उनके उपयोग के संबंध में आरोप झूठा था।
(VIII) यह कि यह आरोप कि प्रतिवादी संख्या-1 या उनके चुनाव एजेंट ने निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया, वह भी गलत था।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, न्यायालय द्वारा 19 अगस्त 1971 को वाद-बिंदुओं का एक सेट विरचित किया गया। 27 अप्रैल 1973 को तीन अतिरिक्त वाद-बिन्दु विरचित किए गए। ये वाद-बिन्दु निम्नलिखित हैं:-
वाद-बिन्दु
(1) क्या प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त और हासिल की, जब वे भारत सरकार की सेवा में राजपत्रित अधिकारी थे। यदि हां, तो किस तिथि से?
(2) क्या प्रतिवादी संख्या-1 के अनुरोध पर संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों ने उनके लिए सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों द्वारा उड़ाये जाने वाले वायु सेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था की, जिससे वे 1.2.1971 और 25.2.1971 को चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकें; और यदि हां, तो क्या यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण था।
(3) क्या प्रतिवादी संख्या-1 और उनके चुनाव एजेंट यशपाल कपूर के अनुरोध पर, रायबरेली के जिलाधिकारी, और उ.प्र. सरकार के गृह सचिव ने 1.2.1971 और 25.2.1971 को उनके चुनाव दौरे के संबंध में मंचों, लाउडस्पीकरों और बैरिकेडों को स्थापित करने और पुलिस बल के सदस्यों को तैनात करने की व्यवस्था की; और यदि हां, तो क्या यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण है।
(4) क्या प्रतिवादी संख्या-1 के एजेंटों और कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके चुनाव एजेंट यशपाल कपूर की सहमति से, याचिका की अनुसूची-ए में उल्लिखित स्थानों और तिथियों पर रजाई, कंबल, धोती और शराब वितरित की गई, जिससे मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
(5) क्या याचिका के प्रस्तर 10 और अनुसूची-ए में दिए गए विवरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(1) के अधीन रिश्वतखोरी के आरोप को आधार प्रदान करने हेतु बहुत अस्पष्ट और सामान्य स्वरूप के हैं।
(6) क्या गाय और बछड़े के चुनाव-चिन्ह का उपयोग करके, जो चुनाव आयोग द्वारा उनकी पार्टी को आवंटित किया गया था, अपने चुनाव अभियान में प्रतिवादी संख्या-1, धार्मिक चुनाव-चिन्ह के लिए अपील करके, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) में परिभाषित भ्रष्ट आचरण की दोषी थीं।
(7) क्या मतदान के लिए निर्धारित तिथियों पर मतदाताओं को उन वाहनों पर मतदान केंद्रों तक मुफ्त पहुंचाया गया, जो प्रतिवादी संख्या-1 के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर द्वारा, या उनकी सहमति से अन्य व्यक्तियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए किराए पर लिए और हासिल किए गए थे, जैसा कि याचिका की अनुसूची-बी में विस्तृत है।
(8) क्या याचिका के प्रस्तर 12 और अनुसूची-बी में दिए गए विवरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण के संबंध में आरोपों के लिए आधार बनाने हेतु बहुत अस्पष्ट और सामान्य स्वरूप के हैं।
(9) क्या प्रतिवादी संख्या-1 और उनके चुनाव एजेंट यशपाल कपूर ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 सपठित नियम 90 द्वारा निर्धारित राशि से अधिक व्यय किया या अधिकृत किया, जैसा कि याचिका के प्रस्तर-13 में उल्लिखित है।
(10) क्या याचिकाकर्ता ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 117 द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति, उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार जमा की थी।
(11) याचिकाकर्ता किस अनुतोष का, यदि कोई हो, अधिकारी है?

अतिरिक्त वाद-बिन्दु
(1) क्या प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त और हासिल की, जब वे भारत सरकार की सेवा में राजपत्रित अधिकारी थे। यदि हां, तो किस तिथि से?
(2) क्या प्रतिवादी संख्या-1 ने 1.2.1971 से पूर्व किसी भी तिथि से स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया और यदि हां, तो किस तिथि से?
(3) क्या यशपाल कपूर 14.1.1971 से और उसके बाद या किस तिथि तक भारत सरकार की सेवा में बने रहे?

इस न्यायालय में चुनाव याचिका के लंबित रहने की अवधि में, संसद ने अध्यादेश संख्या-XIII वर्ष 1971 द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में

संशोधन किया, जिसे अब अधिनियम संख्या 58 वर्ष 1971 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 3761 वर्ष 1975 योजित की है, जिसमें संशोधन अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, और उस रिट याचिका को वर्तमान चुनाव याचिका से सम्बद्ध कर दिया गया है। इसलिए, मैं वाद बिन्दु संख्या-9 से निपटते समय रिट याचिका में दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करूंगा। रिट याचिका में पक्षकार बनाए गए प्रतिवादी भारत संघ और श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी (चुनाव याचिका में प्रतिवादी संख्या-1) हैं।

निष्कर्ष
वाद बिन्दु संख्या-2

यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या-1 ने भारतीय वायु सेना के विमान से दिल्ली से लखनऊ की यात्रा की, जहां से वे कार से रायबरेली गईं और रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के अतिरिक्त, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनावी भाषण भी दिए। यह भी विवादित नहीं है कि 24 फरवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या-1 भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से दिल्ली से गोंडा गईं, जहां से वे कार से रायबरेली (उन्नाव और लखनऊ होते हुए) गईं, 25 फरवरी 1971 को रायबरेली पहुंचीं; और उस तिथि को उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विभिन्न स्थानों पर चुनावी भाषण भी दिए। याचिका में निहित आक्षेप के अनुसार, प्रतिवादी संख्या-1 ने इस प्रकार अपने चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की सहायता प्राप्त की, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण है।

बहस के समय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि 24 फरवरी, 1971 को प्रतिवादी संख्या-1 ने भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर से गोंडा की यात्रा की थी, इसलिए यह तर्क देना संभव है कि उक्त यात्रा प्रतिवादी द्वारा पार्टी के काम के लिए की गई थी न कि अपनी स्वयं की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और परिणामस्वरूप, 24 फरवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग करने के तथ्य को इस वाद बिन्दु के विचार क्षेत्र से बाहर रखा जा सकता है। हालांकि, विद्वान अधिवक्ता ने बल देकर कहा कि 1 फरवरी, 1971 को प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान से दिल्ली से लखनऊ की गई यात्रा, उन्हें रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी भाषण देने में सक्षम बनाने के लिए थी और परिणामस्वरूप, इसे अधिनियम की धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए।

इसके उत्तर में प्रतिवादी संख्या-1 का तर्क दो-भाग में है:-

(क) यह कि प्रतिवादी संख्या-1 या उनके चुनाव एजेंट ने वायु सेना के विमान के उपयोग के लिए आग्रह, अनुरोध या आदेश नहीं दिया (लिखित कथन का प्रस्तर 12(घ)),
और

(ख) यह कि पिल्लई समिति की रिपोर्ट, और समय-समय पर इसके आधार पर निर्गत कार्यालय ज्ञापनों को देखते हुए, सरकार ने उनकी यात्रा के लिए अपने सामान्य कर्तव्य के हिस्से के रूप में विमान प्रदान किया और परिणामस्वरूप, 1.2.1971 को प्रतिवादी द्वारा दिल्ली से लखनऊ तक भारतीय वायु सेना के विमान से यात्रा करने का तथ्य भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता।

अब, जहां तक तर्क के पहले भाग का संबंध है, इसे स्वीकार करना संभव नहीं है। 17 अगस्त 1968 का कार्यालय ज्ञाप (प्रदर्श 126) तब निर्गत किया गया था, जब प्रतिवादी संख्या-1 प्रधानमंत्री थीं। यह कार्यालय ज्ञाप 1 फरवरी, 1971 को भी प्रभावी था, जब प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा विवादित उड़ान की गई थी। इस कार्यालय ज्ञाप के अधीन और पूर्व ज्ञाप व पिल्लई समिति की रिपोर्ट के सपठन से, प्रतिवादी संख्या-1, देश की प्रधानमंत्री के रूप में, गैर-आधिकारिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करते समय भी भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग करने की अधिकारी थीं। प्रश्नावली संख्या 24 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से यह स्वीकार किया गया कि वे शासनादेश के अस्तित्व और उसके सार से अवगत थीं। न्यायालय में अपने बयान के दौरान भी प्रतिवादी संख्या-1 ने स्वीकार किया कि जब प्रधानमंत्री चुनाव दौरे पर जाती हैं, तो भारतीय वायु सेना का एक विमान उनके प्रयोग के लिए रखा जाता है और ऐसे विमान को भारतीय वायु सेना

के सदस्यों द्वारा उड़ाया जाता है। प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने बयान में आगे स्वीकार किया कि हालांकि पार्टी के काम से संबंधित दौरे के कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे जाते हैं, उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। श्री शेषन (साक्षी संख्या 53), प्रतिवादी संख्या-1 के निजी सचिव के अनुसार, प्रधानमंत्री सचिवालय से वायु सेना मुख्यालय को प्रधानमंत्री के दौरे के लिए भारतीय वायु सेना के विमान की व्यवस्था के लिए निर्देश भेजे जाते हैं, तब भी जब दौरा गैर-आधिकारिक हो, और फिर उसकी व्यवस्था करना वायु सेना मुख्यालय का कर्तव्य है। विंग कमांडर के.जी. मोहन चंद (साक्षी संख्या 49), उप निदेशक, वायु यातायात नियंत्रण एवं समन्वय अधिकारी, वी.आई.पी., वायु मुख्यालय ने प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से की गई प्रति-परीक्षा के दौरान कहा:-

"यह सही है कि प्रधानमंत्री के दौरे कार्यक्रम की प्राप्ति पर, भारत सरकार के स्थायी आदेश के अनुसार उनके कार्यक्रम के अनुसार विमान की व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य है।"

चूंकि दौरे का कार्यक्रम प्रतिवादी संख्या-1 के सचिवालय से, उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भेजा जाता है, और चूंकि प्रतिवादी संख्या-1 प्रधानमंत्री के रूप में अच्छी तरह से जानती थीं कि उसके बाद उनके प्रयोग के लिए एक विमान रखना वायु मुख्यालय का कर्तव्य था, यह निष्कर्ष असंभाव्य है कि वायु सेना मुख्यालय को दौरे का कार्यक्रम भेजकर, प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने प्रयोग के लिए भारतीय वायु सेना का एक विमान रखने की अपेक्षा की। यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने प्रयोग के लिए कोई विशेष विमान रखने की अपेक्षा नहीं की, महत्वपूर्ण नहीं है। यहां यह जोड़ना उचित होगा कि प्रश्नावली संख्या 27 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या-1 ने स्वीकार किया कि 1 फरवरी 1971 और 24 और 25 फरवरी 1971 को उनके द्वारा उपयोग किए गए विमान और हेलीकॉप्टर को वायु सेना के सदस्यों द्वारा उड़ाया गया था। न्यायालय में अपने बयान के दौरान भी उन्होंने कहा कि जब वे 1 फरवरी 1971 को दिल्ली से लखनऊ तक अपनी यात्रा करने के लिए विमान में सवार हुईं, तो वे जानती थीं कि विमान को भारतीय वायु सेना के सदस्यों द्वारा उड़ाया जाना था।

इसलिए, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि भारतीय वायु सेना का एक विमान, जिसका संचालन संघ की सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया गया, 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या-1 के अनुरोध पर दिल्ली से लखनऊ तक उनकी उड़ान के लिए उनके प्रयोग में रखा गया था और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 ने संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों की सहायता प्राप्त की, जो भारतीय वायु सेना के विमान पर चालक दल का गठन करते थे।

यह मुझे प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से उठाए गए तर्क के दूसरे भाग पर लाता है, अर्थात् क्या संघ की सशस्त्र सेनाओं की उपरोक्त सहायता प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा उनकी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्राप्त की गई थी या सरकार ने पिल्लई समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर जारी कार्यालय ज्ञाप को देखते हुए अपने सामान्य कर्तव्य के हिस्से के रूप में उनके प्रयोग के लिए विमान रखा था।

पहले पिल्लई समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर जारी कार्यालय ज्ञाप का संदर्भ देना उचित होगा। पिल्लई समिति की रिपोर्ट की एक प्रति, श्री वी. श्रीकांतन (प्रतिवादी साक्षी संख्या 4), उप सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दाखिल की गई है। यह अभिलेख पर प्रदर्श ए-22 है और 17 अक्टूबर 1971 दिनांकित है। इसके प्रस्तर 12 में उल्लेख किया गया है:-

"प्रधानमंत्री की स्थिति एक अलग कारण से भी विशेष है। चाहे मुख्यालय पर हों या वहां से दूर शिविर में या यात्रा में, सार्वजनिक कार्य के निस्तारण का, उनके समय और ध्यान पर प्रथम दावा होना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से जनहित में है कि जब वे दौरे पर जाएं तो उनकी यात्रा की व्यवस्था ऐसी हो, जो लंबे परेशान करने वाले विलंब को समाप्त कर दे, जो सार्वजनिक परिवहन के सामान्य तरीकों पर निर्भर होने पर अनिवार्य रूप से होता है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि यात्रा के दौरान उनके लिए आधिकारिक कार्य के लेन-देन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। इन के साथ-साथ सुरक्षा कारणों के लिए, जो कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री को वायु द्वारा सभी यात्राओं के लिए भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग करना चाहिए।"

अंतरिम रिपोर्ट के प्रस्तर 13 में कहा गया है कि ऐसे अवसर हो सकते हैं 'जब प्रधानमंत्री द्वारा की गई यात्रा का मुख्य उद्देश्य उस पार्टी के कार्य से जुड़ा हुआ हो

सकता है, जिसके वे नेता हैं'।

अंतरिम रिपोर्ट के प्रस्तर 14 में समिति ने इसका परीक्षण किया गया कि प्रधानमंत्री द्वारा आधिकारिक कर्तव्य के अतिरिक्त की गई यात्राओं के लिए, भारतीय वायु सेना के विमान को किन शर्तों पर नियोजित किया जा सकता है।

इस प्रकार पिल्लई समिति की अंतरिम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि, प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान से की जाने वाली अनाधिकारिक यात्राओं का उल्लेख करते समय, समिति के मन में सभी संभावनाओं में, उस पार्टी से संबंधित कार्य था, जिसके प्रधानमंत्री नेता होते हैं, न कि विशेष रूप से और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से संबंधित कार्य।

20 अक्टूबर 1951 को रक्षा मंत्रालय ने पिल्लई समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर एक प्रेस नोट (प्रदर्श ए-23) निर्गत किया। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान से यात्रा करने की वांछनीयता के बारे में पिल्लई समिति की अंतरिम रिपोर्ट में जो कहा गया था, उसे उल्लिखित करने के बाद, इसमें कहा गया:-
"प्रधानमंत्री को अपनी राजनीतिक पार्टी के नेता की क्षमता में, हाल ही में, और भविष्य में भी, आधिकारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य कारणों से वायु द्वारा यात्रा करने का अवसर मिला है और मिलता रहेगा। ऐसे अवसरों पर यात्रा की प्रकृति सामान्य आधिकारिक दौरों से भिन्न होती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस कारण से यात्रा की अवधि के लिए अपने पद और सरकार के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। सरकार का काम कभी रुकता नहीं है और प्रधानमंत्री कभी भी कर्तव्य से मुक्त नहीं होते। उनके द्वारा की गई यात्रा का चरित्र जो भी हो, यात्रा में देरी को समाप्त करने, यात्रा के दौरान आधिकारिक कार्य के लेन-देन के लिए सुविधाएं प्रदान करने और उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता अपरिवर्तित रहती है। इसलिए, यह वांछनीय है कि, आधिकारिक उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य कारणों से वायु द्वारा यात्रा के लिए भी, प्रधानमंत्री को, जहां तक संभव हो, भारतीय वायु सेना के विमान से यात्रा करनी चाहिए।"

उपर्युक्त प्रेस नोट में रेखांकित भाग से यह स्पष्ट होगा कि इस प्रेस नोट में भी, गैर-सरकारी दौरों का जिक्र करते हुए, रक्षा मंत्रालय के मन में प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पार्टी के नेता के रूप में किए गए दौरे थे। प्रदर्श ए-24 पिल्लई समिति की अंतिम रिपोर्ट है और इसकी तिथि 20 मई 1953 है। इसमें केवल प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमानों के उपयोग के संबंध में इसकी अंतरिम रिपोर्ट का उल्लेख है। प्रदर्श 126 17 अगस्त 1968 का कार्यालय ज्ञापन है, जिसे पिछले ज्ञापनों के स्थान पर जारी किया गया था (जिनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है)। इसके पैरा ॥ (d) में निम्नलिखित लिखा है:

"वी.आई.पी. फ्लाइट के विमानों का उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों के लिए किया जाना है। प्रधानमंत्री के मामले में, यह आवश्यक है कि जब उन्हें मुख्य रूप से आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा अन्य कारणों से यात्रा करनी हो, तब भी वे सरकार के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के साथ-साथ सुरक्षा कारणों से भी भारतीय वायु सेना के विमान से यात्रा कर सकें।"

उपरोक्त सभी दस्तावेजों को समग्र रूप से पढ़ने से यह आभास होता है कि गैर-सरकारी उद्देश्यों का उल्लेख करते समय, जो कार्य परिकल्पित किया गया था वह उस पार्टी का कार्य था जिससे प्रधानमंत्री संबंधित थे, न कि वह कार्य जो विशेष रूप से प्रधानमंत्री से संबंधित था।

हालांकि, यह मानते हुए कि पिल्लई समिति की अंतरिम रिपोर्ट और कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए की गई उड़ानों में प्रधानमंत्री द्वारा केवल उनसे संबंधित कार्यों के लिए की गई उड़ानें भी शामिल हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पिल्लई समिति की अंतरिम रिपोर्ट सलाहकारी प्रकृति की थी और प्रतिवादी द्वारा उद्धृत प्रेस नोट और कार्यालय ज्ञापन केवल प्रशासनिक आदेश हैं। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दे। यदि किसी प्रधानमंत्री ने भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया है, तो स्पष्ट रूप से ऐसा उपयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के विरुद्ध नहीं हो सकता, और न ही यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान के विरुद्ध होगा। यदि

प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के एकमात्र उद्देश्य से अपने निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने-जाने के लिए विमान का उपयोग करते हैं, तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के प्रावधान का उल्लंघन हो सकता है। क्योंकि उम्मीदवार के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र में बार-बार आने-जाने के लिए भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग करके वे अपने चुनाव अभियान में त्वरित और तेजी से आवागमन के साधन का लाभ उठाते हैं। चूंकि विमान में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान तैनात होते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में इसका उपयोग अधिनियम की धारा 127(7) के दायरे में आ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में न तो अंतरिम पिल्लई समिति की रिपोर्ट और न ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संदर्भित कार्यालय ज्ञापन इस स्थिति को संभाल सकते हैं।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे संविधान के अनुच्छेद 298 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि प्रधानमंत्री और सरकार के कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के विशेष उपयोग के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) विमान का एक वाणिज्यिक विंग स्थापित करना केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि 3 दिसंबर 1951 के कार्यालय ज्ञापन (प्रदर्शनी 125) और 17 अगस्त 1968 के कार्यालय ज्ञापन (प्रदर्शनी 126) के अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए की गई हवाई यात्राओं का किराया उक्त ज्ञापनों में निर्दिष्ट दर पर वसूला जाता था, और इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को आधिकारिक उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विमानों के उपयोग की अनुमति देते हुए, केंद्र सरकार ने अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री के उपयोग के लिए भारतीय वायु सेना (आईएएफ) विमान का एक वाणिज्यिक विंग स्थापित किया। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने... 1 ने तर्क दिया कि इस मामले को देखते हुए, प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) का उल्लंघन नहीं हो सकता। मैंने उठाए गए तर्क पर गहन विचार किया है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत केंद्र सरकार अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न हो सकती है और ऐसा करते हुए हवाई सेवा भी स्थापित कर सकती है। हालांकि, यह एक स्वतंत्र सेवा होनी चाहिए जो सभी के लिए खुली हो। प्रधानमंत्री को एक निश्चित किराए के भुगतान पर गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए भारतीय वायु सेना के विमानों के उपयोग की अनुमति देना, संविधान के अनुच्छेद 298 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए वायु सेना की वाणिज्यिक शाखा की स्थापना नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ केवल प्रधानमंत्री को एक विशेष विशेषाधिकार प्रदान करना है। संविधान का अनुच्छेद 298 इस पर लागू नहीं होता।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का हवाला दिया, जो प्रकाशवीर शास्त्री और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (ए.आई.आर. 1974 दिल्ली 1) मामले में दिया गया था, और तर्क दिया कि 17 अगस्त 1968 के कार्यालय ज्ञापन की वैधता को उस मामले में बरकरार रखा गया था। हालांकि, उस मामले में उक्त ज्ञापन की वैधता की जांच संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में की गई थी, न कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित किसी प्रावधान के संदर्भ में। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित मामला मेरे समक्ष विचाराधीन मुद्दे से संबंधित नहीं है और फलस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 उस फैसले पर भरोसा नहीं कर सकता है।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 के कुछ टूर प्रोग्राम की कॉपी फाइल कीं, इसके अलावा विंग कमांडर के.जी. मोहन चंद (पी डब्लू 49) की जांच की गई, जिन्होंने 1 फरवरी 1971 को दिल्ली से लखनऊ के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई उड़ान से संबंधित बिल की ऑफिस कॉपी फाइल की। इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने यह साबित करने की कोशिश की कि उक्त उड़ान प्रतिवादी नंबर 1 ने केवल रायबरेली पहुंचने के लिए भरी थी ताकि वह अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सके और अपना चुनाव प्रचार कर सके। हालांकि, रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि असल में ऐसा नहीं था। याचिकाकर्ता ने खुद 27 जनवरी 1971 का एक पत्र (प्रदर्शनी 27) फाइल किया था, जो उत्तर प्रदेश सरकार के अवर सचिव ने जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ, जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली, संपदा अधिकारी , लखनऊ, कमिश्नर, लखनऊ और पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को लिखा था। इस पत्र के साथ प्रतिवादी नंबर 1 के टूर प्रोग्राम की एक कॉपी भी संलग्न है। इस टूर प्रोग्राम को देखने से पता चलता है कि 2 फरवरी 1971 को, रायबरेली से लखनऊ लौटने पर, प्रतिवादी नंबर 1 को आई ए ऍफ़ विमान से पानागढ़ जाना था। श्री एन.के. सेशान (पी डब्लू 53), प्रधानमंत्री के निजी सचिव,

ने अदालत में एक फाइल पेश की, जिसमें अन्य बातों के अलावा, 1 फरवरी 1971 से 7 फरवरी 1971 तक आई ए ऍफ़ विमान में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई गैर-सरकारी यात्राओं का बिल शामिल था। श्री सेशान ने कहा कि यह बिल उनके कार्यालय द्वारा वायु मुख्यालय से प्राप्त बिल के आधार पर तैयार किया गया था। इन बिलों को श्री सेशान ने क्रमशः 'बी' और 'एक्स' के रूप में चिह्नित किया था। यह सच है कि इन बिलों को प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं करवाया गया था। हालांकि, यह तथ्य बना हुआ है कि फाइल अदालत में प्रतिवादी नंबर 1 के अधिवक्ता की उपस्थिति में पेश की गई थी और श्री सेशान ने उन बिलों के संबंध में आवश्यक बयान दिया था। नतीजतन, उन बिलों का संदर्भ देने में कोई वैध आपत्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा, राज कुमार सिंह (पी डब्लू 56), कानूनी मामलों का विभाग के इंचार्ज और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संसदीय मामले के सहायक सचिव ने भी कोर्ट में एक फाइल पेश की, जिसमें 1 फरवरी 1971 से 7 फरवरी 1971 तक की अवधि के लिए प्रतिवादी नंबर 1 का टूर प्रोग्राम था। उस टूर प्रोग्राम को प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वीकार किया और केस में औपचारिक रूप से एग्जिबिट किया गया (प्रदर्शनी ए-64)। ऊपर बताए गए दस्तावेज़ से साफ पता चलता है कि 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 देश के लंबे चुनावी दौरे पर दिल्ली से निकलीं, और लखनऊ, पानागढ़, शांतिनिकेतन, सेरामपुर, कैकुंडा, कलकत्ता, बहरामपुर, कृष्णानगर, टीटागढ़, गुवाहाटी, अगरतला, के'ग्राम, सिलचर, मोहनबाड़ी, रौरिया, रूपाई, कूच बिहार, पूर्णिया, रायगंज और माल्दा सहित कई जगहों पर गईं। चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 को उसी दौरान रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करना था, इसलिए वह लखनऊ में उतरीं और उस काम के लिए वहां से रायबरेली गईं। अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर और बाहर कुछ भाषण देने के बाद, वह अपने चुनावी दौरे पर आगे की उड़ान जारी रखने के लिए लखनऊ वापस आ गईं।

ऊपर बताए गए तथ्यों के संदर्भ में, यह नहीं माना जा सकता कि 1 फरवरी 1971 को आई ए ऍफ़ एयरक्राफ्ट में उड़ान भरकर प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनाव में अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सशस्त्र बलों की मदद ली थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अधिनियम की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण के लिए मेन्स रिया (गलत इरादा) एक ज़रूरी तत्व नहीं है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई उड़ान, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच थी, प्रतिवादी नंबर 1 के रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और चुनाव प्रचार करने से जुड़ी थी। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह मायने नहीं रखता कि प्रतिवादी नंबर 1 ने दिल्ली से लखनऊ तक आई ए ऍफ़ एयरक्राफ्ट से यात्रा करते समय, अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का इरादा किया था या नहीं। अधिवक्ता के अनुसार, एक बार यह साबित हो जाए कि उड़ान ने प्रतिवादी नंबर 1 को रायबरेली में नामांकन पत्र दाखिल करने और चुनाव प्रचार करने में मदद की, तो उसे अधिनियम की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जाना चाहिए। मेन्स रिया के बारे में अपने तर्क के समर्थन में, अधिवक्ता ने मुझे डॉ. वाई.एस. फार्मर बनाम हायर सिंह (ए.आई.आर. 1959 सुप्रीम कोर्ट 244) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

हालांकि, मैंने पहले ही कहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 की दिल्ली से लखनऊ की उड़ान का उसके नामांकन पत्र दाखिल करने या अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने से कोई संबंध नहीं था। जैसा कि पहले ही बताया गया है, 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 देश के आम चुनाव दौरे पर निकली थी। चूंकि, उसे उसी दौरान रायबरेली में अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करना था, इसलिए वह रास्ते में लखनऊ उतरी और फिर उस काम के लिए रायबरेली गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ भाषण भी दिए। इसलिए, यह उचित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आई ए ऍफ़ विमान का इस्तेमाल सीधे तौर पर उसके चुनावी काम से जुड़ा था। जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए मामले की बात है, तो इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि यह सशस्त्र बलों के कर्मियों की सेवाओं का पोलिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करने से संबंधित था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) से जुड़े स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) में, जैसा कि उस समय मौजूद था, कहा गया था कि उप-खंड (7) के उद्देश्यों के लिए, किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करने वाला माना जाएगा, यदि वह, अन्य बातों के अलावा, उस उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेन्स रिया का सवाल प्रासंगिक नहीं है। उस टिप्पणी का सार्वभौमिक अनुप्रयोग नहीं हो सकता। यह बाबू भाई वल्लभ दास गांधी बनाम पिल्लू होमी होडी (36 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स, गुजरात, 108 पृष्ठ 123-124

पर) और हाजी अब्दुल वाहिद बनाम बी.वी. केसकर (21 बी.एल.आर. 409 पृष्ठ 432 पर (इलाहाबाद)) के मामले में बताया गया था।

ऊपर बताए गए कारणों से, मैं पाता हूं कि, 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 के आई ए ऍफ़ विमान से दिल्ली से लखनऊ उड़ान भरने के आधार पर, उसे अपने चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संघ के सशस्त्र बलों की सहायता प्राप्त करने और इस प्रकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

इसलिए, मुद्दा नंबर 2 का जवाब याचिकाकर्ता के खिलाफ और प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में दिया जाता है।

मुद्दा नं.-3

याचिका के पैरा 9 में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 और उनके चुनाव एजेंट ने अपने चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवा में राजपत्रित अधिकारियों और पुलिस बल के सदस्यों की सहायता प्राप्त की। आरोप को और स्पष्ट करते हुए, यह कहा गया है कि रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव की सेवाओं का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 ने 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को मंच बनाने, बैरिकेड लगाने, बैठकों की जगहों पर लाउडस्पीकर की व्यवस्था करने और उस रास्ते पर पुलिस तैनात करने के लिए किया था जिससे प्रतिवादी नंबर 1 को यात्रा करनी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के तहत एक भ्रष्ट आचरण था।

प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में इस बात से इनकार किया कि उन्होंने या उनके चुनाव एजेंट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रायबरेली, पुलिस अधीक्षक, रायबरेली और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव की उपरोक्त सहायता प्राप्त की थी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर मंच बनाए गए थे जहाँ उन्होंने बैठकों को संबोधित किया था। हालांकि, उन्होंने (लिखित बयान के पैरा 13(ट) और 13(1) में) यह भी कहा कि मंच निजी ठेकेदारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत बनाए गए थे और याचिका के पैरा 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी का उनके निर्माण से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं था। बैरिकेड लगाने और पुलिस तैनात करने से प्रतिवादी ने इनकार नहीं किया। लाउडस्पीकर के संबंध में, प्रतिवादी ने कहा कि उनकी व्यवस्था जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई थी। इसके बाद प्रतिवादी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा 29 नवंबर 1958 को जारी निर्देशों (प्रदर्शनी 123) और भारत सरकार के 12 जनवरी 1959 के पत्र (प्रदर्शनी 124) का हवाला दिया और कहा कि उपरोक्त व्यवस्थाएं सरकार द्वारा अपनी पहल पर अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में और सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में की गई थीं।

यह बात कि रायबरेली के पुलिस अधीक्षक द्वारा मंच बनवाए गए और बैरिकेडिंग करवाई गई, मौखिक सबूतों के अलावा, बहुत सारे दस्तावेजी सबूतों से भी साबित होती है। प्रदर्शनी 148, 31 मार्च 1973 का उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से गृह विभाग के उप सचिव को लिखा गया पत्र है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित बैठकों के लिए पांच मंच बनाए गए थे, और उसी तारीख को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित एक और बैठक के लिए एक प्रीफैब मंच और बैरिकेड ट्रक से इलाहाबाद से रायबरेली ले जाया गया था। इस पत्र के अनुसार, पांच मंचों के निर्माण पर 8,000 रुपये का खर्च आया और प्रीफैब मंच को इलाहाबाद से रायबरेली ले जाने में 490 रुपये का खर्च आया। प्रदर्शनी 149, 2 फरवरी 1973 का रायबरेली के पुलिस अधीक्षक से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को लिखा गया पत्र है, जिसमें यही जानकारी है। प्रदर्शनी 154, रायबरेली पुलिस से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें 1 फरवरी 1971 को की गई व्यवस्थाओं के संबंध में किए गए खर्च का विवरण है। इससे यह भी पता चलता है कि मंचों के निर्माण में 8,000 रुपये और प्रीफैब मंच और बैरिकेड को ले जाने में 490 रुपये का खर्च आया। इस पत्र में दिए गए खर्च के अन्य विवरणों का यहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। प्रदर्शनी 185, 26 जनवरी 1971 का रायबरेली के पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा गया एक रेडियोग्राम है, जिसमें पी डब्लू डी के माध्यम से मंचों और बैरिकेड्स के निर्माण के लिए मंजूरी मांगी गई है। प्रदर्शनी 184, 28 जनवरी 1971 का रेडियोग्राम है जिसमें पी डब्लू

डीके माध्यम से बैरिकेडिंग और मंचों के निर्माण पर खर्च करने की मंजूरी दी गई है। 186, 26 जनवरी, 1971 की तारीख के एक पत्र की कॉपी है, जिसे पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने कार्यपालक अभियंता, पी डब्लू डी, रायबरेली को भेजा था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 पत्र में बताई गई सात जगहों पर सभाओं को संबोधित करेंगे और एक को छोड़कर सभी सभाओं के लिए मंच और बैरिकेड बनाने की ज़रूरत होगी। प्रदर्शनी 156, 4 जनवरी 1972 का पत्र है, जिसे पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने कार्यवाहक कार्यपालक अभियंता, पी डब्लू डी , रायबरेली को भेजा था, जिसमें उसमें बताई गई सात जगहों पर बैरिकेड और मंच बनाने के बिल मिलने की पुष्टि की गई थी और कार्यपालक अभियंता से बैरिकेडिंग और मंच बनाने के लिए अलग-अलग बिल जमा करने का अनुरोध किया गया था। प्रदर्शनी 155, 1 फरवरी 1972 का पत्र है, जो कार्यपालक अभियंता, पी डब्लू डी, रायबरेली ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को भेजा था, जिसमें 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 के दौरे के अवसर पर बैरिकेड और मंच लगाने में हुए खर्च के अलग-अलग बिल संलग्न थे।

अन्य कागजात का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित सभाओं के उद्देश्य से सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंच बनवाए गए थे।

एग्ज़िबिट 199, 17 फरवरी 1972 का एक रेडियोग्राम है जो पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने यू.पी. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा था, जिसमें 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित की जाने वाली छह बैठकों के लिए मंच और बैरिकेड्स के निर्माण के लिए मंज़ूरी मांगी गई थी। एग्ज़िबिट 201, 17 फरवरी 1971 का पत्र है जो पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने अधिशासी अभियंता, पी डब्लू डी , रायबरेली को भेजा था, जिसमें उन्हें उन जगहों के बारे में बताया गया था जहाँ प्रतिवादी नंबर 1 को 25 फरवरी 1971 को बैठकों को संबोधित करना था, और उनसे मंच और बैरिकेड्स का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया गया था, जिसे 22 फरवरी 1971 तक पूरा किया जाना था। एग्ज़िबिट 193, 23 जून 1971 का एक पत्र है जो पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने यू.पी. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा था, जिसमें उन्हें, अन्य बातों के अलावा, 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित की गई बैठकों के संबंध में बैरिकेड्स और मंचों के निर्माण में हुए खर्च के बारे में बताया गया था। एग्ज़िबिट 190, 27 सितंबर 1972 का पत्र है जो यू.पी. पुलिस मुख्यालय ने उप सचिव, यू.पी. सरकार, गृह और पुलिस विभाग को भेजा था, जिसमें सरकार को 25 फरवरी 1971 को रायबरेली में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित की गई बैठकों के संबंध में मंचों और बैरिकेड्स के निर्माण पर हुए खर्च के बारे में बताया गया था। इन दस्तावेजों से यह निर्णायक रूप से साबित होता है कि 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में संबोधित की गई बैठकों के लिए सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंचों का निर्माण किया गया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मुझे श्री ई. लॉरेंस, तत्कालीन एस.डी.एम., डलमऊ (जिला रायबरेली) (आर डब्लू10) और श्री मोहिंदर सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली (आर डब्लू 36) की गवाही का भी हवाला दिया, ताकि यह दिखाया जा सके कि प्रतिवादी नंबर 1 की बैठकों के लिए मंच अधिकारियों के माध्यम से बनवाए गए थे। श्री ई. लॉरेंस (आर डब्लू 10) ने अपनी गवाही के दौरान कहा कि बैरिकेडिंग और मंच का निर्माण पी डब्लू डी द्वारा किया जाता है और इसका भुगतान संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है, हालांकि बैरिकेड लगाने और मंच बनाने का वास्तविक काम ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रति परीक्षा में कहा कि यह खंड अधिकारी का कर्तव्य था कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके खंड अधिकारी में उस जगह पर एक मंच बनाया जाए जहां प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करने वाले थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ने लोक निर्माण विभाग से उस जगह पर मंच बनवाने के लिए कहा जहां प्रधानमंत्री बैठक को संबोधित करने वाले थे और एस.डी.ओ. व्यक्तिगत रूप से उस जगह पर मंच के निर्माण की निगरानी करने जाते हैं। प्रतिवादी नंबर 1 के अधिवक्ता द्वारा पुनर्परीक्षा के दौरान उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित बैठक के संबंध में बनाए गए मंच और बैरिकेड के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी क्योंकि वह उस सहायक इंजीनियर को जानते थे जिसने यह काम करवाया था और क्योंकि उन्होंने खुद मंच बनते हुए और बैरिकेड लगते हुए देखा था। श्री मोहिंदर सिंह (आर डब्लू 36) 1971 में हुए चुनाव के दौरान रायबरेली में जिला मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा, "जब भी प्रधानमंत्री का दौरा कार्यक्रम मिलता है, चाहे वह दौरा आधिकारिक हो या अनौपचारिक, वे उस बैठक स्थल का निरीक्षण करते हैं जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं; और फिर पुलिस अधीक्षक, अन्य सुरक्षा व्यवस्था करने के अलावा, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को

मंच और बैरिकेड के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए एक पत्र भेजते हैं"। उन्होंने कहा कि अगर मंच बनाया जाता है, तो बैरिकेडिंग भी की जाती है क्योंकि यह उस काम का ही एक हिस्सा है।

इसलिए इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि यह राज्य के राजपत्रित अधिकारी , खासकर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली और अधिशाषी अभियंता,पी डब्लू डी, रायबरेली थे, जिन्होंने 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 के निर्वाचन क्षेत्र में हुई सभाओं के लिए मंच बनवाए थे।

लाउडस्पीकर के इंतज़ाम के बारे में, याचिकाकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत, मौखिक या लिखित, पेश नहीं किया है कि लाउडस्पीकर का इंतज़ाम सरकारी अधिकारियों द्वारा या उनके ज़रिए किया गया था। इसके उलट, कुछ कागज़ात ऐसे हैं जो प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से उठाए गए इस तर्क का समर्थन करते हैं कि लाउडस्पीकर का इंतज़ाम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने किया था। प्रदर्शनी 177, 29 जनवरी 1971 का एक पत्र है जो पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने सेंट्रल कांग्रेस ऑफिस, रायबरेली के श्री गया प्रसाद शुक्ला को भेजा था। इसमें कहा गया है कि, उनके बीच हुए मौखिक फैसले के अनुसार, श्री गया प्रसाद शुक्ला को प्रतिवादी नंबर 1 की बैठकों के लिए लाउडस्पीकर का इंतज़ाम करना था। यह पत्र 29 जनवरी 1971 का है, इसलिए यह साफ तौर पर 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित बैठकों का ज़िक्र करता है। प्रदर्शनी 193, 23 जून 1971 का एक पत्र है, जो पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने यू.पी. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को भेजा था, जिसमें 25 फरवरी 1971 को रायबरेली में प्रतिवादी नंबर 1 के दौरे के संबंध में हुए खर्च का विवरण है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर के इंतज़ाम के संबंध में कोई खर्च नहीं हुआ क्योंकि इसका इंतज़ाम संबंधित पार्टी ने किया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि भले ही प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में संबोधित की गई बैठकों के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा लाउडस्पीकर की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसे अकाट्य सबूत हैं जो यह दिखाते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की थी, जहां प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। यह सही लगता है। प्रदर्शनी 147, पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा अध्यक्ष, यूपीसीसी, लखनऊ को 24 जुलाई 1973 को भेजे गए एक पत्र की प्रति है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 1 फरवरी 1971 को चुनाव के संबंध में हरचंदपुर, जगतपुर, परेवा और रेओहारा (बछरावां के अलावा, जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में नहीं था) में सभाओं को संबोधित किया था, कि उन सभाओं में लाउडस्पीकर के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी, और उस संबंध में कुल 1151/- रुपये के पांच बिल भुगतान के लिए यूपीसीसी कार्यालय को भेजे गए थे। अनुरोध किया गया था कि भुगतान में तेजी लाई जाए। प्रदर्शनी 146, अध्यक्ष, यूपीसीसी द्वारा पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को 1 सितंबर 1973 को लिखा गया पत्र है, जो इंगित करता है कि बिजली आपूर्ति के लिए उपरोक्त बिलों के भुगतान में यूपीसीसी द्वारा 1151/- रुपये का चेक भेजा गया था। प्रदर्शनी 154, पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को 1 फरवरी 1972 को लिखे गए पत्र की प्रति है, जिसमें 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में प्रतिवादी नंबर 1 की यात्रा के संबंध में किए गए खर्च का विवरण दिया गया है। यह भी इस तथ्य का समर्थन करता है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित सभाओं में लाउडस्पीकर के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था सरकारी अधिकारियों के माध्यम से की गई थी। प्रदर्शनी 178 एक लेटर है जो 29 जनवरी, 1971 को पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने सहायक अभियंता , हाइडल को लिखा था। इसमें उनसे 1 फरवरी, 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 की मीटिंग के लिए हरचंदपुर और जगतपुर में सार्वजनिक पता सूची लगाने के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था।

ऊपर बताए गए कागज़ात यह पक्के तौर पर साबित करते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित कुछ चुनावी सभाओं में लाउडस्पीकर चलाने के लिए बिजली सप्लाई का इंतज़ाम किया था। अगर ऐसा नहीं होता, तो प्रतिवादी न. 1 के लिए इन सभाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना संभव नहीं होता।

यह बात कि जिन रास्तों से प्रतिवादी नंबर 1 को यात्रा करनी थी, उन रास्तों पर पुलिस तैनात थी और जिन जगहों पर प्रतिवादी नंबर 1 ने चुनावी सभाएं कीं, वहां भी पुलिस तैनात थी, इस बात का उसने खंडन नहीं किया है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, रास्तों पर बैरिकेड लगाने और सभाओं वाली जगहों पर बैरिकेड लगाने की बात से भी

उसने इनकार नहीं किया है। प्रतिवादी नंबर 1 के अनुसार, ये सभी इंतज़ाम राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्तव्यों का पालन करते हुए किए थे।

यह आम जानकारी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के दौरे के मौके पर उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। लोग उन रास्तों पर भी जमा हो जाते हैं जिनसे वह यात्रा करते हैं ताकि उनकी एक झलक मिल सके। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना हर सरकार का पहला कर्तव्य है। अगर प्रतिवादी नंबर 1 के यात्रा मार्गों पर और उन जगहों पर जहां उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, पुलिस तैनात नहीं की जाती और बैरिकेड नहीं लगाए जाते, तो सरकार के लिए भीड़ को कंट्रोल करना संभव नहीं होता। इस मामले में नाकामी से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती थी और कोई भी सरकार इस मामले में कोई जोखिम नहीं ले सकती। कहने की ज़रूरत नहीं है कि न तो रास्तों और सभाओं की जगहों पर पुलिस की तैनाती, और न ही दोनों जगहों पर बैरिकेड लगाने से प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव में जीतने की संभावनाओं को कोई फायदा हुआ। इसलिए याचिकाकर्ता सरकार द्वारा किए गए इन इंतज़ामों के बारे में कोई वैध आपत्ति नहीं उठा सकता। इसलिए मैं प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए तर्क से सहमत हूं कि रास्तों और सभाओं की जगहों पर पुलिस की तैनाती और दोनों जगहों पर बैरिकेड लगाना सरकार ने अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किया था।

हालाँकि, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके माध्यम से मंचों का निर्माण और बिजली की आपूर्ति एक अलग आधार पर है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्मित मंचों ने प्रतिवादी संख्या 1 को एक प्रभावी और उच्च स्थिति से अपनी सभाओं को संबोधित करने में सक्षम बनाया। सरकार के संसाधनों का उपयोग किए जाने के कारण, मंचों का निर्माण कम से कम समय में किया गया ताकि प्रतिवादी संख्या 1 के उन स्थानों पर पहुँचने तक वे तैयार रहें जहाँ उन्हें सभाओं को संबोधित करना था। इसके अलावा, भले ही लाउडस्पीकरों की व्यवस्था जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई थी, लेकिन उनके लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की गई थी। इसके बिना लाउडस्पीकर निष्प्रभावी होते और प्रतिवादी संख्या 1 के लिए अपना भाषण पूरी भीड़ को सुना पाना संभव नहीं होता। इसलिए, मंचों का निर्माण और लाउडस्पीकरों के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करना, प्रतिवादी संख्या 1 को उनके चुनाव अभियान में सहायता पहुँचाने के समान था, जिसने उन्हें उनके विरोधियों की तुलना में स्पष्ट रूप से लाभप्रद स्थिति में खड़ा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार के लिए कानून-व्यवस्था या सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य था कि उसके अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 की सभाओं के लिए मंच बनवाने और लाउडस्पीकरों के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी खुद पर लें। इन दोनों चीजों को संबंधित राजनीतिक दल द्वारा व्यवस्थित करने के लिए छोड़ा जा सकता था।
प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने 29 नवंबर 1958 के निर्देशों (प्रदर्श 123), जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यों के महालेखाकारों को जारी किए गए थे, 12 जनवरी 1959 के पत्र (प्रदर्श 124), जो भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों की प्रतियों के साथ भेजा गया था, और 19 नवंबर 1969 के पत्र (प्रदर्श ए-21), जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को जारी किया गया था, पर इस तर्क के लिए भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित सभाओं में अन्य बातों के साथ-साथ मंचों का निर्माण और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की व्यवस्था करना राज्य सरकार और उसके अधिकारियों का कर्तव्य था। जहाँ तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी गुप्त निर्देशों (जो प्रदर्श 124 के साथ संलग्न हैं) का संबंध है, उनमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि वे निर्देश प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के रूप में संबोधित चुनावी सभाओं के अवसर पर भी लागू होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि ब्लू बुक (जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विस्तृत निर्देश शामिल हैं) में चुनावी सभाओं को विशेष रूप से बाहर रखा गया था। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 1969 को जारी पत्र (प्रदर्श ए-21) के पहले प्रस्तर से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मेरे समक्ष 18 अप्रैल 1973 की लोकसभा बहस को भी प्रस्तुत किया। ब्लू बुक का नियम 71(6), जैसा कि वह मूल रूप से अस्तित्व में था, इन बहसों के कॉलम 241 में इस प्रकार उद्धृत किया गया है:

"यह देखा गया है कि मंच की व्यवस्था हमेशा उचित रूप से नहीं हो पाती है क्योंकि कभी-कभी आयोजक इसका खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए सभा स्थल पर मंच और बैरियर लगाने की सभी व्यवस्थाओं का खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाएगा, चाहे

वह जनसभा किसी भी अवसर के लिए बुलाई गई हो, सिवाय चुनावी सभाओं के।"

अब, यदि 1958 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों को ब्लू बुक के नियम 71(6) के साथ पढ़ा जाए, जैसा कि वह मूल रूप से अस्तित्व में था, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें दिए गए निर्देश चुनावी सभाओं पर लागू नहीं होते थे, और प्रधानमंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के रूप में संबोधित सभाओं पर तो बिल्कुल भी नहीं।

ब्लू बुक के नियम 71(6) को 1969 में संशोधित किया गया था, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को जारी किए गए 19 नवंबर 1969 के पत्र प्रदर्श ए-21 से स्पष्ट है। संशोधित नियम 71(6) का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:-

"यह देखा गया है कि मंच की व्यवस्था हमेशा उचित रूप से नहीं हो पाती है क्योंकि कभी-कभी आयोजक इसका खर्च वहन करने में असमर्थ होते हैं। चूँकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए सभा स्थल पर मंच, बैरिकेड्स आदि लगाने की सभी व्यवस्थाएँ, जिसमें चुनावी सभा भी शामिल है, संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी होंगी।"

इस प्रकार, यह 1969 में पहली बार हुआ था जब चुनावी सभाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को सौंपी गई थी। हालांकि, यह अत्यंत संदेहास्पद है कि क्या 1969 में ब्लू बुक के नियम 71(6) में किए गए संशोधन के तहत भी राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के लिए उन सभाओं में मंच और लाउडस्पीकर की व्यवस्था करना आवश्यक था, जिन्हें प्रधानमंत्री को अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के रूप में संबोधित करना था। फिर भी, यदि यह मान भी लिया जाए कि ऐसा था, तो इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश (जो प्रदर्श 124 के साथ संलग्न हैं) और भारत सरकार के 19 नवंबर 1969 के पत्र (प्रदर्श ए-21) में निहित निर्देश प्रशासनिक प्रकृति के हैं और वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में निहित प्रावधानों को रद्द या प्रभावित नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप, यदि यह दिखाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबोधित सभाओं में मंचों का निर्माण और लाउडस्पीकरों के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के उल्लंघन के दायरे में आता है, तो न तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और न ही भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 1959 (प्रदर्श 124) और 19 नवंबर 1969 (प्रदर्श ए-21) के पत्रों के माध्यम से जारी निर्देश प्रतिवादी संख्या 1 के बचाव में काम आ सकते हैं।

अत: अंततः विचार के लिए प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के रूप में संबोधित सभाओं के लिए राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और अभियंता, पनबिजली विभाग द्वारा मंचों का निर्माण करवाना और लाउडस्पीकरों के संचालन हेतु बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था करना, इस मामले को अधिनियम की धारा 123(7) के उल्लंघन के दायरे में लाता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (7) इस प्रकार है:-
"किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा, या किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, वोट देने के अलावा कोई भी सहायता, सरकार की सेवा में कार्यरत और निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी से संबंधित किसी भी व्यक्ति से प्राप्त करना या प्राप्त करने का प्रयास करना, अथवा ऐसा करने के लिए उकसाना या प्रयास करना, अर्थात्:-

(क) राजपत्रित अधिकारी;
(ख) ...
(ग) ...
(घ) ...
(ङ) ...
(च) ...

उपरोक्त प्रावधान के प्रकाश में, विचार के लिए जो पहला प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या सिद्ध पाए गए तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राज्य के राजपत्रित अधिकारियों की सहायता प्राप्त या हासिल की गई थी।

'प्राप्त करना' और 'हासिल करना' शब्दों का अर्थ है विजयी उम्मीदवार की ओर से की गई कोई पहल या प्रयास। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार, 'प्राप्त करना' शब्द का अर्थ है किसी नियोजित कार्रवाई या पद्धति द्वारा पकड़ बनाना, लाभ पाना या कब्ज़ा या अधिकार प्राप्त करना। उसी शब्दकोश में 'हासिल करना' शब्द को दिए गए अर्थों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी चीज़ को घटित करना, प्राप्त करना, या सावधानी या प्रयास से कब्ज़ा प्राप्त करना शामिल है। मोती लाल बनाम मंगला प्रसाद (ए.आई. आर. 1958 इलाहाबाद 794, पृष्ठ 797) के मामले में यह टिप्पणी की गई थी:-
"हमारा यह मानना है कि धारा 123(7) में 'प्राप्त करना' शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया गया है जो उम्मीदवार के कार्य के पीछे किसी उद्देश्य या प्रयास का बोध कराता है। इस उप-धारा में इस शब्द का प्रयोग केवल सहायता की 'निष्क्रिय प्राप्ति' के अर्थ में नहीं किया गया है, जहाँ उम्मीदवार को इस तथ्य का आभास तक न हो कि सहायता प्रदान की गई है। मामले को उप-धारा (7) के अंतर्गत लाने के लिए, यह दिखाया जाना आवश्यक है कि उम्मीदवार ने वह सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किया था या कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य किया था।"

बिरेश मिश्रा बनाम राम नाथ शर्मा और अन्य (17 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 243, पृष्ठ 253) के मामले में असम उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने यह टिप्पणी की थी:-
"किसी भी प्रकार की सहायता 'प्राप्त करना' या 'हासिल करना' या 'प्राप्त करने या हासिल करने के लिए उकसाना या प्रयास करना' जैसे शब्द अनिवार्य रूप से उम्मीदवार या उसके एजेंट की ओर से किसी प्रयास का संकेत देते हैं। सहायता की मात्र निष्क्रिय प्राप्ति की इस धारा द्वारा कल्पना नहीं की गई है।"

इसी तरह का विचार बाबू भाई वल्लभ दास गांधी बनाम पीलू होमी मोदी (36 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 108, पृष्ठ 126 और 127) और सी. चिरंजीवुलु नायडू बनाम ई.एस. त्यागराजन (25 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 201, पृष्ठ 217) के मामलों में भी व्यक्त किया गया है।

अपने लिखित बयान के प्रस्तर 13(सी) में प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया कि हरचंदपुर, रायबरेली, जगतपुर, पटेरवा और रउहारा में मंचों का निर्माण किया गया था। लिखित बयान के प्रस्तर 13(डी) में प्रतिवादी संख्या 1 ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी 29 नवंबर 1958 के निर्देशों को विस्तार से उद्धृत किया, जिसकी प्रति भारत सरकार द्वारा 12 जनवरी 1959 के पत्र (प्रदर्श 124) के तहत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी गई थी। यह याद किया जा सकता है कि उपरोक्त निर्देशों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री की गैर-आधिकारिक बैठकों के लिए भी लाउडस्पीकर की व्यवस्था करना और मंच प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। प्रस्तर 13(ई) में, प्रतिवादी संख्या 1 ने भारत सरकार के 19 नवंबर 1969 के पत्र (प्रदर्श ए-21) का संदर्भ दिया, जिसने ब्लू बुक के नियम 71(6) को संशोधित किया था ताकि चुनावी सभाओं को भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के दायरे में लाया जा सके। प्रश्न संख्या 28 के उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 के विशेष न्यायवादी ने स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 1 सामान्य रूप से उन नियमों और निर्देशों के सार से अवगत थीं। (जवाब में "पी.एम. द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का ऐसा उपयोग" शब्द अनजाने में जुड़ गए प्रतीत होते हैं)। प्रश्न संख्या 29 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 केंद्र सरकार के उस निर्णय में शामिल थीं, जिसके आधार पर 19 नवंबर 1969 का पत्र (प्रदर्श ए-21) जारी किया गया था। न्यायालय में अपनी गवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने पुनः कहा कि भारत सरकार के स्थायी निर्देशों के अनुसार, जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य का दौरा करते हैं और चुनावी सभाओं सहित अन्य सभाओं को संबोधित करते हैं, तो उससे संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की जानी होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह 1 फरवरी 1971 से पहले भी उन निर्देशों से अवगत थीं। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा जारी 19 नवंबर 1969 के पत्र (प्रदर्श ए-21) के साथ, प्रतिवादी संख्या 1 का यह मानना था कि उनकी सभाओं के लिए मंचों के निर्माण और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की स्थापना की व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्तव्य था, चाहे वे सभाएँ उनके द्वारा स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार के रूप में संबोधित की जानी

हों या अन्यथा।

प्रतिवादी के सचिवालय में पूर्व निजी सचिव और ओ.एस.डी. रहे श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) ने गवाही दी कि जब प्रधानमंत्री का नियमित दौरा कार्यक्रम तैयार किया जाता है, तो प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री के निजी सचिव इसे संबंधित अधिकारियों को जारी करते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपनी गवाही में स्वीकार किया कि राजनीतिक कार्य से संबंधित दौरा कार्यक्रम ए.आई.सी.सी. द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। दूसरे सेट के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में यह स्वीकार किया गया कि दौरा कार्यक्रम अन्य लोगों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी जारी किए जाते हैं।

अब, चूंकि 12 जनवरी 1959 के भारत सरकार के पत्र (प्रदर्श 124) और 19 नवंबर 1969 के भारत सरकार के पत्र (प्रदर्श ए-21) के साथ पढ़े गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के तहत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 1 की चुनावी सभाओं के लिए मंचों का निर्माण और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की व्यवस्था करे, और चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 का यह मानना था कि यह निर्देश उनके द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में संबोधित की जाने वाली चुनावी सभाओं पर भी लागू होते थे, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि राज्य सरकार को उन दौरा कार्यक्रमों को भेजने के पीछे का उद्देश्य यही था कि राज्य सरकार प्रतिवादी संख्या 1 की सभाओं के लिए वे सभी व्यवस्थाएं करे। दूसरे शब्दों में, उन दौरा कार्यक्रमों में यह निहित निर्देश शामिल था कि राज्य सरकार को 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को उनके द्वारा संबोधित की जाने वाली चुनावी सभाओं के लिए मंचों का निर्माण और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह माना जाना चाहिए कि इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में और 1971 में उस पद के पांच वर्षों के अनुभव के साथ, प्रतिवादी संख्या 1 को यह भी पता था कि उक्त कार्य राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाना था। वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वयं कहा था कि वह इस बात से अवगत थीं कि स्थायी आदेशों के अनुसार, चुनावी सभाओं सहित सभी सभाओं से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा ही की जानी थीं।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, धारा 123(7) में आने वाले 'प्राप्त करना' शब्द का तात्पर्य केवल निर्वाचित उम्मीदवार की ओर से किसी प्रयास या पहल से है। चूंकि दौरा कार्यक्रम प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय से उनकी अनुमति के साथ भेजे गए थे और उनमें यह निहित निर्देश था कि राज्य सरकार, अन्य बातों के अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 की सभाओं के लिए मंच निर्माण और लाउडस्पीकर की व्यवस्था करे, इसलिए आवश्यक पहल उन्हीं की ओर से हुई थी। इसके अलावा, अपनी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को ज्ञात था कि उपरोक्त व्यवस्थाएं राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा की जाएंगी। व्यवस्थाएं हो जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने 1 फरवरी 1971 की सभी सभाओं में और फिर 25 फरवरी 1971 को संबोधित सभाओं में उनका लाभ उठाया। उन्होंने इन दो तारीखों के बीच उन व्यवस्थाओं को अस्वीकार करने या राज्य सरकार के अधिकारियों को 25 फरवरी 1971 को दोबारा उन्हें करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इन परिस्थितियों में जो एकमात्र उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिनियम की धारा 123(7) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर, राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता 'प्राप्त' की थी।

अगला प्रश्न जो विचार के लिए सामने आता है वह यह है कि क्या यह सहायता प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्राप्त की गई थी।

निर्वाचित क्षेत्र में प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति सबसे पहले एक उम्मीदवार की थी। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी स्थिति उसके बाद आती थी। जो कार्य वह एक उम्मीदवार के रूप में नहीं कर सकती थीं, वही कार्य वह प्रधानमंत्री के रूप में भी नहीं कर सकती थीं। इसलिए, वह अपने चुनाव अभियान में सरकारी अधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थीं। फिर भी हम देखते हैं कि ऐसा किया गया। मंचों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की गईं। उस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग किया गया। जैसा कि पहले दिखाया जा चुका है, कुछ सभाओं में राज्य सरकार के अधिकारियों ने लाउडस्पीकरों के संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था भी की थी। इस प्रकार राज्य सरकार की सहायता इसलिए प्राप्त की गई ताकि प्रतिवादी संख्या 1 चुनाव में अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावी

ढंग से सभाओं को संबोधित कर सकें। यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रतिवादी संख्या 1 की सभाओं में मंच और लाउडस्पीकर की व्यवस्था के साथ राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का जुड़ाव, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के मन में यह प्रभाव डालने की संभावना रखता था कि सरकार प्रतिवादी संख्या 1 की सहायता कर रही है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता प्राप्त की गई थी।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मंचों का निर्माण और लाउडस्पीकरों की व्यवस्था किसी भी तरह से प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव की संभावनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, और परिणामस्वरूप, भले ही यह मान लिया जाए कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता प्राप्त की गई थी, तो भी यह 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में नहीं आता। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया: (1) राज कृष्ण बोस बनाम बिनोद कानूनगो और अन्य (9 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 295, सुप्रीम कोर्ट), (2) सत्य देव बुशहरी बनाम पदम देव और अन्य (10 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 103, पृ. 112 और 117), और (3) चंद्रशेखर सिंह बनाम सरजू प्रसाद सिंह और अन्य (22 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 206, पृ. 217, पटना)। हालाँकि, इन मामलों के अवलोकन पर मैं पाता हूँ कि वे भिन्न हैं। पहले मामले में अदालत ने कहा था कि अधिनियम की धारा 33(2), जैसा कि वह तब अस्तित्व में थी, प्रत्येक व्यक्ति को प्रस्तावक या समर्थक के रूप में उतने ही नामांकन पत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देती थी जितनी रिक्तियाँ भरी जानी थीं। आगे यह भी माना गया कि धारा 123(8) (जो अब धारा 123(7) के अनुरूप है) की व्याख्या धारा 33(2) के साथ सामंजस्य बिठाते हुए की जानी चाहिए और इस प्रकार व्याख्या करने पर, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तावक या समर्थक के रूप में किसी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने का कार्य धारा 123(8) के कुप्रभाव के दायरे में नहीं आएगा। दूसरे मामले में, न्यायालय ने यह माना कि पोलिंग एजेंट द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करने का तथ्य 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में आ सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि जहाँ संबंधित धारा में कुछ व्यक्तियों को 'चुनाव एजेंट' नियुक्त करने पर रोक लगाई गई थी, वहीं 'पोलिंग एजेंटों' की नियुक्ति के संबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। न्यायालय ने पृष्ठ 120 पर आगे कहा:
"यह मानना कि सरकारी कर्मचारी, उस रूप में और एक वर्ग के रूप में, पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हैं, विधि में एक ऐसा अपवाद जोड़ना होगा, जो वहां मौजूद ही नहीं है।"

तीसरे मामले में, निर्वाचित उम्मीदवार का पुत्र, जो निलंबन के अधीन एक पुलिस उप-निरीक्षक था, उसने सर्वश्री एस.के. सिन्हा और मोरारजी देसाई की जीप चलाई थी जब वे चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन क्षेत्र में आए थे, और न्यायालय ने टिप्पणी की थी: —
"डॉ. एस.के. सिन्हा और श्री मोरारजी देसाई की जीप चलाना मात्र, यदि सिद्ध भी हो जाए, तो इसे सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवादी के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए दी गई सहायता नहीं कहा जा सकता। जीप चलाना मात्र उन नेताओं को ले जाने का एक कार्य है जो या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण सदस्य थे, और पुलिस उप-निरीक्षक से, भले ही वह छुट्टी पर रहा हो, यह अपेक्षा की जा सकती थी कि यदि आवश्यकता हो, तो वह उन महत्वपूर्ण नेताओं के प्रति इतनी शिष्टता दिखाए जो सरकार के सदस्य भी थे।"

यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुलिस उप-निरीक्षक ने सीधे तौर पर उम्मीदवार को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी, बल्कि सरकार के सदस्य रहे दो अत्यंत महत्वपूर्ण नेताओं के प्रति शिष्टता के नाते कुछ सेवा की थी। अतः, तथ्यों के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित तीनों में से कोई भी मामला मेरे समक्ष विचाराधीन मामले के समान नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 की ओर भी आकृष्ट किया और यह आग्रह किया कि पूर्व में उल्लिखित निर्देश भारत सरकार द्वारा उन अनुच्छेदों के अंतर्गत अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संसद द्वारा अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था, इसलिए, चाहे पूर्वोक्त निर्देश भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत जारी किए गए हों या नहीं, वे अधिनियम में निहित संसद के अधिदेश को रद्द या प्रभावित नहीं कर सकते।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि देश के प्रधानमंत्री की स्थिति विशेष होती है और यह अनिवार्य है कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, भले ही वह एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में जाएं। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कठोर तरीके से नहीं की जानी चाहिए और उनकी व्याख्या करते समय उस पद को रियायत दी जानी चाहिए। हालाँकि, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मंचों का निर्माण और लाउडस्पीकर की व्यवस्था सुरक्षा से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं है और इसे संबंधित पार्टी द्वारा व्यवस्थित करने की अनुमति आसानी से दी जा सकती थी। लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि मंचों के निर्माण में सुरक्षा शामिल थी, तो भी तथ्य यही रहता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम प्रधानमंत्री या सरकार के किसी अन्य पदाधिकारी के पक्ष में कोई रियायत नहीं देता है। वर्तमान में विद्यमान विधि के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 123(7) में निर्दिष्ट अधिकारियों की सहायता प्राप्त करना एक 'भ्रष्ट आचरण' है, चाहे वह उम्मीदवार कोई सामान्य व्यक्ति हो या सरकार में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति। यदि यह महसूस किया गया कि प्रधानमंत्री के पद के लिए इस मामले में कुछ रियायत दी जानी चाहिए, तो विधायिका को अधिनियम की धारा 123(7) में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था। ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 1 प्रधानमंत्री थीं, उनके द्वारा चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ने 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 की सभाओं को संबोधित करते हुए अपने लिए कोई प्रचार नहीं किया था और उन्होंने केवल पार्टी का प्रचार किया था। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि उन सभाओं में प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई किसी भी सहायता को प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सहायता नहीं माना जा सकता। इस तर्क को एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी संख्या 1 रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार थीं। प्रतिवादी संख्या 1 ने लिखित बयान के प्रस्तर 15(ए) में स्वीकार किया था कि उन्होंने मतदाताओं से 'गाय और बछड़ा' के प्रतीक पर निर्धारित निशान लगाने का अनुरोध किया था। एक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में, वह उनका भी प्रतीक था। इसलिए, जब उन्होंने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से गाय और बछड़े के प्रतीक के सामने अपना निशान लगाने के लिए कहा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने लिए प्रचार किया था।

उपरोक्त सभी बातों के आलोक में, मैं यह मानता हूँ कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को उनके द्वारा संबोधित सभाओं में मंचों के निर्माण और लाउडस्पीकरों के लिए बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों, विशेष रूप से जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. और अभियंता, पनबिजली विभाग की सहायता प्राप्त की थी और आगे यह भी कि उक्त सहायता प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव में उनकी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए थी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 अधिनियम की धारा 123(7) के तहत 'भ्रष्ट आचरण' की दोषी थीं।

तदनुसार, मुद्दा संख्या 3 का उत्तर प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध और याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया जाता है।

मुद्दा संख्या 4 और 7: ये मुद्दें याचिका के प्रस्तर 10 और प्रस्तर 12 में निहित आरोपों से उत्पन्न होते हैं।

प्रस्तर 10 में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव एजेंट श्री यशपाल कपूर और उनकी सहमति से उनके अन्य एजेंटों ने मतदाताओं को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के बीच बड़ी संख्या में रजाई, कंबल और धोती के साथ-साथ शराब का वितरण किया। अनुसूची ए-1 के अनुसार, जिसमें इस भ्रष्ट आचरण का विवरण है, कंबल, धोती, रजाई और शराब का वितरण सलोन, भोन, डलमऊ, हरचंदपुर, सरेनी और लालगंज में किया गया था। याचिका के प्रस्तर 12 में आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव एजेंट श्री यशपाल कपूर और कुछ अन्य एजेंटों और व्यक्तियों ने उनकी सहमति से, 1 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च 1971 को उक्त निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को मुफ्त ले जाने के लिए कई वाहनों को किराए पर लिया और प्राप्त किया। इस भ्रष्ट आचरण का विवरण अनुसूची बी-1 में दिया गया है और उस अनुसूची के अनुसार, यह भ्रष्ट आचरण राही, भोन, सलोन, सरेनी, हरचंदपुर मतदान केंद्रों पर और रायबरेली शहर में स्थित छह मतदान केंद्रों तथा बावन बुजुर्ग में स्थित तीन मतदान केंद्रों पर किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने लिखित बयान में कथित दोनों भ्रष्ट आचरणों के किए जाने से दृढ़तापूर्वक इनकार किया।

याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आरोपों को सिद्ध करने के लिए केवल श्री ए.सी. माथुर (पी.डब्ल्यू. 19) और बुद्धू (पी.डब्ल्यू. 24) का परीक्षण किया।

श्री ए.सी. माथुर (पी.डब्ल्यू. 19) 1 मार्च 1971 को राही मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि उस तारीख को किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम उन्हें याद नहीं था, उन्हें एक आवेदन (कागज संख्या ए-295) सौंपा था और उन्होंने उस आवेदन पर एक पृष्ठांकन किया था। आवेदन (कागज संख्या ए-295) राही मतदान केंद्र पर याचिकाकर्ता के पोलिंग एजेंट शरत कुमार सिंह द्वारा दिया गया प्रतीत होता है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यकर्ता बस संख्या यूपीएफ 214 द्वारा मतदाताओं को ला रहे थे। इस आवेदन पर श्री माथुर द्वारा किया गया पृष्ठांकन प्रदर्श 55 है और वह इस प्रकार है: —

"इस टिप्पणी के साथ प्राप्त किया (?) कि संदर्भित वाहन को मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। फिर भी, आवेदन को क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को अग्रसारित किया जा रहा है।"
याचिकाकर्ता ने शिकायत (कागज संख्या ए-295) के कथित लेखक शरत कुमार सिंह का परीक्षण नहीं किया; और पीठासीन अधिकारी श्री ए.सी. माथुर ने न तो अपने बयान में और न ही उस शिकायत पर किए गए पृष्ठांकन में ऐसा कुछ कहा है जिससे उस शिकायत का समर्थन होता हो। इस प्रकार श्री ए.सी. माथुर के साक्ष्य यह सिद्ध करने में विफल रहते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से मतदाताओं को राहीपुर मतदान केंद्र तक मुफ्त में पहुँचाया गया था।

यह मुझे दूसरे गवाह, अर्थात् बुधू (पी.डब्ल्यू. 24) की ओर ले जाता है। वह गांव भाओन का निवासी है। उसने गवाही दी कि मतदान की तारीख को गांव में एक बड़ी जीप आई, कि लोग कह रहे थे कि वह जीप श्रीमती प्रेमवती की है; कि जीप पर कांग्रेस पार्टी का झंडा और पोस्टर लगे हुए थे; और कि उसने मतदाताओं को ले जाने के लिए 8 या 10 चक्कर लगाए। उसने कहा कि श्रीमती प्रेमवती दोपहर लगभग 3 बजे तक गांव में मौजूद रहीं।

अब, यदि यह सच होता कि बुधू पी.डब्ल्यू. द्वारा आरोपित तरीके से मतदाताओं का परिवहन किया गया था, तो संबंधित मतदान केंद्रों पर याचिकाकर्ता के मतदान एजेंट द्वारा इसके बारे में कुछ शिकायतें की गई होतीं और इसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता था। हालांकि, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, केवल बुधू की मौखिक गवाही को अधिक विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, प्रतिवादी ने बुधू (पी.डब्ल्यू. 24) के साक्ष्य का खंडन करने के लिए कई गवाहों की परीक्षा की। श्रीमती प्रेमवती (आर.डब्ल्यू. 21) खुद गवाह बॉक्स में आईं और शपथ पर बयान दिया कि चुनाव की अवधि के दौरान वह रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आईं और वह लखनऊ शहर निर्वाचन क्षेत्र में श्रीमती शीला कौल के चुनाव से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहीं। यह सच है कि श्रीमती शीला कौल भी कांग्रेस (आर) की उम्मीदवार थीं और प्रतिवादी संख्या 1 की मौसी हैं। हालांकि, यह तथ्य कि श्रीमती प्रेमवती (आर.डब्ल्यू. 21) प्रतिवादी संख्या 1 की चाची के लिए काम कर रही थीं, उनकी गवाही को निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस संबंध में परीक्षित अन्य गवाह हैं गजराज सिंह (आर.डब्ल्यू. 19), निवासी गांव सराय दामू, लालू (आर.डब्ल्यू. 20) भी गांव सराय दामू के निवासी, गंगा (आर.डब्ल्यू. 22) गांव जमालपुर ननकारी के प्रधान, कुइर (आर.डब्ल्यू. 23), गांव जमालपुर ननकारी के एक अन्य निवासी और ठाकुर अंबिका सिंह (आर.डब्ल्यू. 24)। गजराज सिंह और लालू आर.डब्ल्यू. ने कहा कि वे मोहम्मदपुर कुचारी में स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट देने गए थे।

उन्होंने आगे कहा कि वे और उनके गांव के अन्य लोग पैदल चलकर अपना वोट डालने गए थे और यह गलत है कि उनके गांव से किसी मतदाता को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए किसी जीप या ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था। गंगा और कुइर आर.डब्ल्यू. ने गवाही दी कि वे भाओन मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने गए थे। उन्होंने आगे कहा कि वे और उनके गांव के अन्य लोग पैदल मतदान केंद्र गए थे और यह गलत है कि उन्हें मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए किसी वाहन का उपयोग किया गया था। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि बुधू के जिरह में दिए गए बयान के अनुसार, कुइर और गजराज सिंह उन व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें जीप से ले जाया गया था। ठाकुर अंबिका सिंह (आर. डब्ल्यू. 24) का नाम अनुसूची बी-1 में उन व्यक्तियों में से एक के रूप में दिया गया था जो मतदाताओं का परिवहन करते थे। उन्होंने शपथ पर बयान दिया कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी स्थान से किसी मतदाता को किसी मतदान केंद्र तक कभी नहीं पहुंचाया। उपरोक्त साक्ष्य की स्थिति के कारण, मैं पाता हूं कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव एजेंट, या उनकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति ने, किसी मतदान केंद्र तक मतदाताओं को निःशुल्क पहुंचाया।

कंबल, धोती या रजाई वितरित करने के आरोप के समर्थन में, केवल बुधू (पी.डब्ल्यू.

24) ने ही बयान दिया है। उसके अनुसार, मदन मोहन मिश्र और कुछ अन्य व्यक्ति चुनाव से पूर्व की तारीख को उसके गांव में उक्त वस्तुओं को भाओन गांव के मतदाताओं को वितरित करने के लिए आए थे। उसने यह भी दावा किया कि उसे एक धोती मिली थी। उसने आगे कुइर का नाम लिया और कहा कि जमालपुर ननकारी के निवासियों में से वह उनमें से एक था जिसे कपड़ा वितरित किया गया था।

प्रतिवादी ने शीतला बक्स सिंह (आर.डब्ल्यू.15), कुइर (आर.डब्ल्यू. 23) और ठाकुर अंबिका सिंह (आर.डब्ल्यू. 24) की परीक्षा की। याचिका के साथ संलग्न अनुसूची ए-1 के अनुसार, शीतला बक्स सिंह उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंबल आदि वितरित करवाए थे। शीतला बक्स सिंह ने गवाह बॉक्स में आकर शपथ पर इसका खंडन किया। कुइर (आर.डब्ल्यू. 23) ने बुधू (पी.डब्ल्यू. 24) के उस बयान के भाग का खंडन किया जिसमें उसने कहा था कि उसे भी कपड़ा वितरित किया गया था। ठाकुर अंबिका सिंह (आर.डब्ल्यू. 24) क्षेत्र समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने भी निर्वाचन क्षेत्र के किसी भाग में रजाई, कंबल, धोती आदि के वितरण से संबंधित किसी भागीदारी से इनकार किया।

उपरोक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निर्वाचन क्षेत्र में किसी रजाई, कंबल, धोती आदि के वितरण को स्वीकार करने के लिए बुधू की एकाकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुद्दा संख्या 4 और 7 का याचिकाकर्ता के विरुद्ध और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णय किया जाते हैं।

मुद्दा संख्या 10:

लिखित बयान के पैरा 22 में प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि सुरक्षा-जमाराशि नियमों के अनुसार नहीं की गई थी और इसलिए यह मुद्दा है। यह प्रश्न, हालांकि, इस न्यायालय के निर्णय से निष्कर्षित हो चुका है, चुनाव याचिका संख्या 1 / 1971 (ब्रह्म दत्त बनाम परिपूर्ण नंद व अन्य), जो 9 नवंबर 1971 को निर्णय किया गया था। इस मामले में उठाई गई आपत्ति ठीक वैसी ही है जैसी चुनाव याचिका संख्या 1 / 1971 में उठाई गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत मामले को तथ्यों पर ब्रह्म दत्त बनाम परिपूर्ण नंद व अन्य (सुप्रा) मामले से भिन्न होने का कोई कारण दिखाने में असफल रहे हैं। इस न्यायालय के उस मामले के निर्णय के प्रकाश में, मैं पाता हूं कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई सुरक्षा जमाराशि ठीक थी।
इसलिए मुद्दे का याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध उत्तर दिया जाता है।

मुद्दा संख्या 5 व 8:

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल लिखित बयान में तर्क दिया गया था कि पैरा 10 को अनुसूची ए के साथ पढ़ा जाए और पैरा 12 को अनुसूची बी के साथ पढ़ा जाए तो याचिका में भ्रष्ट आचरण के कोई विवरण नहीं दिए गए हैं और इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए।

याचिका के पैरा 10 में निहित आरोप, संक्षेप में, यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव एजेंट और चुनाव एजेंट की सहमति से उनके अन्य एजेंटों ने मतदाताओं को प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करने हेतु निर्वाचन क्षेत्र में रजाई, कंबल, धोती और शराब का स्वतंत्र वितरण किया। अनुसूची ए में उन व्यक्तियों के नाम थे जिन्होंने उक्त वस्तुओं का वितरण किया, उन स्थानों के नाम जहां वे वितरित की गईं। याचिका के पैरा 12 में निहित आरोप यह है कि 1 मार्च 1971, 3 मार्च 1971 और 15 मार्च 1971 को प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव एजेंट और उनकी सहमति से कुछ अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न मतदान केंद्रों तक मतदाताओं के निःशुल्क परिवहन के लिए कई वाहन किराए पर लिए या प्राप्त किए। याचिका के साथ संलग्न अनुसूची बी में उन व्यक्तियों के नाम थे जिन्होंने मतदाताओं का परिवहन किया, उनके द्वारा मतदाताओं के परिवहन के लिए उपयोग किए गए वाहनों के पंजीकरण संख्या, मतदान केंद्रों के नाम जिन तक मतदाताओं को पहुंचाया गया, और वे तारीखें जिन पर वे पहुंचाए गए।

20 सितंबर 1973 के आदेश से, जो माननीय न्यायमूर्ति के.एन. श्रीवास्तव, द्वारा पारित किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह दबाव डाला गया कि मुद्दे संख्या 5 और 8 को प्रारंभिक मुद्दों के रूप में निर्णय किया जाए। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, माननीय न्यायमूर्ति के.एन. श्रीवास्तव ने यह माना कि पैरा 10 और 12 में निहित आरोप कुछ मामलों में अस्पष्ट थे। पैरा संख्या 10 और अनुसूची ए के संबंध में, उन्होंने इंगित

किया कि इसमें यह प्रकट नहीं किया गया था कि:

(i) क्या शराब, कंबल, रजाई और धोती एक ही समय और स्थान पर वितरित की गईं या अलग-अलग; और
(ii) जहां तक सालोन और अनुसूची ए में उल्लिखित अन्य बड़े स्थानों का संबंध है, कथित भ्रष्ट आचरण के किए जाने के स्थानों को विशेष रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए था।
पैरा 12 और अनुसूची बी के संबंध में, माननीय न्यायमूर्ति के.एन. श्रीवास्तव ने इंगित किया कि इसमें निहित आरोप निम्नलिखित तरीके से अस्पष्ट थे:
(1) याचिकाकर्ता को यह विवरण देना चाहिए था कि अनुसूची बी में उल्लिखित कौन सा वाहन प्रतिवादी संख्या 1 के कौन से कार्यकर्ता या एजेंट द्वारा प्राप्त या किराए पर लिया गया था।
(2) मतदाताओं को मतदान केंद्रों से या पर ले जाए जाने वाले केन्द्रों के नाम या प्रकट करने आवश्यक थे।

(3) यह भी प्रकट करना आवश्यक था कि अनुसूची बी में उल्लिखित वाहन ट्रैक्टर, टैक्सी, बस या मोटरकार थे।

प्रतिवादी की ओर से उठाई गई अन्य आपत्तियों को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ निरस्त कर दिया गया:
"अन्य आपत्तियां अस्पष्टता के बारे में तकनीकी प्रकृति की हैं और उनमें कोई बल नहीं है।"
उपरोक्त माननीय न्यायमूर्ति के.एन. श्रीवास्तव द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने बेहतर विवरण प्रस्तुत किए।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को फिर से सुना गया और उसके बाद मेरे द्वारा 29 अगस्त 1974 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया। उस आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा कंबल, रजाई और धोती के वितरण के संबंध में प्रस्तुत विवरण पर्याप्त के रूप में स्वीकार किए गए और उन विवरणों को शामिल करने की अनुमति दी गई। शराब के वितरण के बारे में अन्य आरोप के संबंध में, यह माना गया कि यह अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है और परिणामस्वरूप, याचिका के पैरा 10 के उस भाग को जो शराब के वितरण से संबंधित था, हटाने का आदेश दिया गया।

पैरा 12 में निहित आरोप को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत विवरणों के संबंध में, मेरे समक्ष उठाई गई एकमात्र आपत्ति यह थी कि अनुसूची बी-1 (जिसे अनुसूची बी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना की गई थी) के कॉलम 1 में उल्लिखित अमरेश प्रसाद श्रीवास्तव, जुल्फिकार खान और आनंद कुमार का वर्णन प्रतिवादी को उनकी पहचान निर्धारित करने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उस आपत्ति को स्वीकार किया गया और निर्देश दिया गया कि जबकि अनुसूची बी को प्रार्थना के अनुसार अनुसूची बी-1 से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, उपरोक्त नामों को उससे हटा दिया जाएगा।
29 अगस्त 1974 के आदेश का परिणाम यह है कि उसके बाद याचिका के पैरा 10 और 12 में निहित आरोप, अनुसूची ए-1 और अनुसूची बी-1 के साथ संयुक्त रूप से, किसी अस्पष्टता से ग्रस्त नहीं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी मामले में अंतिम तर्कों के समय यह इंगित करने में असफल रहे कि पैरा 10 और 12, अनुसूची ए-1 और अनुसूची बी-1 के साथ संयुक्त रूप से, अभी भी किसी अस्पष्टता से ग्रस्त हैं। इसलिए मुद्दे 5 और 8 का याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध उत्तर दिया जाता हैं।

मुद्दा संख्या 6:
याचिका के पैरा 11 में आरोप लगाया गया है कि गाय और बछड़े का प्रतीक एक धार्मिक प्रतीक है; कि प्रतिवादी संख्या 1 की पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को उस पार्टी को गाय और बछड़े का प्रतीक आवंटित करने के लिए प्रेरित किया; कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 25 फरवरी 1971 को निर्वाचन क्षेत्र में उनके द्वारा संबोधित प्रत्येक चुनाव सभा में उस धार्मिक प्रतीक का उपयोग किया और उसकी अपील की। आगे आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 25 फरवरी 1971 को भोजपुर, मुरई-का-बाग, लालगंज, सोठी और अन्य स्थानों पर उनके द्वारा संबोधित सभाओं में मतदाताओं से गाय और बछड़े के प्रतीक पर निर्धारित मुहर लगाकर अपना वोट डालने के लिए उकसाया।

उपरोक्त आरोप के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1 ने तर्क दिया कि गाय

और बछड़े का प्रतीक धार्मिक प्रतीक नहीं था न ही इसे हिंदू समुदाय द्वारा ऐसा माना जाता था; कि यह गलत है कि उनकी राजनीतिक पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को उस प्रतीक को उनकी पार्टी को आवंटित करने के लिए प्रेरित किया; कि यह भी गलत है कि 25 फरवरी 1971 को संबोधित किसी भी सभा में उनके द्वारा गाय और बछड़े के धार्मिक प्रतीक का व्यापक उपयोग और अपील की गई। उन्होंने जोड़ा कि अपनी भाषणों के दौरान उन्होंने केवल मतदाताओं को सूचित किया कि गाय और बछड़ा कांग्रेस (आर) का चुनाव प्रतीक है और उस प्रतीक पर वोटिंग चिन्ह लगाया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस संबंध में उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि प्रतीकों के आरक्षण के मामले में निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम था और, गाय और बछड़े का प्रतीक कांग्रेस (आर) को आवंटित होने के कारण, जिस पार्टी से प्रतिवादी संख्या 1 संबंधित थीं, इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत उनकी चुनाव को अवैध घोषित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे के अंतर्गत प्रस्तुत साक्ष्य को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

(1) रघुबर मिथु लाल शास्त्री (पी.डब्ल्यू. 16) और सूर्य बली शुक्ल (पी.डब्ल्यू. 34) की परीक्षा हिंदू धर्म में गाय और बछड़े की स्थिति के बारे में गवाही देने के लिए की गई। संत सरण वेदांती (पी.डब्ल्यू. 33) ने गवाही दी कि वे अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के सदस्य थे। उनकी परीक्षा यह साबित करने के लिए की गई कि 1952 में अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने गाय और बछड़े के प्रतीक को आवंटित करने के लिए आवेदन किया था लेकिन इसे इस आधार पर मना कर दिया गया कि यह एक धार्मिक प्रतीक था। ए.एन. सेन (पी.डब्ल्यू. 54), सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, की परीक्षा यह साबित करने के लिए की गई कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने 1952 के सामान्य चुनाव के लिए गाय और बछड़े के प्रतीक के आवंटन के लिए आवेदन किया था और इसे मना कर दिया गया था।

(2) राम निहोर (पी.डब्ल्यू. 25), राज किशोर सिंह (पी.डब्ल्यू. 26), राम कुमार (पी.डब्ल्यू. 46) दूसरी श्रेणी के गवाह हैं। उनकी परीक्षा यह साबित करने के लिए की गई कि अपनी भाषणों के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि गाय और बछड़ा एक धार्मिक प्रतीक है और इसलिए लोगों को अपना वोट डालते समय उस प्रतीक पर चिन्ह लगाना चाहिए।

दूसरी श्रेणी में उल्लिखित गवाहों के साक्ष्य के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि याचिका में कोई अभिवचन नहीं था कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी किसी चुनाव सभा में अपील की कि गाय और बछड़े का प्रतीक एक 'धार्मिक प्रतीक' है, साक्ष्य अभिवचनों के अनुरूप नहीं है और इसे देखा नहीं जा सकता। मैं पहले ही याचिका में आरोपित बात का उल्लेख कर चुका हूं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसमें केवल इतना कहा गया है कि 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबोधित सभाओं में उन्होंने गाय और बछड़े के धार्मिक प्रतीक का उपयोग किया और उसकी अपील की। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस अपील को करते समय प्रतिवादी संख्या 1 ने कौन से शब्द उपयोग किए। दूसरे शब्दों में, इस बिंदु पर अभिवचन याचिका में अस्पष्ट छोड़ दिए गए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य कि उनके द्वारा संबोधित सभाओं में प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि गाय और बछड़ा एक धार्मिक प्रतीक है और इसलिए लोगों को उस प्रतीक पर चिन्ह लगाना चाहिए, अभिवचनों के साथ सख्ती से अनुरूप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि अभिवचनों में आगे नहीं रखे गए किसी तर्क पर किसी मात्रा में साक्ष्य नहीं देखा जा सकता। प्रतिवादी की ओर से उठाई गई आपत्ति के प्रकाश में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क के समय कहा कि वे अपना मामला केवल गाय और बछड़े के प्रतीक के उपयोग तक सीमित रखते हैं। उन्होंने मामले के उस भाग को छोड़ दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गाय और बछड़े के धार्मिक प्रतीक की अपील की गई थी। इसलिए राम निहोर (पी.डब्ल्यू. 25), राज किशोर सिंह (पी.डब्ल्यू. 26) और राम कुमार (पी.डब्ल्यू. 46) के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, न ही उपरोक्त पी.डब्ल्यू. के साक्ष्य का खंडन करने के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है।

इसलिए, विचार के लिए शेष प्रश्न यह है कि क्या गाय और बछड़े का प्रतीक एक धार्मिक प्रतीक था और चुनाव प्रतीक के रूप में उस प्रतीक का मात्र उपयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण गठित करता था।

संत सरण वेदांती (पी.डब्ल्यू. 33) और ए.एन. सेन (पी.डब्ल्यू. 34) के साक्ष्य को पहले निपटाना सुविधाजनक होगा। संत सरण वेदांती ने केवल इतना कहा कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने 1952 में गाय और बछड़े के चुनाव प्रतीक के लिए आवेदन किया था और निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को यह प्रतीक इस आधार पर देने से मना कर दिया कि यह एक धार्मिक प्रतीक था।

श्री संत सरण वेदांती का यह बयान कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने, अन्य के साथ, 1952 के चुनाव के लिए गाय और बछड़े के प्रतीक के लिए आवेदन किया था, श्री ए.एन. सेन (पी.डब्ल्यू. 54), भारत निर्वाचन आयोग के सचिव के बयान से कुछ समर्थन प्राप्त करता है, जिन्होंने कहा कि भारत में प्रथम सामान्य चुनाव 1951-52 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने "दूध देने वाली गाय बछड़े और दूध दुहने वाली के साथ" प्रतीक के आवंटन के लिए मांगा था। उस रिपोर्ट की एक प्रति श्री ए.एन. सेन द्वारा इस मामले के अभिलेख पर रखी गई थी और उसके अवलोकन से यह दिखता है कि 1952 के चुनावों के लिए अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने उपरोक्त प्रतीक के लिए आवेदन किया था। हालांकि, श्री संत सरण वेदांती अखिल भारतीय राम राज्य परिषद के उक्त प्रतीक के आवंटन के आवेदन पर पारित आदेश की कोई प्रति अभिलेख पर रखने में असफल रहे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से जवाब प्राप्त हुआ था लेकिन वह नहीं पाया था। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि निर्वाचन आयोग से प्राप्त जवाब अंग्रेजी में था और वे न तो अंग्रेजी पढ़ सकते थे न समझ सकते थे। श्री संत सरण वेदांती द्वारा किया गया बयान इसलिए इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण नहीं बनता कि भारत निर्वाचन आयोग ने "दूध देने वाली गाय बछड़े और दूध दुहने वाली के साथ" प्रतीक को इस आधार पर आवंटित करने से मना कर दिया क्योंकि उसने उस प्रतीक को धार्मिक प्रतीक माना था। मेरे ध्यान को भारत में प्रथम सामान्य चुनाव (1951-52) में निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त विचारों की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा:
"आयोग ने निर्णय लिया कि प्रतीक निरक्षर और अज्ञानी मतदाताओं के लिए परिचित और आसानी से पहचानने योग्य होने चाहिए और उन्हें एक-दूसरे से आसानी से भिन्न करने योग्य होने चाहिए और कि कोई वस्तु जिसमें कोई धार्मिक या भावनात्मक संबंध हो, जैसे गाय, मंदिर, राष्ट्रीय ध्वज, चरखा और इसी तरह की, अनुमोदित प्रतीकों की सूची में स्थान नहीं पाएगी।"

मुझे नहीं लगता कि निर्वाचन आयोग द्वारा रखे गए उपरोक्त विचार के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि "दूध देने वाली गाय बछड़े और दूध दुहने वाली के साथ" प्रतीक को वास्तव में निर्वाचन आयोग द्वारा धार्मिक प्रतीक माना गया था और उस आधार पर मना किया गया था। मान लें, हालांकि, कि निर्वाचन आयोग को यह भावना थी कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद द्वारा आवेदित गाय बछड़े और दूध दुहने वाली के साथ प्रतीक धार्मिक प्रतीक था, वह विचार इस न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय को अपने समक्ष रखे गए सामग्री के आधार पर अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालना है और निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त विचार को अपनाना नहीं है।

इसलिए, किसी भी कोण से देखें तो श्री संत सरण वेदांती (पी.डब्ल्यू. 33) का साक्ष्य यह साबित करने में असफल रहता है कि गाय और बछड़ा एक धार्मिक प्रतीक है।

श्री ए.एन. सेन (पी.डब्ल्यू. 54) के साक्ष्य पर आते हुए, जैसा कि पहले कहा गया है, उन्होंने केवल इतना कहा कि 1951-52 के वर्ष के लिए निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने दूध देने वाली गाय बछड़े और दूध दुहने वाली के साथ प्रतीक के लिए आवेदन किया था। श्री सेन द्वारा दाखिल रिपोर्ट आगे दिखाती है कि अखिल भारतीय राम राज्य परिषद को 'उदयमान सूर्य' प्रतीक आवंटित किया गया था, जो उनकी दूसरी पसंद था। श्री ए.एन. सेन के बयान या 1951-52 के वर्ष के लिए निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट से कुछ और साबित नहीं होता। मैं इसलिए मानता हूं कि श्री ए.एन. सेन (पी.डब्ल्यू. 54) का साक्ष्य भी इस बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता कि क्या 1971 के चुनावों के लिए कांग्रेस (आर) को आवंटित गाय और बछड़े का प्रतीक एक धार्मिक प्रतीक था। वास्तव में श्री ए.एन. सेन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने गाय और बछड़े के प्रतीक को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अर्थ में धार्मिक प्रतीक नहीं माना और इसी कारण उस प्रतीक को आयोग द्वारा कांग्रेस (आर) को आवंटित किया गया था।

यह मुझे याचिकाकर्ता द्वारा इस बिंदु पर परीक्षित अन्य दो गवाहों, अर्थात् रघुबर मिथु लाल शास्त्री (पी.डब्ल्यू. 16) और सूर्य बली शुक्ल (पी.डब्ल्यू.

34) की ओर ले जाता है।

रघुबर मिथु लाल शास्त्री ने दावा किया कि वे हिंदू शास्त्रों के विद्वान हैं। वेदों, निरुक्ति, भागवत पुराण, महाभारत आदि का उल्लेख करने के बाद उन्होंने गवाही दी:
"गाय और यहां तक कि गाय की मूर्ति या कोई चित्र और गाय से निकटता से संबंधित वस्तुओं को पवित्र के रूप में हमेशा भगवान के रूप में माना गया है और हिंदुओं द्वारा पूजा गया है।"

अब, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि सभी पुराने शास्त्रों में उपमाओं, रूपकों, रूपक कथाओं और अतिशयोक्तियों का सहारा लिया गया है। पौराणिक कथाओं के विद्वान उन्हें समझते समय इसका उदाहरण देते हैं। श्री रघुबर मिथु लाल शास्त्री द्वारा किए गए बयान को पूर्ण रूप से पढ़ने से यह नहीं दिखता कि गाय को हिंदू पौराणिक कथाओं में मान्यता प्राप्त देवताओं में से एक माना गया है, हालांकि उसे पवित्र और महान श्रद्धा के योग्य माना गया है। यजुर्वेद के अध्याय XXIII के 47वें और 48वें श्लोक का उल्लेख करने के बाद, गवाह ने कहा कि उन श्लोकों के अनुसार, वेद सूर्य के समान प्रकाश हैं, आकाश महासागर के समान झील है, इंद्र पृथ्वी से बड़ा है, लेकिन गाय के लिए कोई माप नहीं है। गाय के लिए कोई माप नहीं होने का बयान मेरी राय में इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता कि गाय भगवान थी। यह बहुत अच्छी तरह से अर्थ कर सकता है कि हिंदू समाज में गाय की उपयोगिता और उपादेयता के लिए कोई माप नहीं था। फिर, यजुर्वेद के दसवें कांड का उल्लेख करने के बाद, गवाह ने कहा कि उसके पहले, दूसरे और तीसरे मंत्रों के अनुसार जो कोई गाय के जन्म पर उसकी पूजा करता है और उसे उसके बालों, उसके खुरों, उसके रंग और उसके स्वरूप सहित पूर्ण रूप से पूजता है, वही गाय को उपहार के रूप में देने के योग्य है। अब, यह फिर से यह नहीं दिखाता कि गाय को भगवान के समकक्ष माना गया था। यह केवल कहता है कि किसी व्यक्ति को गाय उपहार में नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वह उसकी पूजा न करता हो, क्योंकि यदि वह गाय का पूजक नहीं है, तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। फिर गवाह ने ऋग्वेद के मंडल 8 के अध्याय X के श्लोक 101 और मंत्र 151 का उल्लेख किया और कहा कि उस मंत्र का अर्थ है कि गाय 11 रुद्र देवताओं की माता है, 8 वसुओं की पुत्री, 12 आदित्यों की बहन और अमरता या अमृत का केंद्र है। गवाह के अनुसार, मंत्र में आदेश है कि कोई दोष या कमी रहित और साथ ही विनम्र न होने वाली गाय को कभी नहीं मारना चाहिए। अब, यह मात्र तथ्य कि गाय को ऋग्वेद के उपरोक्त भाग में कुछ देवताओं की माता और अन्य की बहन के रूप में वर्णित किया गया है, मेरी राय में इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता कि गाय को भगवान का दर्जा दिया गया था। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि गाय के दूध को अत्यधिक उपयोगी माना गया है और कहा जाता है कि इसमें औषधीय गुण हैं। यह भी कहा जाता है कि जो गाय के दूध पर जीवित रहता है वह लंबी आयु भोगता है। इसलिए, इस मंत्र में कहा गया था कि गाय अमरता या अमृत का केंद्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी कारण से गाय को उपरोक्त मंत्र में रुद्र देवताओं और वसुओं से जोड़ा गया था। भागवत के तीसरे स्कंध के अध्याय XVI के श्लोक 10 का उल्लेख करने के बाद गवाह ने कहा:
"वे लोग जो उच्च आध्यात्मिक ब्राह्मणों, गायों और आश्रयहीन जीवित प्राणियों को, जो मेरे ही भौतिक शरीर हैं, मुझे से भिन्न मानते हुए व्यवहार करते हैं, उन्हें यम के गिद्ध जैसे दूतों द्वारा, जो मुझे प्रतिनिधित्व करते हैं, कष्ट दिया जाएगा।"

हिंदू विश्वास है कि भगवान प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर निवास करता है और विशेष रूप से उनमें जो पवित्र हैं और पवित्र जीवन जीते हैं। यह भी विश्वासों में से एक है कि भगवान उनको देखभाल करते हैं जिनकी कोई देखभाल नहीं करता। इसी अर्थ में भागवत में कहा गया है कि भगवान आध्यात्मिक ब्राह्मणों, गायों और आश्रयहीन जीवित प्राणियों के भीतर निवास करते हैं। यह आदेश देने के लिए कि उनका सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, इसमें आगे कहा गया है कि यदि कोई उन्हें भगवान से भिन्न मानता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गाय स्वयं भगवान थी। वास्तव में श्री रघुबर मिथु लाल शास्त्री ने स्वयं अपनी जिरह के दौरान महत्वपूर्ण रियायतें दीं ताकि उस सिद्धांत को खारिज किया जा सके जिसे उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान प्रतिपादित करने की कोशिश की थी कि हिंदू पौराणिक कथाओं में गाय भगवान है। उन्होंने कहा कि यदि बछड़े की तस्वीर देखकर किसी की दया जागृत होती है तो वह बछड़ा धार्मिक प्रतीक होगा। एक आगे के प्रश्न के जवाब में, उन्होंने कहा कि न केवल बैल बल्कि कोई भी जीवित प्राणी जो दया जगाता है वह धार्मिक प्रतीक है। इस प्रश्न के जवाब में कि पूजा के योग्य होने के अलावा क्या गुण है जो किसी वस्तु को धार्मिक प्रतीक बनाता है, गवाह ने कहा कि यदि कोई चीज या वस्तु जीवन में महान उपयोग की सेवा करती है जैसे मानव जीवन को संरक्षित

करना, तो वह पूजा की वस्तु बन जाती है, और कि अर्थशास्त्र भी इस मामले में भूमिका निभाता है। श्री रघुबर मिथु लाल शास्त्री (पी.डब्ल्यू. 16) द्वारा किए गए बयान पर और विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोहराव के जोखिम पर कहूंगा कि मेरी राय में उनका साक्ष्य इस निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता कि गाय भगवान है और इसलिए, एक धार्मिक प्रतीक।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे डॉ. पट्टाभि राम शास्त्री (आर.डब्ल्यू. 35) के साक्ष्य की ओर भी संदर्भित किया और तर्क दिया कि उनके द्वारा किया गया बयान भी इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में गाय को भगवान माना गया है। इसलिए, मैंने डॉ. पट्टाभि राम शास्त्री (पी.डब्ल्यू. 34) के बयान का भी अवलोकन किया है और मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से सहमत नहीं हूं। डॉ. पट्टाभि राम शास्त्री ने मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि गाय और बछड़े की तस्वीर या चित्र धार्मिक प्रतीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि शास्त्रों में गाय का उल्लेख केवल द्रव्यों (वस्तुओं) में से एक के रूप में किया गया है और वेदों में इसे राष्ट्रीय धन माना गया है। फिर उनसे कुछ शास्त्रों के बारें में पूछा गया ताकि उनसे यह निकलवाया जा सके कि गाय भगवान है। अधिकांश शास्त्र वही थे जिनका डॉ. रघुबर मिथु लाल शास्त्री (पी.डब्ल्यू. 16) द्वारा उल्लेख किया गया था और उन्हें फिर से विस्तार से उल्लेख करना व्यर्थ होगा। डॉ. पट्टाभि राम शास्त्री द्वारा जिरह में किया गया बयान भी इसी निष्कर्ष की ओर ले जाता है, अर्थात् पवित्र शास्त्रों में गाय का श्रद्धा और आदर के साथ उल्लेख किया गया है। यह निश्चित रूप से यह अर्थ नहीं करता कि गाय भगवान है या देवताओं में से एक है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने फिर महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक 'गोसेवा' (राम नारायण चौधरी द्वारा अनुवादित) की ओर संदर्भित किया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा की गई भाग पुस्तक के पृष्ठ 12 पर है और निम्नलिखित है:
"फिर भी सामान्य हिंदुओं के लिये तो गोरक्षा का प्रेम ही हिंदुत्व का मुख्य लक्षण ठहराया है।"

विद्वान अधिवक्ता ने जोर दिया कि महात्मा गांधी एक महान विद्वान थे और उनकी पुस्तक में व्यक्त उपरोक्त विचार भी इस निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए कि हिंदू पौराणिक कथाओं में गाय को भगवान माना गया है। मैं 'गोसेवा' पुस्तक में उपरोक्त शब्दों को वह अर्थ नहीं दे सकता। मेरे विचार में वह भी इससे अधिक कुछ नहीं अर्थ करता कि गाय के प्रति प्रेम रखना हिंदू धर्म के सिद्धांतों में से एक है। वह स्पष्ट रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि लंबे समय से, बल्कि पवित्र शास्त्रों के समय से, हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। जो कुछ भी पवित्र है वह भगवान नहीं बन जाता।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा ख़्वाजा हसन निज़ामी की पुस्तक "गाय की जन बचाने का बयान" का भी संदर्भ दिया गया। विशेष रूप से इस पुस्तक के पृष्ठ 35 तथा 46–47 की सामग्री पर ज़ोर दिया गया। पृष्ठ 35 पर मौलाना अब्दुल हक़ का एक फ़तवा उद्धृत किया गया है। उसमें केवल यह कहा गया है कि गौ-वध इस्लाम की अनिवार्य बातों में से नहीं है, और चूँकि गौ-वध हिंदू धर्म को आहत करता है तथा हिंदू पड़ोसियों को कष्ट पहुँचाता है, इसलिए मुसलमानों के लिए गौ-वध से परहेज़ करना आवश्यक है। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि इस फ़तवे में ऐसा क्या है जिससे यह सिद्ध हो कि गाय भगवान है। इसमें केवल एक मानवीय सिद्धांत का उल्लेख है कि ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो किसी अन्य धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करे। जहाँ तक पृष्ठ 46 और 47 का संबंध है, उनमें बादशाह बाबर के फ़रमान का अनुवाद दिया गया है। इस फ़रमान में बाबर ने अपने पुत्र को यह सलाह दी थी कि वह गौ-वध से परहेज़ करे ताकि वह देश की हिंदू प्रजा का प्रेम और सम्मान प्राप्त कर सके। यह वस्तुतः राजनीति का एक पाठ था जो बादशाह बाबर ने इस फ़रमान के माध्यम से दिया था। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि गाय भगवान है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के दौरान एडवर्ड मूर द्वारा लिखित पुस्तक "हिंदू पैंथियन" (पृष्ठ 78 और 79) का भी उल्लेख किया। पृष्ठ 78 पर यह बताया गया है कि भारत में गाय और उसके बछड़े की मूर्तियों की पूजा की जाती है। पृष्ठ 78 के तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है: "पाठक को यह समझ में आएगा कि गाय कोई महत्वहीन पौराणिक पात्र नहीं है, न ही बैल: बैल को कहीं महादेव का नंदी और दिव्य न्याय का प्रतीक बताया गया है।" पृष्ठ 79 के तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है: "दूध पिलाती गाय हिंदू कलाकारों का पसंदीदा विषय है, जिसे वे रंग, हाथी दांत, पीतल, ओखली आदि में चित्रित करते हैं।" इस पुस्तक के पृष्ठ 78 या 79 पर यह नहीं बताया गया है कि हिंदू धर्म में गाय को देवता माना जाता है।
याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, 1962 संस्करण, खंड II का हवाला दिया, जिसमें हिंदू धर्म का वर्णन करते हुए कहा गया है: -
'कई जानवर, पौधे और प्राकृतिक वस्तुएं अलग-अलग स्तर पर पवित्र मानी जाती हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय गाय है। बैल विशेष रूप से पवित्र है क्योंकि उसका संबंध

प्रकृति से है।भगवान शिव के साथ-साथ गाय भी दिव्य है। लेकिन गाय
स्वयं में दिव्य है और आमतौर पर उसे धरती माता के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाता है।

वेबस्टर के न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में 'दिव्य' शब्द का अर्थ "ईश्वर या ईश्वर से संबंधित; ईश्वर से उत्पन्न; ईश्वर को समर्पित; किसी देवता से संबंधित या उससे उत्पन्न; ईश्वर के समान और दिव्य" दिया गया है। अब, जो कुछ भी ईश्वर से संबंधित है, ईश्वर से उत्पन्न होता है, ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर के समान या दिव्य है, वह स्वयं ईश्वर होना आवश्यक नहीं है। गाय को अपने आप में दिव्य कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि बैल और अन्य पशुओं को किसी ईश्वर से जुड़ाव के कारण पवित्र माना जाता है, गाय को बिना किसी ऐसे जुड़ाव के पवित्र माना जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मोहम्मद हनीफ कुरेशी और अन्य बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1958 सुप्रीम कोर्ट 731, पृष्ठ 744 और 755, पैरा 22) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला भी दिया। विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से पृष्ठ 75 पर दिए गए वाक्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कहा गया है कि गाय को धीरे-धीरे देवत्व का दर्जा दिया गया। हालाँकि, उस वाक्य को उसके संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए, न कि उससे अलग करके। पैरा 22 के आरंभिक भाग में कहा गया है कि वैदिक काल में पशु मांस लोगों का मुख्य भोजन था, और बकरियों, भेड़ों, गायों, भैंसों और यहाँ तक कि घोड़ों को भी भोजन और धार्मिक बलिदान के लिए वध किया जाता था और उनके मांस का उपयोग किया जाता था,देवताओं को अर्पित किया गया। इसके बाद हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ विद्वानों का हवाला देते हुए कहा गया है:
" यद्यपि वैदिक काल में गायों और बैलों को मारने की प्रथा प्रचलित थी, फिर भी ऋग्वेद काल में भी इस प्रथा के प्रति घृणा का भाव विकसित होता दिखाई देता है। गाय को धीरे-धीरे विशेष पवित्रता प्राप्त हो गई और उसे 'अघन्य' (जिसकी हत्या न की जाए) कहा जाने लगा। ऋषियों में विचारकों का एक ऐसा समूह था, जिसने गाय और बैल जैसे उपयोगी पशुओं को मारने की प्रथा का घोर विरोध किया। गायों की बहुत प्रशंसा की गई, जैसा कि ऋग्वेद के छठे खंड, 28वें श्लोक (गाय) से स्पष्ट होता है, जो ऋषि भारद्वाज की पूजा से संबंधित है..."

पैरा 20 को समग्र रूप से पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में गाय और बैल का वध भोजन के साथ-साथ धार्मिक बलिदान के लिए भी किया जाता था। धीरे-धीरे आर्यों ने गाय और बैल की उपयोगिता को समझा, जिसके कारण हिंदू पौराणिक कथाओं में गाय और बैल की उच्च प्रशंसा की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि बैल और गाय के वध को रोकने के लिए, विशेष रूप से गाय की महान उपयोगिता को समझते हुए, यह उपाय हिंदू धर्मग्रंथ में अपनाया गया था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.एच. कुरेशी बनाम बिहार राज्य (उपरोक्त) के फैसले में कही गई कोई भी बात और उसकी रिपोर्ट के पैरा 22 में निहित कोई भी बात यह कहती है कि हिंदू धर्म में गायों को भगवान माना जाता है।

चाहे गाय और बछड़ा धार्मिक प्रतीक हों, वास्तव में इन्हें आम आदमी की समझ के अनुसार ही समझा जाना चाहिए। हमारे देश का आम आदमी हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं की पहचान और स्थिति जानने के लिए वेदों, पुराणों और स्मृतियों का गहन अध्ययन नहीं करता। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गाय, अन्य पशुओं की तरह, अनादि काल से ही विश्व भर में खरीदी-बेची जाती रही है। यह भी सच है कि आम आदमी अक्सर गायों के साथ बुरा बर्ताव करता है। हिंदू धर्म मानने वाले आम आदमी की समझ से परे है कि हिंदू देवी-देवता इतने विनम्र और कमजोर हों कि कोई भी उन्हें अपनी मर्जी से खरीद-बेच सके और उनके साथ दुर्व्यवहार कर सके। फिर, यदि गाय को देवता माना जाए, तो इस ब्रह्मांड में सभी गायों को देवता मानना पाप है। इसलिए तर्कसंगत दृष्टिकोण यह है कि गाय की उपयोगिता को देखते हुए उसका आदर किया जाता है। हालांकि, उसे भगवान या देवता के समान नहीं माना जा सकता।

मामले का एक अन्य पहलू यह है कि धारा 123(3) धार्मिक प्रतीक के उपयोग को भ्रष्ट आचरण बनाती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए गाय एक देवी है और इसलिए गाय का चित्र एक धार्मिक प्रतीक होना चाहिए। प्रश्न यह है कि 'प्रतीक' शब्द का अर्थ क्या है? वेबस्टर के न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार, सामान्य तौर पर 'प्रतीक' का अर्थ एक ऐसी दृश्य वस्तु हो सकता है जो किसी अदृश्य या अमूर्त चीज़ का प्रतिनिधित्व करती हो या उसका संकेत देती हो; यह किसी भी ऐसी चीज़ पर लागू हो सकता है जो किसी अन्य चीज़ के बाहरी संकेत के रूप में कार्य करती हो। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम के अनुसार, 'प्रतीक' का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जिसे किसी अन्य वस्तु में किसी विचार या गुण को दर्शाने या प्रस्तुत करने के लिए चुना जाता है, क्योंकि उनमें से एक या अधिक विशेषताओं या जुड़ाव में समानता होती है।

उपरोक्त शब्द 'प्रतीक' के अर्थ को देखते हुए, गाय और बछड़े की तस्वीर को गाय का प्रतीक नहीं माना जा सकता। इस तर्क के आधार पर भी इसे धार्मिक प्रतीक नहीं माना जा सकता।

गाय और बछड़ा धार्मिक प्रतीक हैं या नहीं, यह मुद्दा भंवर लाल बनाम राम सहाय पांडे और अन्य (ए.आई.आर. 1972 मध्य प्रदेश 176 पृष्ठ 179), चुनाव याचिका संख्या 2/1971 (शीतल प्रसाद मिश्रा बनाम नितिराज सिंह चौधरी), जिसका निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई 1971 को किया और जो मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 1971, भाग 1, पृष्ठ 329 अनुच्छेद 18 से 23 में प्रकाशित हुआ, और श्री प्रसन्ना दास दामोदर देश पलवार बनाम इंदु लाल कन्हैया लाल याजनिक, जिसका निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त 1971 को किया और जो गुजरात राजपत्र में दिनांक 20 जुलाई 1972, भाग IV सी, पृष्ठ 1342, पृष्ठ 1355 से 1362 तक प्रकाशित हुआ, जैसे मामलों में सीधे विचार के लिए आया । तीनों मामलों में सर्वसम्मति से यह माना गया कि गाय और बछड़ा धार्मिक प्रतीक नहीं हैं। गाय धार्मिक प्रतीक है या नहीं, यह मुद्दा शाह जयंती लाल अम्बा लाल बनाम कस्तूरी लाल नागिन दास दोषी (36 चुनाव विधि रिपोर्ट 189); बैजनाथ सिंह वैद्य बनाम रवींद्र प्रताप सिंह (36 चुनाव विधि रिपोर्ट 327); बिशम्भर दयाल बनाम राज राजेश्वर और अन्य (39 चुनाव विधि रिपोर्ट 363, पृष्ठ 376); दिनेश डांगी बनाम दौलत राम (39 चुनाव विधि रिपोर्ट 465, पृष्ठ 476); श्याम लाल बनाम नौसा दीन और अन्य (37 चुनाव विधि रिपोर्ट 67, पृष्ठ 89) के मामलों में अलग-अलग संदर्भों में विचार के लिए आया। बी.पी. मौर्य बनाम प्रकाशवीर शास्त्री (37 चुनाव विधि रिपोर्ट 137 पृष्ठ 147); सहोदर राय बनाम राम सिंह अहरवार और अन्य (37 चुनाव विधि रिपोर्ट 176 पृष्ठ 188); विश्वनाथ प्रसाद बनाम सलामत उल्लाह और अन्य (27 चुनाव विधि रिपोर्ट 145 पृष्ठ 186 के निचले भाग में) और लच्छी राम बनाम जमुना प्रसाद मुखारिया और अन्य (9 चुनाव विधि रिपोर्ट 149 पृष्ठ 157)। इन सभी मामलों में यह माना गया कि गाय धार्मिक प्रतीक नहीं है।

अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश विद्वानों की राय इस बात का प्रबल समर्थन करती है कि गाय और बछड़े का चित्र धार्मिक प्रतीक नहीं है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई मामला प्रस्तुत नहीं कर सके जिसमें इसके विपरीत कोई मत व्यक्त किया गया हो।

अतः मैं यह पाता हूँ कि प्रतिवादी संख्या 1 को सही अपराध करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत किसी भी प्रकार की प्रथा का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने अपने चुनाव चिन्ह के रूप में गाय और बछड़े के चिन्ह का उपयोग किया है या क्योंकि उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र में दिए गए भाषणों के दौरान मतदाताओं से कहा है कि गाय और बछड़ा कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है और उन्हें उस चिन्ह के सामने अपना वोट चिह्न लगाना चाहिए।

अतः, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर याचिकाकर्ता के विरुद्ध और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिया जाता है।

मुद्दा संख्या 9 एवं रिट याचिका .3761 वर्ष 1975:
चुनाव याचिका के पैरा 13 में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और उनके चुनाव एजेंट ने 35,000 रुपये की निर्धारित सीमा से कहीं अधिक व्यय किया और इस प्रकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(6) के तहत भ्रष्ट आचरण किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 और उनके चुनाव एजेंट द्वारा किए गए कुछ व्यय मदों का भी उल्लेख किया है, जिन्हें चुनाव व्यय विवरण में नहीं दिखाया गया है। वे इस प्रकार हैं:

(1)	पैरा 13(1) में निर्दिष्ट वाहनों के किराये शुल्क	-	रु 1,28,700/- से अधिक
(2)	पैरा 13(1) में निर्दिष्ट वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की लागत	-	रु 43,230/- से अधिक
(3)	पैरा 13(1) में निर्दिष्ट वाहनों के चालकों को	-	रु 9,900/- से अधिक
(4)	याचिका के पैरा 13(1) में निर्दिष्ट वाहनों की मरम्मत एवं सर्विसिंग शुल्क	-	रु 5,000/- से अधिक
(5)	चुनाव प्रचार के उद्देश्य से नियुक्त श्रमिकों को किए गए भुगतान	-	रु 6,600/-
(6)	मतदान के दिनों में मतदान केंद्रों के पास मतदान शिविरों के निर्माण पर होने वाला व्यय-		रु 10,000/-
(7)	प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में 1 फरवरी और 25 फरवरी 1971 को आयोजित सार्वजनिक सभाओं के लिए मंचों के निर्माण पर व्यय।	-	रु 1,32,000/-
(8)	प्रतिवादी संख्या 1 की 1 फरवरी		

और 25 फरवरी 1971 को आयोजित
विभिन्न चुनावी सभाओं के लिए
लाउडस्पीकर की व्यवस्था पर व्यय - रू 7,200/- से अधिक

(9) प्रतिवादी संख्या 1 के 1 फरवरी 1971
और 25 फरवरी 1971 को चुनावी सभाओं
को संबोधित करने के लिए वायु सेना के
विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा किए
गए परिवहन पर -व्यय रू 1,68,000/- से अधिक

(10)प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा
फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971
को संबोधित चुनावी सभाओं के स्थानों
तक जाने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग पर
किए गए - व्यय रू 2,00,000/-

(11)प्रतिवादी संख्या 1 की चुनाव सभाओं के
स्थल तक जाने वाले मार्ग पर तैनात
पुलिस बल के सदस्यों को 1.2.1971 और
25.2.1971 को भुगतान किए गए यात्रा एवं वितरण - व्यय रू 1,40,000/-

(12) प्रतिवादी संख्या 1 और उसके
दल को 1 फरवरी 1971 और
25 फरवरी 1971 को उसके चुनावी सभा
स्थल तक ले जाने के लिए
मोटर परिवहन पर - व्यय रू 2,000/- से अधिक है।

प्रतिवादी संख्या 1 का उत्तर उनके लिखित बयान के पैरा 17 में दिया गया है, जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि कथित व्यय में से कोई भी व्यय उनके या उनके चुनाव प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। उपरोक्त क्रमांक 1 पर उल्लिखित मद के संबंध में, उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आर) के तीन संसदीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कुछ वाहनों का उपयोग किया गया था, और यदि कोई किराया शुल्क था, तो वह भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने पार्टी कोष से भुगतान किया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कथित रूप से उपयोग किए गए वाहनों के पंजीकरण क्रमांक लिखित बयान के पैरा 17(ख) में उल्लिखित हैं। उपरोक्त क्रमांक 2, 3 और 4 पर उल्लिखित व्यय मदों के संबंध में, प्रतिवादी ने दलील दी कि इस संबंध में यदि कोई व्यय हुआ है, तो वह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ही किया गया होगा और किसी भी स्थिति में, उन्होंने या उनके चुनाव प्रतिनिधि ने इस संबंध में कोई व्यय नहीं किया है। क्रमांक 5 पर उल्लिखित व्यय मद के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 ने दलील दी कि चुनाव में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्ता पार्टी के सदस्य और पदाधिकारी थे और उन्होंने स्वेच्छा से काम किया था। किसी भी पारिश्रमिक के लिए नहीं। क्रमांक 6 पर उल्लिखित व्यय मद के संबंध में, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने कहा कि मतदान शिविर, जहाँ कहीं भी स्थापित किए गए थे, जिला कांग्रेस कमेटी या मंडल कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यवस्थित किए गए थे, और अधिकांश स्थानों पर स्थानीय कार्यकर्ता दरी, जाजिम आदि लाकर मतदान केंद्रों के पास किसी छायादार पेड़ के नीचे लगाते थे। प्रतिवादी ने आगे कहा कि इस संबंध में न तो उसने और न ही उसके चुनाव प्रतिनिधि ने कोई व्यय किया है और जहाँ भी आवश्यक था, व्यय जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था। क्रमांक 7 पर उल्लिखित व्यय मद के संदर्भ में, उसने दलील दी कि मंच राज्य सरकार के निर्देशानुसार बनाए गए थे और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार, इसके बिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा या तो भुगतान किए जा चुके हैं या किए जाएंगे। उसने आगे कहा कि इस संबंध में न तो उसने और न ही उसके चुनाव प्रतिनिधि ने कोई व्यय किया है। क्रमांक पर उल्लिखित व्ययों के संदर्भ में क्रमांक 8, प्रतिवादी नंबर 1 ने दलील दी कि लाउडस्पीकर की व्यवस्था रायबरेली की जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की गई थी और बिलों का भुगतान उन्होंने अपने स्वयं के फंड से किया था। उन्होंने इस संबंध में अपने या अपने चुनाव प्रतिनिधि द्वारा किसी भी राशि के भुगतान से इनकार किया। क्रमांक 9 पर उल्लिखित व्यय मद के संबंध में, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दलील दी कि उनकी हवाई यात्राओं का खर्च अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा या तो चुका दिया गया है या चुकाया जाएगा। क्रमांक 10 पर उल्लिखित व्यय मद के संबंध में, प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दलील दी कि इस संबंध में सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा स्वेच्छा से, अपने कर्तव्य के भाग के रूप में की गई थीं और खर्च भी उन्हीं द्वारा वहन किया गया था। यह भी कहा गया कि किसी भी स्थिति में उन्होंने या उनके चुनाव प्रतिनिधि ने इस संबंध में कोई खर्च

नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया कि अनुच्छेद 13 और उसके उप-अनुच्छेदों में उसके द्वारा लगाए गए किसी भी खर्च को वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 या उसके चुनाव एजेंट द्वारा वहन किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, उसके द्वारा लगाए गए अधिकांश मदों पर खर्च उस राजनीतिक दल द्वारा किया गया था जिससे वह संबंधित थी, और सर्वोच्च न्यायालय के कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 308) मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर, उन खर्चों को प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव खर्चों में जोड़ा जाना चाहिए। मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया (पृष्ठ 316 पर) कॉलम 1):-
"जब किसी उम्मीदवार का समर्थन करने वाली राजनीतिक पार्टी उसके चुनाव से संबंधित व्यय करती है, जो सामान्य पार्टी प्रचार पर किए गए व्यय से भिन्न होता है, और उम्मीदवार न केवल इसका लाभ उठाता है या कार्यक्रम या गतिविधि में भाग लेता है या व्यय को अस्वीकार करने में विफल रहता है या उस पर सहमति देता है या उसमें मौन स्वीकृति देता है, तो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, यह अनुमान लगाना उचित होगा कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक पार्टी को ऐसा व्यय करने के लिए अधिकृत किया था और वह यह कहकर सीमा के कठोर नियम से बच नहीं सकता कि उसने व्यय नहीं किया है, बल्कि उसकी राजनीतिक पार्टी ने किया है।"
आगे चलकर (पृष्ठ 316, कॉलम 2 पर) फिर से कहा गया: -

" सबसे पहले, एक राजनीतिक दल अपने सामान्य प्रचार पर अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यय करने के लिए स्वतंत्र है, हालांकि, निश्चित रूप से, इस क्षेत्र में भी कुछ सीमा निर्धारित करना अत्यंत वांछनीय है, साथ ही व्यय विवरण दाखिल करना और जांच एवं कार्रवाई के लिए एक स्वतंत्र तंत्र का होना भी आवश्यक है। केवल तभी व्यय पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जब वह किसी उम्मीदवार के चुनाव से संबंधित हो। उस उम्मीदवार के व्यय में इसे शामिल किया जा सकता है क्योंकि यह उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत किया गया है।"

उपरोक्त मामले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में कांग्रेस (आर) द्वारा डी.सी.सी., पी.सी.सी. या ए.आई.सी.सी. के माध्यम से किए गए व्यय की मदों को प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव व्यय में जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि रिटर्न (प्रदर्श 5) में दर्शाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यदि यह पाया जाता है कि कुल राशि 35,000 रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक है, तो प्रतिवादी संख्या 1 का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए।

कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 जारी किया गया था, जिसे बाद में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे आगे संशोधन अधिनियम कहा जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में दो स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। स्पष्टीकरण 1 इस प्रकार है:
"किसी भी न्यायालय के किसी भी विपरीत निर्णय, आदेश या फैसले के बावजूद, किसी राजनीतिक दल द्वारा किसी उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में किया गया या अधिकृत कोई भी व्यय किसी पार्टी द्वारा या किसी अन्य संघ या व्यक्तियों के समूह द्वारा या किसी व्यक्ति (उम्मीदवार या उसके चुनाव प्रतिनिधि के अलावा) द्वारा किया गया व्यय, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उम्मीदवार या उसके चुनाव प्रतिनिधि द्वारा चुनाव के संबंध में किया गया या अधिकृत व्यय नहीं माना जाएगा और न ही कभी माना जाएगा।

बशर्ते कि इसमें कुछ भी शामिल न हो यह स्पष्टीकरण प्रभावित करेगा:

(क) सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय, आदेश या फैसला जिसके द्वारा लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए किसी उम्मीदवार का चुनाव लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (13 ऑफ 1974) के प्रारंभ होने से पहले शून्य घोषित या निरस्त कर दिया गया हो।

(ख) किसी उच्च न्यायालय का कोई निर्णय, आदेश या फैसला जिसके द्वारा उक्त अध्यादेश के लागू होने से पहले किसी ऐसे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य घोषित या रद्द कर दिया गया हो, यदि ऐसे निर्णय, आदेश या फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील लागू होने से पहले दायर नहीं की गई हो और ऐसी अपील दायर करने की समय सीमा लागू होने से पहले समाप्त हो गई हो।"

याचिकाकर्ता का मानना था कि संशोधन अधिनियम संवैधानिक रूप से अमान्य था। इस बात पर संदेह होने के कारण कि क्या चुनाव याचिका के तहत संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 3761/1975 दायर की, जिसमें भारत संघ और श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी (चुनाव याचिका की प्रतिवादी संख्या 1) को प्रतिवादी बनाया गया। रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने सबसे पहले चुनाव याचिका के पैरा 13 को उद्धृत किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किए गए अघोषित व्यय के संबंध में आरोप थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान के पैरा 17 को पूर्ण रूप से उद्धृत किया, जिसमें चुनाव याचिका के पैरा 13 में निहित आरोपों का उत्तर था। याचिकाकर्ता ने फिर चुनाव याचिका की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दिया और पैरा 16 में कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 (चुनाव याचिका के) द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति और दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने चुनाव याचिका में किए गए अघोषित व्यय के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने मिलकर 35,000 रुपये की अनुमेय सीमा से कहीं अधिक व्यय किया और यह संपूर्ण व्यय प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था। इसके बाद कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है। संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम के संबंध में। संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान को याचिका में उद्धृत किया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उन आधारों का उल्लेख किया है जिन पर उसने संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

(i) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (संख्या 13 वर्ष 1974) और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 (संख्या 58 वर्ष 1974) को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया जाए।

(ii) प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त अध्यादेश और उक्त अधिनियम पर किसी भी प्रकार का भरोसा रखने से रोकने के लिए एक रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए।

याचिका में दोनों प्रतिवादियों की ओर से प्रतिवाद दाखिल किए गए हैं, जिनमें संशोधन अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध बताया गया है। भारत संघ की ओर से विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इसकी संवैधानिक वैधता का समर्थन किया। बिहार राज्य बनाम हरदत्ता मिल्स (ए.आई.आर. 1960 सुप्रीम कोर्ट 378) के मामले में यह टिप्पणी की गई थी:
"उन मामलों में जहां वैधानिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी जाती है संवैधानिक आधारों पर, यह आवश्यक है कि पहले तथ्यों को स्पष्ट और सुनिश्चित किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि विवादित प्रावधान लागू होते हैं या नहीं; यदि वे लागू होते हैं, तो इसकी वैधता को लेकर संवैधानिक चुनौती की जांच और निर्णय किया जाना चाहिए। लेकिन यदि स्वीकार किए गए या सिद्ध किए गए तथ्य विवादित प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं, तो उक्त प्रावधानों की वैधता के मुद्दे पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले में उक्त प्रश्न पर कोई भी निर्णय केवल सैद्धांतिक होगा। न्यायालय संवैधानिक मुद्दों को केवल सैद्धांतिक महत्व के मामलों के रूप में तय करने से बचते हैं और उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए।

बारसी नगर पालिका बनाम लोकमान्य मिल्स (ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1021) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की:
"अदालतों की यह एक बुद्धिमानी भरी परंपरा है कि यदि मामले का निपटारा अन्य पर किया जा सकता है तो वे संवैधानिक प्रश्न पर निर्णय नहीं लेती हैं।"

उपरोक्त संदर्भ में, यह उचित होगा कि याचिकाकर्ता के व्यय संबंधी मामले पर पहले विचार किया जाए, यह मानते हुए कि संशोधन यह अधिनियम अस्तित्व में नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (उपरोक्त) मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 की व्याख्या को स्वीकार करते हुए, यदि याचिकाकर्ता के मामले की इस प्रकार जांच करने के बाद यह पाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव के संबंध में कांग्रेस (आर) द्वारा किए गए व्यय, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने रिटर्न (प्रदर्शनी 5) में दर्शाए गए व्यय सहित, 35,000 रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों की आगे जांच करना आवश्यक होगा। साथ ही, इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी और कांग्रेस (आर) से स्वतंत्र रूप से किए गए व्यय को उम्मीदवार के व्यय में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। यदि यह पाया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव के संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया

गया व्यय यदि याचिकाकर्ता द्वारा रिटर्न (प्रदर्शनी 5) में दर्शाए गए चुनाव व्यय सहित व्यय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का कोई अवसर नहीं होगा। याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए प्रत्येक व्यय मद की जांच करने से पहले, सबूत के बोझ के संबंध में कानूनी स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यह हमेशा माना गया है कि भ्रष्ट आचरण का आरोप मूल रूप से आपराधिक आरोप के समान है और इसलिए प्रमाण का मानक वही है जो कि एक अन्य मामले में आपराधिक मुकदमा होता है। अतः, अभियोक्ता पर यह गंभीर और भारी दायित्व है कि वह आरोप के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट, असंदिग्ध और निर्विवाद साक्ष्यों द्वारा उचित संदेह से परे सिद्ध करे। भ्रष्टाचार का आरोप मात्र संभावनाओं के संतुलन से सिद्ध नहीं किया जा सकता है और यदि साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद न्यायालय के मन में उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो यह माना जाना चाहिए कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। देखें रज़िक राम बनाम जे. एस. चौहान (ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 667, पैरा 15 और 16), रहीम खान बनाम खुर्शीद अहमद (ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 290), मगराज पटोदिया बनाम आर.के.बिरला (ए.आई.आर. 1971 सुप्रीम कोर्ट 1295), मोहन सिंह बनाम धनवारी लाल (ए.आई.आर. 1964 सुप्रीम कोर्ट 1366, पैरा 12) और जगदीश सिंह बनाम प्रताप सिंह (ए.आई.आर. 1965 सुप्रीम कोर्ट 183)।

इस प्रकार साक्ष्य के भार के संबंध में कानूनी स्थिति पर ध्यान देने के बाद, मैं अब व्यय की प्रत्येक मद पर विचार करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, जो याचिकाकर्ता द्वारा अब लिए गए रुख के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव के संबंध में कांग्रेस पार्टी या सरकार द्वारा वहन की गई थी।

1. वाहनों के किराये के शुल्क।

याचिकाकर्ता के अनुसार, 32 वाहन, जिनके पंजीकरण क्रमांक निर्दिष्ट किए गए हैं, चुनाव प्रचार के उद्देश्य से किराए पर लिए गए थे और उनका उपयोग किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 के लिए और इस संबंध में 1,28,700 रुपये से अधिक का व्यय हुआ था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, प्रतिवादी संख्या 1 ने इस आरोप का खंडन किया, लेकिन यह भी कहा कि रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आर) के चुनाव कार्य के लिए तीन संसदीय क्षेत्रों, रायबरेली, अमेठी (जो सुल्तानपुर जिले और आंशिक रूप से रायबरेली जिले में स्थित है) और राम सनेही घाट (जो बाराबंकी जिले और आंशिक रूप से रायबरेली जिले में स्थित है) में 23 वाहनों (जिनके पंजीकरण नंबर लिखित बयान के पैरा 17(ख) में दिए गए हैं) का उपयोग किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे यह दलील दी कि इन वाहनों का किराया, यदि कोई हो, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अपने स्वयं के कोष से पार्टी कार्य के रूप में भुगतान किया गया था, क्योंकि इन्हें जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पार्टी कार्य के लिए किराए पर लिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यह साबित करने के लिए कि चुनाव याचिका में निर्दिष्ट 32 वाहन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा या उसकी ओर से चुनाव कार्य के लिए किराए पर लिए गए थे या उपयोग में लाए गए थे। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित बयान में किए गए स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया है और उसकी ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान में उल्लिखित 23 वाहनों को किराए पर लेने पर हुए खर्च को प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा करने से पहले याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा।

दो बातें:
(i) लिखित बयान के पैरा 17(ख) में उल्लिखित 23 वाहन किराए पर लिए गए थे;
(ii) कि उन 23 वाहनों का उपयोग प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था, न कि सामान्य पार्टी प्रचार के लिए।

मुद्दा संख्या उठाते हुए। (i) के ऊपर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आयोजित स्थिति को देखते हुए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं हो सकती है जो प्रतिवादी संख्या 1 के निर्वाचन क्षेत्र के भीतर चुनाव कार्य के लिए बिना कुछ शुल्क लिए अपने वाहनों की पेशकश कर सकते हैं। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लिखित बयान में यह स्वीकार नहीं किया गया है कि उसके द्वारा संदर्भित 23 वाहन जिला कांग्रेस समिति द्वारा किराए पर प्राप्त किए गए थे। केवल यह दलील दी गई है कि उन्हें चुनाव के प्रयोजनों के लिए जिला कांग्रेस समिति द्वारा लगाया गया था या उनका उपयोग किया गया था। किराए के आरोपों का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 ने लिखित बयान में यह कहते हुए अपने बयान को योग्य ठहराया कि इस तरह के शुल्क, यदि कोई हो, जिला कांग्रेस समिति द्वारा भुगतान किए गए थे। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 के लिखित बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर याचिकाकर्ता यह तर्क देने के लिए भरोसा कर सके कि लिखित बयान में संदर्भित सभी 23 वाहन किराए पर प्राप्त किए गए थे, और कोई भी वाहन मुफ्त नहीं प्राप्त किया गया था।
प्रतिवादी नंबर 1 ने वाहनों के पंजीकरण नंबरों का खुलासा किया था

लिखित बयान में और, परिणामस्वरूप, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उसके लिए इस बिंदु पर कोई सबूत जोड़ना असंभव था कि क्या वाहन किराए पर प्राप्त किए गए थे या वे, या उनमें से कोई भी, मुफ्त प्राप्त किया गया था। एक बार जब याचिकाकर्ता के पास वाहनों की पंजीकरण संख्या थी, तो वह संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से उसके मालिकों के नाम का पता लगा सकता था और वह यह साबित करने के लिए उनमें से कम से कम कुछ की जांच कर सकता था कि वाहन किराए पर या मुफ्त में प्राप्त किए गए थे या नहीं। याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया है और न ही उसने उस चूक के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया है।

याचिकाकर्ता को यह भी साबित करना था कि किराए के शुल्क की दर क्या थी जिसके लिए वाहन प्राप्त किए गए थे और उन्हें किस अवधि के लिए प्राप्त किया गया था। याचिकाकर्ता अपने लिखित बयान में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संदर्भित वाहनों के मालिकों की जांच करके भी इस तथ्य को आसानी से साबित कर सकता है। याचिकाकर्ता कुछ अन्य व्यक्तियों की भी जांच कर सकता है, जिनके सामने वाहनों के मालिकों और जिला कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि के बीच किराए की दर और उस अवधि के बारे में समझौता हो सकता है जिसके लिए वाहन प्राप्त किए गए थे। कहने की जरूरत नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त तथ्य को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

दूसरे मुद्दे को लेते हुए यह देखा गया है

कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (सुप्रा) के मामले में कि किसी उम्मीदवार को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल द्वारा किए गए खर्च को उम्मीदवार के खर्च में केवल तभी जोड़ा जाएगा जब यह उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में किया गया हो, जैसा कि सामान्य पार्टी प्रचार पर खर्च से अलग है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक राजनीतिक दल अपनी सामान्य पार्टी के प्रचार पर अपनी पसंद का कोई भी खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए यह साबित करना आवश्यक था कि लिखित बयान के पैरा 17 (बी) में संदर्भित 23 वाहनों का उपयोग प्रतिवादी के चुनाव के संबंध में किया गया था, न कि सामान्य पार्टी प्रचार पर। 24 यह दोनों ओर स्वीकार किया जाता है कि अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा और राम सनेही घाट निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा भी रायबरेली जिले में आता है। इसलिए, यह असंभव नहीं है कि वाहनों का उपयोग तीन उम्मीदवारों के लाभ के लिए सामान्य पार्टी प्रचार के लिए किया गया था, बिना प्रचार विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ था। जाहिर है, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कई लोगों ने चुनाव की अवधि के दौरान वाहनों को चलते देखा होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए अदालत को यह इंगित करने के लिए कुछ गवाहों की जांच करना असंभव नहीं था कि क्या वाहनों का उपयोग केवल पार्टी प्रचार के लिए किया गया था या उनका या उनमें से किसी का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की उस बिंदु पर कोई प्रकाश डालें, न ही उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुझे दस्तावेजों (Exhs. ए-10, ए-42 और ए-43) के आधार पर यह तर्क देने के लिए कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने लिखित बयान में संदर्भित 23 वाहन वास्तव में लगे हुए थे और उसके चुनाव के संबंध में उपयोग किए गए थे। एक्स। ए-10 23 फरवरी 1971 को दल बहादुर सिंह, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, रायबरेली द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली को भेजे गए पत्र की प्रति है, जिसमें सूचित किया गया है कि उस पत्र में निर्दिष्ट 23 वाहनों को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रायबरेली, अमेठी और राम सनेही घाट निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कार्य के लिए लगाया गया था। यह प्रार्थना की गई थी कि वाहनों को बेरोकटोक किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इसलिए श्री दल बहादुर सिंह ने मूल पत्र पर श्री यशपाल कपूर (आरडब्ल्यू 32) के लिए एक नोट लिखा। यह नोट Exh है। ए-43. इस नोट के माध्यम से श्री दल बहादुर सिंह ने श्री यशपाल कपूर से अनुरोध किया कि वे अपने पत्र की तर्ज पर जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र भेजें। ए-10) ने उनसे अनुरोध किया कि, चूंकि उनके पत्र में निर्दिष्ट वाहनों को जिला कांग्रेस समिति द्वारा लगाया गया था, इसलिए उन्हें गलत ठहराया जा सकता है। इस नोट में यह भी उल्लेख किया गया था कि श्री दल बहादुर सिंह ने अन्य दो निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों से संपर्क करने की कोशिश की थी।

अमेठी और राम सनेही घाट, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। एक्स। ए-42 श्री यशपाल कपूर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया पत्र है, जिसमें 23 फरवरी 1971 के पत्र में निहित प्रार्थना को दोहराया गया है। (क-10) श्री दल बहादुर सिंह द्वारा भेजा गया। पत्र में वाहनों के पंजीकरण नंबर निर्दिष्ट किए गए थे और यह आग्रह किया गया था कि चूंकि रायबरेली, अमेठी और राम सनेही घाट निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कार्य के लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वाहनों को लगाया गया था, इसलिए उन्हें बेकायदेशीर बनाया जा सकता है। इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने मुझे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 का उल्लेख किया। (1) इसके तहत राज्य सरकार को उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए चुनाव में आवश्यक किसी भी वाहन, पोत आदि की मांग करने की शक्ति प्रदान की गई है। परंतुक उप-सेक में जोड़ा गया है। (1) में कहा गया है कि ऐसे चुनाव में मतदान पूरा होने तक इस उप-धारा के तहत किसी भी वाहन, जहाज या जानवर का उपयोग किया जा रहा है, जिसका किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा ऐसे उम्मीदवार के चुनाव से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए वैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 में निहित प्रावधान के मद्देनजर, धारा 160 की उप-धारा (1) के तहत सरकार द्वारा अयोग्य वाहनों को केवल इस आधार पर जारी किया जा सकता है कि वे किसी विशेष उम्मीदवार द्वारा लगाए गए थे और उनका उपयोग किया जा रहा था। यह आग्रह किया गया था कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव एजेंट श्री यशपाल कपूर ने जिला निर्वाचन अधिकारी वाहनों को जारी करने के लिए, यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि वाहन लगे हुए थे और प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में इस्तेमाल किए जा रहे थे। 50सतही तौर पर दिखने वाला तर्क काफी आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन यह सावधानीपूर्वक जांच नहीं करता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, श्री दल बहादुर सिंह ने सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को वाहनों को छोड़ने के लिए एक पत्र लिखा था। उस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रायबरेली जिले के भीतर आने वाले तीन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कार्य के लिए जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा वाहनों को लगाया गया था और परिणामस्वरूप उन्हें छोड़ा जा सकता है। हालांकि, धारा 160 में निहित जनादेश यह था कि उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा मांगे गए वाहनों को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता था जब तक कि यह न दिखाया जाए कि वे किसी उम्मीदवार द्वारा लगाए गए थे या उपयोग किए जा रहे थे। इसलिए, श्री दल बहादुर सिंह के पास श्री यशपाल कपूर से अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे वाहनों को छोड़ने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को उनके नाम से एक पत्र भेजें। यह उनके नोट में भी इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है (Exh. श्री यशपाल कपूर को ए-43 श्री दल बहादुर सिंह ने स्पष्ट रूप से बताया कि वाहन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लगाए गए थे। पत्र के अंत में यह उल्लेख किया गया है:

आप से निवेदन है की जिला निर्वाचन अधिकारी को उकता पत्र भविष्य लिख देवेन लोकसभा क्षेत्र का काम चुना जो की जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से चल रहा है ना हो जावे।

यह अनुरोध केवल श्री यशपाल कपूर से क्यों किया गया था, यह भी नोट द्वारा स्पष्ट किया गया है। ए-43) में कहा गया है कि अन्य दो निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों से संपर्क करने का प्रयास किया गया था लेकिन यह संभव नहीं हो सका और इसलिए श्री यशपाल कपूर से अनुरोध किया गया था। पत्र का अवलोकन (Exh. श्री यशपाल कपूर द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए ए-42 (ए-42) से पता चलेगा कि उस पत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उस पत्र में उल्लिखित 23 वाहनों को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रायबरेली, अमेठी और राम सनेही घाट निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कार्य के लिए लगाया गया था। यह निहितार्थ से भी उल्लेख नहीं किया गया था कि वाहन प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में लगे हुए थे। श्री यशपाल कपूर क्रॉस (आरडब्ल्यू 32) से इस बिंदु पर जिरह की गई और उन्होंने कहा कि सूची में निर्दिष्ट वाहन Exh. जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तीन संसदीय क्षेत्रों में ए-42 का उपयोग किया गया था। उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 में निहित प्रावधान का सामना नहीं करना पड़ा और उनसे विशेष रूप से पूछताछ नहीं की गई कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को वाहनों को छोड़ने के लिए एक पत्र क्यों लिखा यदि वे काम पर नहीं लगाए गए थे और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था

प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव कार्य के साथ। मुझे नहीं लगता कि दस्तावेज़ Exhs. ए-10, ए-42 और ए-43 यह

निष्कर्ष निकालने के लिए एक सुरक्षित आधार बन सकते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में 23 वाहनों को लगाया गया था या उनका उपयोग किया गया था। मैं स्वीकार करता हूं कि पत्र Exh. ए-42, श्री यशपाल कपूर द्वारा वाहनों को छोड़ने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया, एक संदेह पैदा करता है कि उन वाहनों या उनमें से अधिकांश का उपयोग संभवतः प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था। 68 यह और भी अधिक है क्योंकि श्री यशपाल कपूर के अनुसार, उनके पास अपने अनन्य उपयोग के लिए केवल एक ही वाहन था। उनके अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किसी अन्य वाहन का विशेष रूप से उपयोग नहीं किया गया था। यह वास्तव में बहुत विश्वसनीय नहीं लगता है कि, प्रतिवादी नंबर 1 जैसे उम्मीदवार के लिए, केवल एक वाहन का उपयोग विशेष रूप से उसके चुनाव कार्य के लिए किया गया होगा। फिर भी, तथ्य यह है कि संदेह, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। तदनुसार, मैं उपरोक्त तीन दस्तावेजों के आधार पर यह अनुमान लगाने से इनकार करता हूं कि पत्रों में उल्लिखित 23 वाहनों (Exh.A-10 और Exh. A-42) का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव कार्य के संबंध में किया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे आग्रह किया कि याचिकाकर्ता के लिए यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चुनाव कार्य के संबंध में जिला कांग्रेस समिति द्वारा कितने वाहन किराए पर लिए गए थे और कितनी राशि के लिए, जिला कांग्रेस समिति के चुनाव खर्च को बुलाना था। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि, इस अंत को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने मोहन लाल त्रिपाठी (पीडब्ल्यू 59) को चुनाव खर्च के साथ तलब किया और श्री त्रिपाठी ने एक रजिस्टर (नंबर 1 के रूप में चिह्नित) दायर किया है जिसमें खर्चों का विवरण है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि चुनाव कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों पर जिला कांग्रेस समिति द्वारा खर्च की गई राशि के बारे में उस रजिस्टर में निहित प्रविष्टियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, श्री मोहन लाल त्रिपाठी (पीडब्ल्यू 59) के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

श्री मोहन लाल त्रिपाठी (पी.डब्ल्यू. 59) जिला कांग्रेस कमेटी, रायबरेली के वर्तमान महासचिव हैं। उन्होंने दो रजिस्टर दायर किए और, केवल आसान संदर्भ के लिए, उन्हें रजिस्टर नंबर 1 और रजिस्टर नंबर 2 के रूप में चिह्नित किया गया। श्री मोहन लाल त्रिपाठी के अनुसार, रजिस्टर नंबर 1 में रायबरेली जिले के भीतर सभी तीन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव के संबंध में किए गए खर्च से संबंधित प्रविष्टियां शामिल हैं। हालांकि, श्री मोहन लाल त्रिपाठी ने आगे भी गवाह कठघरे में नकारात्मक रवैया दिखाया ताकि रजिस्टर में निहित प्रविष्टियों को विधि के अनुसार साबित होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि चूंकि रजिस्टर पांच साल पुराना है, इसलिए वह यह नहीं बता सकते कि प्रविष्टियां किसने की हैं। इसके बाद उनके सामने पूछा गया कि क्या प्रविष्टियां श्री गया प्रसाद शुक्ल के हाथ में हैं और उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने गया प्रसाद शुक्ल को लिखते हुए देखा था, लेकिन वह यह नहीं कह सकते कि क्या रजिस्टर में प्रविष्टियां उसके हाथ में थीं। रजिस्टर नंबर 1 में प्रविष्टियों की जांच के बदले दो अलग-अलग स्थानों पर किसी व्यक्ति के आद्याक्षर होते हैं। इसलिए, गवाह से पूछा गया कि क्या वह उन आद्याक्षरों की पहचान कर सकता है और उसने कहा कि वह नहीं कर सकता। इस प्रकार श्री मोहन लाल त्रिपाठी ने न तो स्वयं रजिस्टर में प्रविष्टियों को साबित किया और न ही उन्होंने याचिकाकर्ता या न्यायालय को उन प्रविष्टियों को साबित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने में सक्षम बनाने के लिए कोई जानकारी प्रदान की।

बहस के समय, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता ने रजिस्टर नंबर 1 में चार क्रेडिट प्रविष्टियों को स्वीकार करने और उन्हें प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा चार प्रविष्टियों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रविष्टियों की शुद्धता को स्वीकार कर लिया है और परिणामस्वरूप, पूरी प्रविष्टियों को ध्यान में रखने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। रजिस्टर नंबर 1, तकनीकी रूप से बोलते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 का दस्तावेज नहीं है। इसे याचिकाकर्ता के कहने पर याचिकाकर्ता के दस्तावेज के रूप में अदालत में पेश किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए इसे आंशिक रूप से स्वीकार करना खुला था, और प्रतिवादी नंबर 1 ने इसमें चार प्रविष्टियों को प्रदर्शित करके यही किया है। उस खाते पर यह नहीं कहा जा सकता है

कि रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां साबित की जाएं।

चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्वीकार की गई चार प्रविष्टियों वाला रजिस्टर साबित नहीं हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उस रजिस्टर से कोई मदद नहीं ली जा सकती है ताकि संबंधित वाहनों को किराए पर लेने पर जिला कांग्रेस समिति द्वारा किए गए खर्च को साबित किया जा सके।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने लेक्सान खर्चों का मूल खाता अदालत में दाखिल नहीं किया। यह भी आग्रह किया गया था कि श्री यशपाल कपूर के स्वयं के प्रवेश पर खाता श्री गया प्रसाद शुक्ला द्वारा रखा गया था, और श्री दल बहादुर सिंह चुनाव कार्य के समग्र प्रभारी थे, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 ने उन गवाहों को रोक दिया, भले ही उन्हें सबूत देने के लिए बुलाया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस परिस्थिति से प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और निष्कर्ष यह होगा कि लिखित बयान के पैरा 17 (बी) में निर्दिष्ट वाहन, साथ ही पत्र एक्सएच में भी। ए-10 और ए-42, चुनाव कार्य के संबंध में किराए पर प्राप्त किए गए थे और प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में उपयोग किए गए थे। मुझे डर है कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता के लिए पहले उस पर पड़े प्राथमिक बोझ का निर्वहन करना आवश्यक था। उसे कथित तौर पर किराए पर प्राप्त किए गए कुछ वाहनों के मालिकों या चालकों की जांच करके सबूत पेश करने चाहिए थे और यह दिखाने के लिए आगे सबूत पेश करने चाहिए थे कि वाहनों का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में और पार्टी प्रचार के लिए नहीं। सबूत के उस प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किए बिना, याचिकाकर्ता अदालत से प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ इस आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं कह सकता है कि रजिस्टर नंबर 1 में निहित खर्चों को उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और गया प्रसाद शुक्ला और दल बहादुर सिंह, जिन्होंने चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाई थी, को तलब किया गया था और फिर भी उनकी जांच नहीं की गई थी।

इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 या जिला कांग्रेस समिति द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में काम करने के लिए कोई वाहन प्राप्त करने में कोई खर्च किया गया था।

दो. याचिका के पैरा 13 (1) में निर्दिष्ट वाहनों द्वारा उपयोग किए गए पेट्रोल और डीजल की लागत।

याचिका के अनुसार, इन वाहनों में 43,230 रुपये की कीमत वाले पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, मैंने पहले ही माना है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि विचाराधीन वाहनों का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था और तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में केवल पार्टी प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग किए जाने की संभावना को बाहर नहीं किया जा सकता है।

कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (ए.आई.आर. 1975 सुप्रीम कोर्ट 308) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया जाता है, एक राजनीतिक दल पार्टी के काम पर कोई भी खर्च कर सकता है और उस खर्च को उस पार्टी द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता है। जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में खर्च किया गया था, क्योंकि उम्मीदवार ने इसका लाभ उठाया था या उसमें भाग लिया था। जैसा कि पहले भी कहा गया है, याचिकाकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए एक रत्ती भी सबूत नहीं दिया गया है कि उन वाहनों से क्या प्रचार किया जा रहा था या उन वाहनों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने निश्चित रूप से दो बार को छोड़कर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया। यह भी सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने व्यक्तिगत रूप से उन वाहनों से किए जा रहे प्रचार में भाग लिया था या प्रतिवादी नंबर 1 ने उन वाहनों का किसी अन्य तरीके से उपयोग किया था। कि वह श्री यशपाल कपूर प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव एजेंट थे और यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि श्री यशपाल कपूर ने किसी भी तरह से उन वाहनों से किए जा रहे प्रचार में भाग लिया था या उन्होंने चुनाव के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य तरीके से उन वाहनों में से किसी का भी उपयोग किया था। चुनाव प्रचार काफी लंबे समय तक चलता रहा और लोगों ने देखा होगा कि कैसे और किस

तरीके से वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता के लिए 23 वाहनों में से प्रत्येक के संबंध में सबूत देना संभव नहीं था, तो कम से कम उनमें से कुछ के संबंध में सबूत दिए जा सकते थे। ऐसा नहीं किया गया है। न ही उस चूक के लिए कोई स्पष्टीकरण है। मामले की परिस्थितियों में इस आशय का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वाहनों का उपयोग वास्तव में प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था। नतीजतन, उन वाहनों के लिए पेट्रोल की खरीद पर किए गए किसी भी खर्च को प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता है।
तीन. याचिका के पैरा 13 (1) में निर्दिष्ट वाहनों के चालकों को किए गए भुगतान।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 32 वाहनों को किराए पर लिया गया था और लगाया गया था, लेकिन उसने इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। उनके द्वारा अपनाया गया रुख यह था कि जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उसके द्वारा किराए पर लिए गए वाहनों पर किए गए खर्च को प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, जिला कांग्रेस समिति द्वारा केवल 23 वाहन किराए पर लिए गए थे और बहस के समय याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए रुख के अनुसार, उक्त 23 वाहनों के चालकों को भुगतान करने में होने वाला खर्च किसी भी मामले में प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में जोड़ा जा सकता है।

व्यय की पहली मद पर विचार करते समय, मैंने पहले ही माना है कि यह साबित नहीं हुआ है कि उक्त वाहनों का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किसी भी तरह से किया गया था और चुनाव के दौरान उन वाहनों का उपयोग केवल पार्टी के काम के लिए किया गया था, इस संभावना को बाहर नहीं किया जा सकता है। इस मामले को देखते हुए, उन वाहनों के ड्राइव के लिए भुगतान करने में किए गए किसी भी खर्च को किसी भी तरह से प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता है।

चार. ऊपर उल्लिखित वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग शुल्क।
पहले मेरे निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उक्त वाहनों का उपयोग प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किया गया था, उन वाहनों की मरम्मत और सर्विसिंग पर खर्च की गई किसी भी राशि को प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता है। 133इस बिंदु पर और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। 134

पाँच. चुनाव प्रचार के उद्देश्य से लगे कार्यकर्ताओं को किए गए भुगतान।
याचिका में लगाए गए आरोपों के अनुसार, चुनाव प्रचार के उद्देश्य से लगे कार्यकर्ताओं को भुगतान करने में 6,600 रुपये की राशि खर्च की गई थी। आरोप गंजे प्रकृति का है। यह खुलासा नहीं करता है कि क्या था
श्रमिकों की अनुमानित संख्या और किस दर पर उन्हें लगे हुए थे। यदि याचिकाकर्ता को पता था कि प्रतिवादी नंबर 1 या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव कार्य करने के लिए भुगतान पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, तो याचिकाकर्ता के लिए उन श्रमिकों में से कुछ नामों का खुलासा करना या श्रमिकों की संख्या के बारे में कुछ विचार देना असंभव नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया है। जब श्री यशपाल कपूर (आरडब्ल्यू 32) से इस बिंदु पर जिरह की गई, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव कार्य करने के लिए भुगतान पर लगाया गया था। उनके अनुसार, लोगों ने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए स्वेच्छा से काम किया। इसके विपरीत कोई सबूत नहीं होने के कारण, श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए बयान को यथोचित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।
तदनुसार मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता व्यय की इस मद को भी साबित करने में विफल रहा है।

छः. मतदान के दिनों में मतदान केंद्रों के पास प्रतिवादी नंबर 1 के मतदान शिविरों के निर्माण का खर्च।
याचिका में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मतदान शिविरों के निर्माण में 10,000 रुपये की राशि खर्च की गई थी। हालांकि, याचिका में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने किन मतदान केंद्रों पर इस प्रकृति के मतदान

शिविर बनाए थे, जिसमें कोई बड़ा खर्च हो सकता था। इसलिए, आरोप पूरी तरह से गंजे प्रकृति का है। द
याचिकाकर्ता के कार्यकर्ता सभी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे होंगे और ऐसा कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता यह इंगित करने के लिए कुछ सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका कि उन मतदान केंद्रों पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बनाए गए मतदान शिविरों की प्रकृति क्या थी ताकि न्यायालय उस संबंध में किए गए खर्च का कोई आकलन कर सके। अगर बिल्कुल भी। उस बिंदु पर जिरह करने वाले श्री यशपाल कपूर ने कहा कि उन्होंने मतदान के दिनों में काफी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों का दौरा किया और कई मतदान केंद्रों पर कोई शामियाना या कनात नहीं था , लेकिन अकेले दरीस और जाजिम फैलाए गए थे, जो स्थानीय लोगों द्वारा लाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मतदान केंद्रों पर शामियाना और कनात थे, लेकिन उनकी भी व्यवस्था स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी। आगे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह यह नहीं बता सकते कि जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में शामियाना और कनातों की व्यवस्था की थी या नहीं , लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, तो व्यवस्था स्थानीय लोगों द्वारा ही की गई थी।

इसलिए, परिणाम यह है कि साक्ष्यों के आधार पर, जैसा कि यह रिकॉर्ड पर मौजूद है, यह पता लगाना असंभव है कि विभिन्न मतदान केंद्रों पर प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से बनाए गए मतदान शिविरों की प्रकृति क्या थी। 155यदि किसी मतदान केंद्र पर मतदान शिविर बनाने में शामियाना और केनाट्स का वास्तव में उपयोग किया गया था, कितने मतदान केंद्रों पर इस तरह की व्यवस्था की गई। एक के लिए मानते हुए यह क्षण कि यदि जिला कांग्रेस समिति ने मतदान शिविरों के निर्माण पर कोई पैसा खर्च किया है, तो उस व्यय को प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में जोड़ा जा सकता है, यदि वह एक तरह से उसके चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्रकृति को दिखाने के लिए कुछ सबूत होने चाहिए और इस तथ्य को आगे बढ़ाने के लिए कि यह कितने मतदान केंद्रों पर किया गया था। जब तक इस आरोप की जानकारी प्रदान नहीं की जाती है, तब तक मतदान शिविरों की संख्या, उनकी प्रकृति और उनके निर्माण पर किए गए व्यय के बारे में कोई विचार बनाना शुद्ध अटकलें होंगी। 160 मेरे मन में इस तरह की अटकलें स्वीकार्य नहीं हैं। 161। तदनुसार मानता है कि याचिकाकर्ता मतदान शिविरों के निर्माण पर किए गए कथित खर्च को साबित करने में विफल रहा है।

सात. 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को निर्वाचन क्षेत्र के भीतर प्रतिवादी नंबर 1 की सार्वजनिक बैठकों के लिए रोस्ट्रम के निर्माण का खर्च।

याचिका में लगाए गए आरोप के मुताबिक इस मद पर 1,32,000 रुपये खर्च किए गए। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि चूंकि बैठक में बैरिकेडिंग रोस्ट्रम का हिस्सा है, जैसा कि श्री मोहिंदर सिंह (आरडब्ल्यू 36) द्वारा गवाही दी गई है, इसलिए बैरिकेडिंग की लागत को भी इस मद के तहत शामिल किया गया है।
अब, जहां तक बैठक स्थल पर बनाए गए बैरिकेडिंग का संबंध है, यह राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा के उद्देश्य से अलावा विधि और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। विधि और व्यवस्था बनाए रखना विधि द्वारा स्थापित किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य है। यह सामान्य ज्ञान का विषय है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री के भाषणों को देखने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। यदि ऐसी बैठकों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में भगदड़ मची जा सकती है, और इससे अधिक परेशानी हो सकती है। इसलिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार बैरिकेड्स लगाकर बैठकों के स्थान को खंडों में विभाजित करती है। बैरिकेड्स लगाने से प्रधानमंत्री के भाषण में सुविधा नहीं होती है। प्रधानमंत्री इसके बिना भी ऐसा कर सकते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अपने सामान्य कर्तव्य के निर्वहन में अपने खर्च पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। नतीजतन, उस व्यय को प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता है।
यह मुझे रोस्ट्रम के निर्माण पर होने वाले खर्च पर ले जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार द्वारा प्रतिवादी के उपयोग के लिए रोस्ट्रम का निर्माण किया गया था ताकि वह अपनी बैठकों में दर्शकों को एक कमांडिंग से भाषण दे सके स्थिति और प्रभावी तरीके से। हालांकि, सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार द्वारा किया गया खर्च धारा 77 के तहत आएगा, यहां तक कि कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ चावला (सुप्रा) के मामले में उस धारा पर की गई

व्याख्या के अनुसार। उस मामले में निर्णय के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में किए गए खर्च के साथ-साथ उस उम्मीदवार के मित्रों और प्रशंसकों द्वारा किए गए खर्च को उस उम्मीदवार के चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई उम्मीदवार अपने राजनीतिक दल या अपने दोस्तों और प्रशंसकों को वह करने के लिए कहकर अधिनियम की धारा 77 द्वारा लगाई गई सीमा को दरकिनार न कर सके जो वह खुद नहीं कर सकता। सरकार शायद ही कभी किसी उम्मीदवार के चुनाव के संबंध में कोई खर्च करती है। इसलिए, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि विधायिका ने अधिनियम की धारा 77 को अधिनियमित करते समय, सरकार द्वारा किए गए खर्चों को भी इसमें शामिल करने का इरादा किया था। हालांकि, यह मानते हुए कि रोस्ट्रम के निर्माण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को प्रतिवादी नंबर 1 के खर्चों में जोड़ा जाना है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 के कार्यालय से भेजे गए दौरे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप रोस्ट्रम का निर्माण किया गया था और बाद में उसने उन रोस्ट्रम का उपयोग किया और उन्हें अस्वीकार नहीं किया, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 16,000 रुपये है। स्थिति को और स्पष्ट करना उचित हो सकता है इस संबंध में।

प्रतिवादी नंबर 1 ने 1 फरवरी 1971 को अपनी यात्रा के अवसर पर 5 बैठकों में भाग लिया। 190 उन बैठकों में से एक को बछरावां में संबोधित किया गया था, जो रायबरेली के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रकार, केवल चार बैठकें जिनमें रोस्ट्रम का निर्माण किया गया था, 1 फरवरी 1971 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित किया गया था। 192 पत्र (Exh. 158) के अनुसार उन रोस्ट्रम में से प्रत्येक के निर्माण पर 1600/- रुपये की राशि खर्च की गई थी। इस प्रकार चार रोस्ट्रम की कुल लागत 6400/- रुपये आती है। पत्र के अनुसार Exh. 201, 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबोधित 6 बैठकों के लिए रोस्ट्रम का निर्माण किया गया था। पत्र के अनुसार Exh. 190 रुपये की कुल राशि उन रोस्ट्रमों के निर्माण पर खर्च की गई थी। 10 रोस्ट्रम पर खर्च की गई कुल राशि 16,000 रुपये आती है। इस राशि में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भुगतान की गई राशि को रोस्ट्रम की लागत के उनके हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में अधिक से अधिक 16,000/- रुपये की राशि जोड़ी जा सकती है क्योंकि रोस्ट्रम के निर्माण पर खर्च होता है। 199

आठ.लाउडस्पीकर की व्यवस्था का खर्च।

चुनाव याचिका के अनुसार, 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित सभाओं में लाउडस्पीकर के खर्च पर 7,200/- रुपये खर्च किए गए थे। पुलिस अधीक्षक, रायबरेली द्वारा श्री गया प्रसाद शुक्ला को भेजा गया पत्र (प्रदर्शनी 177) दिखाता है कि 1 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित सभाओं के लिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था उनके द्वारा की गई थी। संभवतः, उन्होंने यह जिला कांग्रेस कमेटी के लिए किया था। पत्र (प्रदर्शनी 193) दिखाता है कि 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 के रायबरेली दौरे के अवसर पर भी सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर दिया कि भले ही लाउडस्पीकर की व्यवस्था पर खर्च जिला कांग्रेस कमेटी या श्री गया प्रसाद शुक्ला ने व्यक्तिगत रूप से किया हो, लेकिन यह तथ्य बना हुआ है कि यह खर्च सीधे प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव से जुड़ा था और बाद वाले ने उन लाउडस्पीकरों का उपयोग करके इसमें भाग लिया। विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि लाउडस्पीकर की व्यवस्था पर किए गए खर्च को इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाउडस्पीकर प्रतिवादी नंबर 1 के उपयोग के लिए लगाए गए थे और, परिणामस्वरूप, मैं सहमत हूं कि, भले ही इस संबंध में खर्च जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया था, इसे प्रतिवादी नंबर 1 के खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि 1 फरवरी 1971 को हर सभा में कितने लाउडस्पीकर इस्तेमाल किए गए थे, प्रतिवादी नंबर 1 ने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में सभाओं को संबोधित किया, सिवाय एक के जिसे उन्होंने रायबरेली शहर में संबोधित किया था (देखें टूर कार्यक्रम प्रदर्शनी 26 और 42)। इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए होंगे, क्योंकि वह देश की प्रधानमंत्री थीं। यह माना जाना चाहिए कि प्रत्येक सभा में कम से कम 8 लाउडस्पीकर इस्तेमाल किए गए होंगे। इसलिए, यह माना जा सकता है कि 1 फरवरी 1971 को हुई चार मीटिंग्स में कुल मिलाकर लगभग 32 लाउडस्पीकर लगाए गए होंगे। एग्ज़िबिट 193 के अनुसार, पुलिस लाइंस के लिए लाउडस्पीकर ऊपर बताए गए मौकों

पर 10 रुपये प्रति लाउडस्पीकर प्रति दिन की दर से किराए पर लिए गए थे। रेस्पोंडेंट नंबर 1 की मीटिंग्स में लाउडस्पीकर लगाने का खर्च भी इसी दर से कैलकुलेट किया जा सकता है, और इस तरह कैलकुलेट करने पर 32 लाउडस्पीकर की कुल कीमत 320 रुपये होगी। 25 फरवरी 1971 को रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने निर्वाचन क्षेत्र में 6 मीटिंग्स को संबोधित किया। अगर इनमें से हर मीटिंग में 8 लाउडस्पीकर लगाए गए थे, तो सभी छह मीटिंग्स के लिए कुल लाउडस्पीकर की संख्या 48 होगी। इस पर हुए खर्च को 10 रुपये प्रति लाउडस्पीकर की दर से कैलकुलेट करने पर, कुल खर्च 480 रुपये आएगा। इसलिए, 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित सभाओं में लाउडस्पीकर लगाने पर कुल खर्च 800/- रुपये आता है।

इसके अलावा, कुछ सभाओं में लाउडस्पीकर चलाने के लिए बिजली भी दी गई थी, जैसा कि पत्र (Exh. 147) से साफ है। इस पत्र के ज़रिए पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लाउडस्पीकर चलाने के लिए दी गई बिजली की लागत के तौर पर 1151/- रुपये की रकम देने को कहा था। पत्र (Exh. 146) से पता चलता है कि यह रकम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जमा कर दी थी। इस रकम को लाउडस्पीकर लगाने में खर्च की गई रकम माना जाना चाहिए।
उपरोक्त 800/- रुपये की रकम में 1151/- रुपये जोड़ने पर कुल 1951/- रुपये होता है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि सभाओं की जगह तक लाइन ले जाने के लिए कुछ खंभे लगाए गए थे और उस संबंध में हुए खर्च को भी जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि, यह आम जानकारी की बात है कि अस्थायी कनेक्शन के मामले में, अस्थायी कनेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खंभे आदि बिजली काटने के बाद विभाग द्वारा हटा दिए जाते हैं। इस नज़रिए से, सभाओं की जगहों तक लाइन ले जाने के लिए खंभे लगाने पर खर्च की गई रकम को उस शब्द के अर्थ के तहत खर्च नहीं माना जा सकता।

नतीजतन, इसलिए, 1951/- रुपये की रकम को प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए, जो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संबोधित सभाओं में लाउडस्पीकर की व्यवस्था के संबंध में किया गया खर्च है।

9. प्रतिवादी का खर्च। 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को एयर फ़ोर्स के विमानों से परिवहन।
याचिका में लगाए गए आरोपों के अनुसार, इस संबंध में 1,68,000/- रुपये खर्च किए गए थे। हालांकि, मुद्दे नंबर 2 के जवाब में, मैंने यह माना है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी चुनाव के संबंध में दोनों में से कोई भी उड़ान नहीं भरी थी और इसके विपरीत, दोनों मौकों पर उड़ानें प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा देश के आम चुनाव दौरे का हिस्सा थीं। इसी कारण से मुझे लगता है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को की गई उड़ानों में किया गया कोई भी खर्च प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

10. 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को चुनाव स्थलों तक जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग का खर्च।
मुद्दा नंबर 3 का जवाब देते हुए, मैंने माना है कि रास्तों पर बैरिकेडिंग राज्य सरकार ने भीड़ को कंट्रोल करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी ड्यूटी के तहत की थी। उस खर्च को किसी भी तरह से प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। इसलिए, 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को प्रधानमंत्री जिस रास्ते से यात्रा कर रही थीं, उस रास्ते पर बैरिकेड लगाने में राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च को उनके चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जा सकता।

11. 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को रास्तों पर पुलिस बल के सदस्यों को T.A. और D.A. पर खर्च।
एक बार जब मैंने यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि भीड़ को कंट्रोल करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए रास्तों पर बैरिकेडिंग की थी, तो यह साफ है कि पुलिस बल के सदस्यों को भी उसी मकसद से रास्तों पर तैनात किया गया था। ऊपर बताई गई तारीखों पर रास्तों पर तैनात रहने के लिए पुलिस बल के सदस्यों को दी गई कोई भी रकम प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में किए गए खर्च के तौर पर

नहीं मानी जा सकती।

नतीजतन, राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को ड्यूटी पर रहने के लिए पुलिस बल के सदस्यों को T.A. और D.A. देने में खर्च की गई कोई भी रकम प्रतिवादी नंबर 1 के चुनावी खर्च में नहीं जोड़ी जा सकती।

12. 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 को उनकी चुनावी सभाओं की जगहों तक ले जाने के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट का खर्च।

याचिका में लगाए गए आरोप के मुताबिक, इस मद में 2,000/- रुपये खर्च किए गए थे। पत्र (EXH. 136) के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कार यात्रा के लिए देय शुल्क 75 पैसे प्रति किलोमीटर था। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता ने 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा तय की गई दूरी की गणना की और 75 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से देय शुल्क की गणना करने पर, उनके द्वारा निकाला गया आंकड़ा केवल 232.50 रुपये आता है। इसलिए इस संबंध में 232.50 रुपये देय थे। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए चार्ट की एक कॉपी उन्होंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सौंपी थी और बाद वाले ने उसकी सटीकता का खंडन नहीं किया है। इसलिए, यह मान लेना चाहिए कि 1 फरवरी 1971 और 25 फरवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 को ट्रांसपोर्ट देने में सिर्फ़ 232-50 रुपये का खर्च हुआ था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि टेलीफ़ोन कनेक्शन और टेलीफ़ोन चार्ज पर भी खर्च हुआ था; चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में श्री यशपाल कपूर द्वारा की गई मीटिंगों पर; चुनाव सामग्री जैसे पैम्फलेट, पोस्टर वगैरह पर; और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा की गई कुछ मीटिंगों के लिए किए गए लाइटिंग इंतज़ाम पर। अधिवक्ता के अनुसार, ये खर्च भी प्रतिवादी नंबर 1 के चुनावी खर्च में जोड़े जाने चाहिए। हालांकि, इनमें से किसी भी खर्च का ज़िक्र याचिका में नहीं किया गया था। असल में, केस में बहस शुरू होने तक प्रतिवादी नंबर 1 को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि याचिकाकर्ता अपने केस के लिए इन खर्चों पर भरोसा करेगा। इसलिए, अगर इन खर्चों पर विचार किया जाता है तो यह प्रतिवादी नंबर 1 के हितों के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील को खारिज किया जाता है।

संक्षेप में, प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव खर्च में जोड़े गए अन्य खर्च इस प्रकार हैं:

1. मंचों के निर्माण की लागत	16,000/-
2. लाउडस्पीकर लगाने में लगा खर्च	1,951/-
3. प्रतिवादी नंबर 1 को कार परिवहन प्रदान करने में लगा खर्च	232.50
----------	**18183.0**

प्रतिवादी नंबर 1 के चुनावी खर्च के रिटर्न (एग्ज़िबिट 5) के अनुसार, उनके चुनावी खर्च पर 12,892 रुपये 97 पैसे खर्च हुए। उपरोक्त 18,183.50 रुपये की राशि को इस 12,892.97 रुपये की राशि में जोड़ने पर कुल 31,076.47 रुपये होता है, जो 35,000 रुपये की निर्धारित सीमा से काफी कम है।

इसलिए, मुद्दे नंबर 9 पर मेरा निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी नंबर 1 या उनके चुनाव एजेंट द्वारा किया गया या अधिकृत कुल खर्च, साथ ही पार्टी या राज्य सरकार द्वारा उनके चुनाव के संबंध में खर्च की गई साबित हुई राशि, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने अधिनियम की धारा 123(6) के तहत कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया है।

रिट याचिका पर आते हुए, चूंकि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी नंबर 1 या उनके चुनाव एजेंट द्वारा किया गया खर्च, साथ ही राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस (आर) या राज्य सरकार द्वारा उनके चुनाव के संबंध में किया गया खर्च, निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करने का कोई

आधार नहीं बनता है और रिट याचिका तदनुसार खारिज की जानी चाहिए।

अतिरिक्त मुद्दे का मुद्दा नंबर 2

याचिका के पैरा 2 में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग होने के तुरंत बाद, चुनाव की संभावना को देखते हुए, खुद को 22 रायबरेली संसदीय क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार के रूप में पेश किया, और इस तरह वह 27 दिसंबर 1970 से उक्त निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थीं। इस बिंदु पर प्रतिवादी का तर्क अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 1 और पैरा 1(ए) में दिया गया है। उन्होंने इसमें इस बात से इनकार किया कि उन्होंने खुद को रायबरेली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में पेश किया था और 27 दिसंबर 1970 से उस निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पर खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश किया था।

इसलिए, विचार करने वाला सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 ने खुद को सिर्फ 1 फरवरी 1971 को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था, या उसने उससे पहले किसी तारीख को खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था। अगर हाँ, तो किस तारीख से?

प्रतिवादी नंबर 1 का यह दावा कि उसने 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करके 22 रायबरेली संसदीय क्षेत्र से खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था, कानूनी तौर पर सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे दस्तावेजी सबूत हैं जो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रतिवादी नंबर 1 ने उस दिन से पहले ही खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया था।

एग्ज़िबिट 26, 25 जनवरी 1971 का एक रेडियोग्राम है जो प्रतिवादी नंबर 1 के प्राइवेट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी, यू.पी. सरकार लखनऊ को भेजा था, जिसमें उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 के टूर प्रोग्राम के बारे में बताया गया था। इस टूर प्रोग्राम के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को 1 फरवरी 1971 को दोपहर 12 बजे रायबरेली में अपना नॉमिनेशन दाखिल करना था। एग्ज़िबिट 27, 27 जनवरी 1971 का एक पत्र है। जो असिस्टेंट सेक्रेटरी, यू.पी. सरकार ने विभिन्न अधिकारियों को भेजा था, जिसमें इस टूर प्रोग्राम की एक कॉपी भी साथ में भेजी गई थी। उस कॉपी के अनुसार भी, प्रतिवादी नंबर 1 को दोपहर 12.15 बजे रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना था। एग्ज़िबिट 188, 25 जनवरी 1971 का एक पत्र है जो पुलिस अधीक्षक, रायबरेली ने पुलिस अधीक्षक, ट्रेनिंग और सुरक्षा शाखा, इंटेलिजेंस विभाग, यू.पी. को भेजा था, जिसमें उसी तारीख का एक डी.ओ. पत्र भी साथ में भेजा गया था जो उन्होंने डी.आई.जी. पुलिस, लखनऊ को पुलिस बल की मांग करते हुए भेजा था। उस डी.ओ. पत्र की कॉपी में कहा गया है कि रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय ने उन्हें (पुलिस अधीक्षक, रायबरेली) प्रतिवादी नंबर 1 का टूर प्रोग्राम बताया था जैसा कि उसमें बताया गया है। उस टूर प्रोग्राम के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 को कलेक्ट्रेट, रायबरेली में दोपहर 12 से 12.15 बजे के बीच अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना था। राज कुमार सिंह (पी.एम. 56) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संसदीय मामलों के सचिव हैं। उनके अनुसार, पार्टी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री का टूर प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री के सचिवालय भेजा जाता है और जब प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा टूर प्रोग्राम को मंज़ूरी मिल जाती है, तभी इसे वहाँ से जारी किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 ने भी अपनी क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान यह माना कि राजनीतिक काम से जुड़े टूर प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे जाते हैं और उनकी मंज़ूरी मिलने के बाद ही उन्हें फाइनल किया जाता है। उन्होंने यह भी माना कि टूर प्रोग्राम (एग्ज़िबिट 26) उनके द्वारा मंज़ूरी दिए जाने के बाद ही जारी किया गया होगा।

चूंकि 25 जनवरी 1971 को लखनऊ में राज्य सरकार को प्रतिवादी नंबर 1 के ऑफिस से एक टूर प्रोग्राम मिला था, और चूंकि उसी दिन रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस में भी एक टूर प्रोग्राम मिला था, जैसा कि एग्ज़िबिट 188 से साफ है, और चूंकि उन टूर प्रोग्राम में साफ तौर पर कहा गया था कि प्रतिवादी नंबर 1, 1 फरवरी 1971 को दोपहर लगभग 12 बजे रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगी, इसलिए इस नतीजे से बचा नहीं जा सकता कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 25 जनवरी 1971 से कम से कम कुछ समय पहले खुद को रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर पेश किया

था।

इस स्टेज पर श्रीमती गांधी, प्रतिवादी नंबर 1 (आर.डब्ल्यू. 37) द्वारा शपथ पर दिए गए बयान का भी ज़िक्र किया जा सकता है। उन्होंने बयान दिया कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का अंतिम फैसला उन्होंने 1 फरवरी 1971 को लिया था और उन्होंने 1 फरवरी 1971 से पहले इस संबंध में कोई घोषणा या ऐलान नहीं किया था। प्रतिवादी नंबर 1 के अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए बयान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। असल में, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रतिवादी नंबर 1 के सबूतों के वज़न का आकलन करते समय, उनके द्वारा संभाले गए उच्च पद के तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। यह मानना होगा कि जब कोई व्यक्ति गवाह के तौर पर कोर्ट में पेश होता है और उसकी गवाही स्वाभाविक और भरोसेमंद लगती है, तो उसकी गवाही को और ज़्यादा पक्का करने के लिए उसके ओहदे और इज़्ज़त को भी ध्यान में रखा जाता है। हालांकि, सिर्फ़ गवाह का ओहदा और इज़्ज़त ही कोर्ट को उसकी गवाही मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, खासकर तब जब वह खुद केस की कार्यवाही में एक पक्ष हो और केस के नतीजे में उसकी दिलचस्पी हो। ऐसे मामलों में, उस व्यक्ति की गवाही का आकलन बिना किसी तरह से उसके ऊँचे ओहदे से प्रभावित हुए करना होता है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 की गवाही का आकलन स्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसे किसी भी दूसरे गवाह की गवाही का, बिना किसी तरह से उसके ऊँचे ओहदे से प्रभावित हुए।

प्रतिवादी नंबर 1 ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि उन्होंने रायबरेली पहुंचने के बाद और PCC के प्रेसिडेंट और इलाके के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद उनका ध्यान 25 जनवरी 1971 के टूर प्रोग्राम (एग्जिबिट 26) की ओर दिलाया गया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह बताया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 को 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना था। तब उन्होंने कहा कि "नॉमिनेशन दाखिल करें" शब्द स्याही से जोड़े गए लगते हैं और, इसलिए, वह यह नहीं कह सकतीं कि ये शब्द मूल रूप से थे या नहीं। इसके बाद उनका ध्यान टूर प्रोग्राम (एग्जिबिट 43) की ओर दिलाया गया और तब उन्होंने माना कि उन्हें याद है कि उनके द्वारा अप्रूव किए गए टूर प्रोग्राम में 11.50 बजे रायबरेली में उनके द्वारा नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना शामिल था। हालांकि, उन्होंने फिर भी जोर देकर कहा कि 25 जनवरी 1971 को या उसके आसपास रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने का कोई फैसला उनके द्वारा नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि टूर प्रोग्राम में इसे अस्थायी रूप से मेंशन किया गया था, ताकि अगर वह रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला करतीं तो 1 फरवरी 1971 को 11.50 बजे वहां नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया जा सके। अब, यह तर्क मुझे स्वाभाविक या संभावित नहीं लगता।

अगर सच में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था, तो इसका कोई कारण नहीं है कि टूर प्रोग्राम में यह साफ तौर पर क्यों मेंशन किया गया कि वह 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगी। अगर वह आखिरकार 1 फरवरी 1971 को रायबरेली पहुंचने पर फैसला लेने वाली थीं, तो वह उस तथ्य को टूर प्रोग्राम में अस्थायी रूप से मेंशन किए बिना भी वहां नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर सकती थीं, जिसे आखिरकार राज्य सरकार को कम्युनिकेट किया गया था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह तथ्य रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस में मिली टूर प्रोग्राम की कॉपी में भी मेंशन था। पत्र (एग्जिबिट 188) से यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि टूर प्रोग्राम 25 जनवरी 1971 को या उसके आसपास रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस में मिला था। अगर प्रतिवादी नंबर 1 ने 25 जनवरी 1971 तक रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया था, तो राज्य सरकार और रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस को भेजे गए टूर प्रोग्राम में ऐसा क्यों लिखा था कि प्रतिवादी नंबर 1, 1 फरवरी 1971 को वहां अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगी।

प्रतिवादी नंबर 1 ने कहा कि उनके मन में कई जगहें थीं और इसी वजह से उन्होंने 1 फरवरी 1971 तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया, जिस तारीख को वह रायबरेली गईं और वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की। इसलिए उनसे पूछा गया कि क्या उनके ऑफिस से जारी किए गए किसी दूसरे जिले या जगह से जुड़े टूर प्रोग्राम में उनके वहां से नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने का ज़िक्र था, और उन्हें यह मानना पड़ा कि उनके ऑफिस से ऐसा कोई टूर प्रोग्राम जारी नहीं किया गया था जिसमें यह बताया गया हो कि वह रायबरेली के अलावा किसी और जगह से अपना नॉमिनेशन पेपर

दाखिल करेंगी। नॉमिनेशन पेपर सिर्फ 1 फरवरी से 3 फरवरी 1971 के बीच ही दाखिल किया जा सकता था। अगर यह सच होता कि प्रतिवादी नंबर 1 के मन में 1 फरवरी 1971 तक दूसरी जगहें थीं, जहां से वह चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही थीं, तो उन जगहों को कवर करने वाला टूर प्रोग्राम भी आमतौर पर जारी किया जाता, और उन टूर प्रोग्राम में भी अस्थायी रूप से यह ज़िक्र होना चाहिए था, जैसा कि टूर प्रोग्राम (Ex. 26) में ज़िक्र था, कि वह वहां अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगी। यह तथ्य कि प्रतिवादी नंबर 1 के ऑफिस से जारी किए गए टूर प्रोग्राम (xh. 26) में यह ज़िक्र था कि प्रतिवादी नंबर 1 को रायबरेली में अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना था, साथ ही यह तथ्य कि ऐसा कोई टूर प्रोग्राम जारी नहीं किया गया था जिससे यह पता चले कि वह रायबरेली के अलावा किसी और जगह से अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल करेंगी, इस बात में कोई शक नहीं छोड़ता कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 25 जनवरी 1971 से पहले ही रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। यह तथ्य कि इस बात का संकेत देने वाले टूर प्रोग्राम की एक कॉपी रायबरेली में कांग्रेस ऑफिस में भी 25 जनवरी 1971 को या उसके आसपास मिली थी, यह और दिखाता है कि प्रतिवादी नंबर 1 1 ने न सिर्फ़ रायबरेली से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया था, बल्कि उन्होंने यह फ़ैसला अपने निर्वाचन क्षेत्र को भी बता दिया था। असल में, राज्य सरकार को मिला टूर प्रोग्राम (एग्ज़िबिट 26) भी गुप्त नहीं रखा जाना था। इसे संबंधित अथॉरिटी को बताया गया था और उन सभी टूर प्रोग्राम (एग्ज़िबिट 43) को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों और केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय, रायबरेली के श्री गया प्रसाद शुक्ला को भी भेजा गया था। टूर प्रोग्राम (एग्ज़िबिट 26) में नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने के बारे में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दी गई सफ़ाई किसी भी जांच में खरी नहीं उतरती।

यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रतिवादी नंबर 1 का यह बयान कि उन्होंने 1 फरवरी 1971 को रायबरेली पहुंचने के बाद और P.C.C. के प्रेसिडेंट और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उनके अपने ही बयानों से मेल नहीं खाता। उनके अतिरिक्त लिखित बयान का पैरा 1(a) इस प्रकार है:
"कि असल में, भारत के दूसरे संसदीय क्षेत्रों से भी इस प्रतिवादी को उन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनने के लिए ऑफर मिले थे और क्षेत्र के बारे में अंतिम फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी 1971 को ही घोषित किया था, और उन्होंने 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय ही खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश किया था (अंडरलाइन मेरे द्वारा की गई है)।"

पैरा 1(a) की शुरुआत से लेकर 'केवल 29 जनवरी 1971' शब्दों तक की सामग्री को प्रतिवादी नंबर 1 ने श्री एक्स. एन. जोशी, संसदीय सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली से मिली जानकारी के आधार पर सच बताया था। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी के बारे में अंतिम फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रतिवादी नंबर 1 के खुद इस संबंध में कोई फैसला किए बिना नहीं ले सकती थी। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 से क्रॉस-एग्जामिनेशन में इस बिंदु पर सवाल पूछा गया, उन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उस क्षेत्र के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था जिससे उन्हें चुनाव लड़ना था। उनका ध्यान अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 1(a) की ओर दिलाया गया और उन्होंने कहा:
"अतिरिक्त लिखित बयान के इस पैराग्राफ में दिए गए बयान में कुछ गलती लगती है। जैसा कि मुझे पता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी 1971 को मेरी उम्मीदवारी के बारे में कोई फैसला नहीं लिया या कोई घोषणा नहीं की।"

फिर उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें श्री के.एन. जोशी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से कोई जानकारी मिली थी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अंतिम फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 29 जनवरी, 1971 को घोषित किया था। अतिरिक्त लिखित बयान को देखने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने जवाब दिया कि भले ही उसमें ऐसा कहा गया था, लेकिन उन्हें इसके बारे में याद नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या वह निश्चित रूप से कह सकती हैं कि 29 जनवरी, 1971 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी और उन्होंने केवल इतना जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी कोई घोषणा की गई थी या नहीं। और दबाव डालने पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त लिखित बयान पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ा था और अपनी पूरी क्षमता से उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि अतिरिक्त लिखित बयान में जो कुछ भी लिखा था वह सच था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अतिरिक्त लिखित बयान में इस्तेमाल की गई भाषा कानूनी भाषा थी जिसे समझना उनके लिए मुश्किल था। मैं बस इतना कहूंगा कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिया गया बयान विसंगति को संतोषजनक ढंग से समझाने

में विफल रहा।

प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता ने, विसंगति को समझाने की कोशिश में, बहस के समय यह तर्क दिया कि अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 1(a) में दिए गए बयान केवल यह बताते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा लिया गया अंतिम फैसला यह था कि मामले को प्रतिवादी नंबर 1 पर छोड़ दिया जाए ताकि वह इस पर फैसला ले सकें। यह तर्क केवल खारिज करने के लिए कहा गया है। यदि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने केवल इतना किया था कि मामले को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा तय करने के लिए छोड़ दिया था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कोई फैसला लिया था, और न ही कोई अंतिम फैसला। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई व्याख्या को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यहां दूसरे सेट के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 5 और प्रतिवादी के अटॉर्नी श्री जगपत दुबे द्वारा दिए गए उत्तर का भी उल्लेख किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है:
"क्या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आपकी मंज़ूरी के बिना आपकी उम्मीदवारी का फ़ैसला किया था? (अगर जवाब ना में है, तो आपने 22 रायबरेली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनने के लिए किस तारीख को मंज़ूरी दी थी)।"
इस सवाल का जवाब इस प्रकार है:

"ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का फ़ैसला अस्थायी था। प्रतिवादी नंबर 1 किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आज़ाद थीं, चाहे वह 22 रायबरेली संसदीय क्षेत्र हो या कोई और, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को उनके किसी भी फ़ैसले पर कोई आपत्ति नहीं होती। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किसी भी फ़ैसले को कोई औपचारिक मंज़ूरी देने का सवाल ही नहीं उठता।"

ऊपर दी गई बातों से ऐसा लगता है कि, सवालों का जवाब दाखिल करने तक, प्रतिवादी नंबर 1 ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनकी उम्मीदवारी के बारे में कोई फ़ैसला लिया था। उन्होंने बस इतना कहा कि फ़ैसला अस्थायी था और इसे उनके द्वारा बदला जा सकता था। फिर, जब प्रतिवादी नंबर 1 गवाह के कटघरे में आईं, तो उन्होंने एक अलग रुख अपनाया और कहा कि जहाँ तक उन्हें पता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनकी उम्मीदवारी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं लिया था। जब प्रतिवादी नंबर 1 का ध्यान उनकी ओर से दिए गए उपरोक्त जवाब की ओर दिलाया गया, तो उन्होंने फिर कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कोई अस्थायी फ़ैसला भी लिया था। अब, अगर उन्हें ऐसे किसी फ़ैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उनके सामने पेश किए गए सवालों के जवाब में इसे कैसे और किन परिस्थितियों में स्वीकार किया गया, यह बिना स्पष्टीकरण के रह गया है।"

अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 1(a) में दिए गए बयान और सवाल नंबर 5 के जवाब को देखते हुए, मुझे कोई संदेह नहीं है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी के बारे में एक औपचारिक फ़ैसला लिया था, यानी कि वह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी।

प्रतिवादी संख्या 1 कांग्रेस (आर) की निर्विवाद नेता थीं। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (A.I.C.C.) प्रतिवादी संख्या 1 के निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कोई निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 की अपनी राय व्यक्त किए बिना नहीं ले सकती थी।

यह परिस्थिति, तथा इसके साथ यह तथ्य कि 25 जनवरी 1971 को प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय से जारी भ्रमण कार्यक्रम, जिसकी प्रतियाँ न केवल सरकार को बल्कि रायबरेली स्थित कांग्रेस कार्यालय को भी भेजी गई थीं, जिसमें यह सूचित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 25 जनवरी 1971 से पूर्व ही स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 1 की यह दलील कि उन्होंने पहली बार 1 फरवरी 1971 को स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया, सत्य सिद्ध नहीं होती।

इस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) द्वारा शपथ पर दिए गए कथन का भी उल्लेख किया गया।

मैं श्री यशपाल कपूर के साक्ष्य पर विस्तार से तब विचार करूँगा जब मैं मुद्दा संख्या 1 (प्रथम समूह) तथा अतिरिक्त मुद्दा संख्या 1 पर अपना निष्कर्ष दर्ज करूँगा। इस चरण पर केवल उनके साक्ष्य के उस भाग पर विचार करना पर्याप्त होगा, जो वर्तमान विचाराधीन बिंदु से संबंधित है। श्री यशपाल कपूर ने कहा कि जब प्रतिवादी संख्या 1 रायबरेली निरीक्षण भवन पहुँचीं, तब जिला कांग्रेस समिति, रायबरेली के सदस्यों ने उनसे भेंट की, जिसमें उन्होंने उनसे रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि जिला कांग्रेस समिति के सदस्यों की बात सुनने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने श्री कमलापति त्रिपाठी को अलग ले जाकर उनसे बातचीत की। उन्होंने यह भी कहा कि श्री कमलापति त्रिपाठी से बातचीत करने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने उनसे भी बातचीत की और इसके बाद ही उन्होंने यह घोषणा की कि उन्होंने रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।

यह कथन अत्यधिक कृत्रिम प्रतीत होता है और विश्वास योग्य नहीं है।

प्रथम दृष्टया, इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भ्रमण कार्यक्रम पहले ही राज्य सरकार तथा रायबरेली स्थित कांग्रेस कार्यालय को भेज दिया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि वह 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी, यह समझ से परे है कि जिला कांग्रेस समिति के सदस्यों को उनसे रायबरेली से चुनाव लड़ने का अनुरोध करने के लिए उनके पास जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

फिर, स्वयं श्री यशपाल कपूर की स्वीकारोक्ति के अनुसार—

—श्री कमलापति त्रिपाठी और प्रतिवादी संख्या 1 दिल्ली से अमौसी तक एक ही विमान में साथ यात्रा कर रहे थे। यह तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित नहीं है कि रायबरेली उन स्थानों में से एक था जहाँ से वह चुनाव लड़ने का इरादा रखती थीं। श्री कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। अतः यदि प्रतिवादी संख्या 1 को रायबरेली से चुनाव लड़ने की उपयुक्तता अथवा उससे संबंधित किसी विषय पर श्री कमलापति त्रिपाठी से बातचीत करनी थी, तो वह दिल्ली से अमौसी की विमान यात्रा के दौरान ही उनसे सहजता से बातचीत कर सकती थीं।

इसके अतिरिक्त, श्री यशपाल कपूर ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिवादी संख्या 1 और श्री कमलापति त्रिपाठी लखनऊ से रायबरेली तक एक ही कार में साथ यात्रा कर रहे थे।

अतः, यदि प्रतिवादी संख्या 1 ने विमान यात्रा के दौरान अपने चुनाव से संबंधित किसी विषय पर श्री कमलापति त्रिपाठी से बातचीत नहीं की थी, तो वह लखनऊ से रायबरेली की यात्रा के दौरान ऐसा कर सकती थीं।

इन परिस्थितियों में यह सर्वथा समझ से परे है कि प्रतिवादी संख्या 1 के लिए यह क्यों आवश्यक हो गया कि वह रायबरेली निरीक्षण भवन में जिला कांग्रेस समिति के सदस्यों से बातचीत करने के बाद, अपनी रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा करने से पूर्व, श्री कमलापति त्रिपाठी को अलग ले जाकर उनसे बातचीत करें।

मेरे मन में इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि श्री यशपाल कपूर ने उपर्युक्त कथन केवल इस उद्देश्य से दिया—

—कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाई गई इस दलील को बल प्रदान किया जा सके कि उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय केवल 1 फरवरी 1971 को ही लिया था, उससे पहले नहीं।

श्री यशपाल कपूर को भ्रमण कार्यक्रमों (प्रदर्श 26 एवं प्रदर्श 43) से भी अवगत कराया गया, जिनमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख था कि प्रतिवादी संख्या 1 1 फरवरी 1971 को रायबरेली में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। तथापि, उन्होंने कहा कि वह अब भी इस बात पर कायम हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 1 फरवरी 1971 से पूर्व रायबरेली से चुनाव लड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया था।

तत्पश्चात उनसे पूछा गया कि उनके इस कथन का आधार क्या है, जिस पर साक्षी ने उत्तर दिया—

"मेरा यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय 1 फरवरी 1971 को लिया, उस

दिन निरीक्षण भवन में मेरी दृष्टि के भीतर जो कुछ हुआ, उसी पर आधारित है।"
मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 1 फरवरी 1971 को रायबरेली निरीक्षण भवन में जो कुछ हुआ, उसके संबंध में श्री यशपाल कपूर द्वारा दिया गया कथन सर्वथा संभाव्य नहीं है।

श्री यशपाल कपूर को 'नवजीवन' दिनांक 15 जनवरी 1971 में प्रकाशित समाचार (प्रदर्श 84-ए) से भी अवगत कराया गया, जिसमें—

—कांग्रेस संसदीय बोर्ड के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान संसद सदस्य उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिससे वे भंग संसद के लिए निर्वाचित हुए थे।

साक्षी ने उत्तर दिया कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि केंद्रीय कांग्रेस संसदीय बोर्ड द्वारा ऐसा कोई निर्णय लिया गया था अथवा नहीं, और न ही वह यह प्रमाणित कर सकते हैं कि उक्त समाचार सही रूप से प्रकाशित हुआ था।
श्री यशपाल कपूर का साक्ष्य चुनाव समाप्त होने के काफी समय बाद दर्ज किया गया था, और यह संभाव्य प्रतीत नहीं होता कि उनके साक्ष्य की तिथि तक उन्हें यह भी ज्ञात न हो कि कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने समाचार में वर्णित प्रकार का कोई निर्णय लिया था या नहीं।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 21 जनवरी 1971 से 26 जनवरी 1971 के मध्य दिल्ली में थीं। वह प्रतिवादी संख्या 1 के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने लंबे समय तक प्रतिवादी संख्या 1 के सचिवालय में कार्य किया था और उनकी स्वीकारोक्ति के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 का उन पर इतना विश्वास था कि जब उन्होंने 1967 में त्यागपत्र दिया, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने उनसे पुनः सचिवालय में सम्मिलित होने पर जोर दिया।

उनके और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच इस प्रकार के संबंधों को देखते हुए, उनके लिए स्वाभाविक आचरण यही होता—

—कि वे 21 जनवरी 1971 से 26 जनवरी 1971 के मध्य दिल्ली में उनसे मिलने पर 'नवजीवन' दिनांक 15 जनवरी 1971 में प्रकाशित कांग्रेस संसदीय बोर्ड के कथित निर्णय के बारे में उन्हें अवगत कराते और उनसे यह पूछते कि क्या वह सही है।
श्री यशपाल कपूर ने स्वीकार किया कि 21 जनवरी 1971 से 26 जनवरी 1971 के मध्य वे दो बार प्रतिवादी संख्या 1 से मिले, किंतु उन्होंने इस विषय में उनसे कुछ भी नहीं पूछा। इसके विपरीत, उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उन्हें बताया कि अनेक अन्य राज्यों के नेताओं ने उनसे अपने-अपने राज्यों से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया था। साक्षी ने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 से यह नहीं पूछा कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है।

अब, यह सर्वथा असंभाव्य है कि रायबरेली में उक्त समाचार (प्रदर्श 84-ए) पढ़ने के बाद और उसके पश्चात दिल्ली में प्रतिवादी संख्या 1 से दो बार मिलने के बावजूद, वे न तो प्रतिवादी संख्या 1 को उस समाचार के बारे में बताते और न ही उनसे यह जानने का प्रयास करते कि वह सही है या नहीं।

उपरोक्त सभी कारणों से, श्री यशपाल कपूर के कथन पर यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादी संख्या 1 ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार 1 फरवरी 1971 को स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया था।

अतः, परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उठाई गई यह दलील कि उन्होंने रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार 1 फरवरी 1971 को स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया था, अस्वीकार की जाती है।

अब यह विचार किया जाना है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं को प्रत्याशी के रूप में कब प्रस्तुत किया।

'प्रत्याशी' शब्द की परिभाषा अधिनियम की धारा 79(ख) में निम्नलिखित रूप में दी गई है:—
"'प्रत्याशी' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे किसी निर्वाचन में विधिवत् प्रत्याशी के रूप में नामित किया गया हो या जो स्वयं को ऐसा नामित किया गया होने का दावा करता हो; और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उस समय से प्रत्याशी माना जाएगा, जब निर्वाचन की संभावना रहते हुए, उसने स्वयं को भावी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करना प्रारम्भ कर दिया।"
(रेखांकन मेरा)

धारा 79(ख) के अर्थ में कोई व्यक्ति कब प्रत्याशी बनता है, इस प्रश्न पर एस. खादर शरीफ, अपीलार्थी बनाम मुन्नुसामी (ए.आई.आर. 1955 सर्वोच्च न्यायालय 775, पृ. 777) के वाद में विचार किया गया, और यह अवलोकन किया गया:—
"अतः जब धारा 79(ख) के अंतर्गत यह प्रश्न उठता है कि किसी निश्चित समय तक कोई व्यक्ति प्रत्याशी बन चुका था या नहीं, तो यह देखना आवश्यक है कि उस समय उसने स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा घोषित की थी या नहीं, जिससे यह कहा जा सके कि उसने स्वयं को भावी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया था।

केवल चुनाव लड़ने की मंशा बना लेना किसी व्यक्ति को भावी प्रत्याशी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा तभी होगा, जब वह उस मंशा को बाहरी जगत तक किसी घोषणा या ऐसे आचरण के माध्यम से संप्रेषित करे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वह प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का इरादा रखता है।"

याचिकाकर्ता ने ऑल इंडिया रेडियो से 29 दिसंबर 1970 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबोधित प्रेस-कॉन्फ्रेंस के टेप (प्रदर्श 129 से 131) तलब किए। श्री पी. माथुर (पी.डब्ल्यू. 60), स्टेशन डायरेक्टर, ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ, ने उक्त टेप इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने प्रेस-कॉन्फ्रेंस का प्रतिलेख (प्रदर्श 132) भी दाखिल किया, जिसे उन्होंने अपने समक्ष रिकॉर्ड किए गए टेप की सहायता से तैयार करने का दावा किया।

हालाँकि, जब श्री पी. माथुर गवाह-पेटी में उपस्थित थे, तब पक्षकारों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में न्यायालय में टेप चलाया गया, ताकि यह जाँचा जा सके कि प्रतिलेख का संबंधित भाग (मेरे द्वारा हाशिए में अंकित) टेप से मेल खाता है या नहीं, और यह पाया गया कि वह मेल खाता है।

श्री पी. माथुर (पी.डब्ल्यू. 60) ने जिरह में यह भी कहा कि उन्होंने टेप में आवाज को प्रतिवादी संख्या 1 की आवाज के रूप में पहचाना।

टेप रिकॉर्ड के प्रतिलेख (प्रदर्श 132) का हाशिए में अंकित भाग प्रतिवादी संख्या 1 को तब पढ़कर सुनाया गया, जब उन्होंने गवाह-पेटी में प्रवेश किया, और उन्होंने भी उसे सही स्वीकार किया।

संबंधित प्रश्न प्रतिवादी संख्या 1 से पूछा गया, और प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा दिया गया उत्तर, प्रतिलेख (प्रदर्श 132) के अनुसार, निम्नलिखित है:—
"प्र. थोड़ी देर पहले विपक्षी नेताओं की एक बैठक हुई थी, और वहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से बदलकर गुड़गाँव कर रही हैं?
उ. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ।"

यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1970 में उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों द्वारा गठित सरकार, जिसे सामान्यतः एस.वी.डी. सरकार कहा जाता था, सत्ता में थी। उसी संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 से यह प्रश्न पूछा गया था कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि वह रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी और अपना निर्वाचन क्षेत्र गुड़गाँव कर लेंगी।

मेरे विचार में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया उत्तर केवल यही अर्थ रखता है कि वह अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलने वाली थीं और वह रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी।

जब प्रतिवादी संख्या 1 गवाह-पेटी में आईं और उपर्युक्त प्रश्न-उत्तर उनके अपने अधिवक्ता द्वारा मुख्य परीक्षा में उनसे पूछा गया, ताकि उनका स्पष्टीकरण अभिलेख पर लाया जा सके, तो उन्होंने कहा कि उनका उत्तर आवश्यक रूप से यह नहीं दर्शाता कि वह अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलेंगी, और उनका आशय केवल यह था कि वह गुड़गाँव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगी।

इस बिंदु पर उनसे जिरह में पुनः प्रश्न किया गया, और तब उन्होंने कहा:—
"यह मानना गलत है कि प्रतिलेख (प्रदर्श 132) में अंकित उत्तर 'बी' देते समय मैंने यह संकेत दिया कि मैं किसी भी स्थिति में रायबरेली से अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदलूँगी और यह स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पुनः रायबरेली से ही चुनाव लड़ूँगी। मेरे विचार में इस मान्यता का कोई आधार नहीं है।"

मैंने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जिरह के दौरान दिए गए इस उत्तर पर अत्यंत सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष विचार किया है, किंतु मैं इसे स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता हूँ।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, यह प्रश्न प्रतिवादी संख्या 1 से एक विशेष पृष्ठभूमि में पूछा गया था, अर्थात् उस समय उत्तर प्रदेश में विपक्षी सरकार सत्ता में थी, और उस सरकार के नेता यह कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अपना निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से बदल रही हैं। यह एक प्रकार की चुनौती थी, और उसी रूप में यह प्रश्न प्रेस-कॉन्फ्रेंस में किसी संवाददाता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष रखा गया था।

जिस दृढ़ता से प्रतिवादी संख्या 1 ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—"नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ"—उसे परिस्थितियों में केवल यही अर्थ दिया जा सकता है कि उन्होंने यह संदेश दिया कि विपक्ष जो कह रहा था वह सही नहीं था और वह अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदल रही थीं।

इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि प्रेस-कॉन्फ्रेंस में केवल दो स्थानों का उल्लेख किया गया था—रायबरेली (मूल निर्वाचन क्षेत्र) और गुड़गाँव (संभावित निर्वाचन क्षेत्र)। किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का न तो नाम लिया गया था और न ही संकेत किया गया था।

उस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया उत्तर केवल यही अर्थ और संदेश दे सकता है कि वह अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदल रही थीं और वह रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी।

यदि गुड़गाँव के अतिरिक्त किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया होता, तो न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण कि "नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ" कहने का उनका आशय केवल इतना था कि वह रायबरेली से गुड़गाँव नहीं जाएँगी, किंतु किसी अन्य स्थान से चुनाव लड़ सकती थीं—कुछ हद तक स्वीकार्य हो सकता था।

मेरे मत में, अतः 29 दिसंबर 1970 को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उक्त वक्तव्य देकर, प्रतिवादी संख्या 1 ने बाहरी जगत के समक्ष स्पष्ट और असंदिग्ध रूप से यह घोषणा कर दी कि वह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, और इसलिए उसी तिथि से उन्हें प्रत्याशी माना जाना चाहिए।

इस बिंदु पर आगे बढ़ने से पूर्व, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई कुछ तकनीकी आपत्तियों का निस्तारण करना उपयुक्त होगा। प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को धारा

79(ख) के अंतर्गत प्रत्याशी माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि जब वह स्वयं को भावी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करे, तब निर्वाचन की संभावना विद्यमान हो।

उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि धारा 79(ख) में प्रयुक्त शब्द "निर्वाचन की संभावना रहते हुए" का अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि निर्वाचन की शुरुआत उस समय होती है, जब इस संबंध में अधिसूचना (writ) जारी की जाती है।

इस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अनेक मामलों का हवाला दिया, यथा— द काउंटीज़ ऑफ एल्गिन एंड नैर्न केस (V O'M & H p. 1); द लिचफील्ड केस (V O'M & H p. 27); द बरो ऑफ ग्रेट यारमाउथ केस (V O'M & H p. 176); द बोडमिन डिवीजन ऑफ द काउंटी ऑफ कॉर्नवाल केस (V O'M & E p. 223); द बरो ऑफ वालसाल केस (IV O'M & I p. 123) तथा द बेरविक-अपॉन-ट्वीड डिवीजन ऑफ द काउंटी ऑफ नॉर्थम्बरलैंड केस (VII O'M & H p. 1)।

प्रथम दृष्टया, इन मामलों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उनमें स्थापित सिद्धांत के अनुसार "निर्वाचन की संभावना" शब्द का अर्थ यह है कि निर्वाचन की शुरुआत अधिसूचना जारी होने के साथ होती है। इन मामलों में व्यक्त सामान्य सहमति यह प्रतीत होती है कि निर्वाचन उस समय प्रारंभ माना जाता है, जब वह युक्तिसंगत रूप से आसन्न (reasonably imminent) हो।

काउंटीज़ ऑफ एल्गिन एंड नैर्न केस में पृष्ठ 10 पर यह कहा गया:—
"किसी कारणवश, चाहे वह उचित हो या अनुचित, विधायिका ने इस प्रावधान को केवल उन व्ययों तक सीमित कर दिया है, जिन्हें 'निर्वाचन के संचालन और प्रबंधन' से जोड़ा जा सकता है; और ये शब्द, मेरे विचार में, कम से कम ऐसा निर्वाचन सुझाते और परिकल्पित करते हैं, जो केवल कल्पना में न हो, बल्कि युक्तिसंगत रूप से आसन्न हो।"

और पुनः पृष्ठ 11 पर यह कहा गया:—
"... निर्वाचन की वह अवधि, जिसे संचालित और प्रबंधित किया जाना था—एक ऐसी अवधि थी, जो कम से कम नामांकन की तिथि से बहुत पहले की नहीं थी; बल्कि उन घटनाओं के समूह या श्रृंखला से जुड़ी थी, जो नामांकन से ठीक पहले घटित होती हैं, और जो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सामान्य निर्वाचन की स्थिति में संसद के विघटन की घोषणा से प्रारंभ होती हैं, और उप-निर्वाचन की स्थिति में रिक्ति की घोषणा से।"

लिचफील्ड डिवीजन ऑफ द काउंटी ऑफ स्टैफर्ड केस में बैरन पोलॉक, जे. ने निम्नलिखित प्रश्न उठाया:—
"प्रश्न निस्संदेह इस बात पर निर्भर करता है कि निर्वाचन को कब प्रारंभ माना जा सकता है।"

एल्गिन मामले का उल्लेख करने के पश्चात उन्होंने कहा:—
"मैं इसके तथ्यों का उल्लेख नहीं करूँगा, क्योंकि उससे केवल विषय और अधिक जटिल हो जाएगा, किंतु मैं लॉर्ड मैकलेरन के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ कि 'निर्वाचन' से आशय एक ऐसे निश्चित निर्वाचन से है, जो पक्षकारों की जानकारी और विचार-परिकल्पना में हो।"

बरो ऑफ ग्रेट यारमाउथ मामले में न्यायमूर्ति चैनल ने पृष्ठ 188 पर कहा:—
"मैं अन्य न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण को पूर्णतः स्वीकार करता हूँ कि वह समय, जब निर्वाचन को प्रारंभ माना जाता है, कई उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है, और यह निश्चित रूप से केवल निर्वाचन के सक्रिय चरण की शुरुआत तक सीमित नहीं है, जैसे कि रिक्ति का उत्पन्न होना या अधिसूचना (writ) का जारी किया जाना।"

बोडमिन डिवीजन ऑफ द काउंटी ऑफ कॉर्नवाल मामले में न्यायमूर्ति लॉरेंस ने पृष्ठ 228 पर कहा:—
"अन्य आरोपों पर हमारे निष्कर्षों को देखते हुए इस बिंदु पर विस्तृत चर्चा करना अनावश्यक हो जाता है, किंतु मैं कुछ

शब्द कहना चाहता हूँ, क्योंकि यदि इस बिंदु का निर्धारण आवश्यक होता—जो कि नहीं है—तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बाध्य होता कि यह निर्वाचन अधिसूचना जारी होने से कई महीने पूर्व प्रारंभ हो चुका था, और इन सभी बैठकों पर किए गए व्यय को लौटाया जाना चाहिए था।"

बरो ऑफ वालसाल मामले में पृष्ठ 125 पर यह कहा गया:—
"मैं यह नहीं मान सकता कि प्रत्याशी होने की अवधि अथवा अभिकर्ता (agency) की अवधि को या तो अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि तक, या नामांकन की तिथि तक सीमित किया जा सकता है; बल्कि मेरा मत है कि जब किसी निर्वाचन के कुछ महीनों के भीतर संभावित होने की परिकल्पना की जाती है, और यह भली-भाँति स्वीकार किया जाता है कि किसी विशेष प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित करने के लिए तुरंत सक्रिय कदम उठाए जाने और हर संभव प्रयास किए जाने आवश्यक हैं, तब यह युक्तिसंगत रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कदम उठाने या ऐसे प्रयास करने के लिए कोई अभिकर्ता तब तक अस्तित्व में नहीं हो सकता, जब तक अधिसूचना जारी होकर निर्वाचन का तात्कालिक आगमन न हो जाए।"

बेरविक-अपॉन-ट्वीड मामले में पृष्ठ 30 पर यह कहा गया:—
"श्री फिलिप्सन को 4 नवंबर को प्रत्याशी के रूप में नामित किया गया था। यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं है कि निर्वाचन ठीक-ठीक किस दिन प्रारंभ हुआ, किंतु तथ्यों तथा स्वयं श्री फिलिप्सन की इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने कहा—'19 अक्टूबर को हमें पता था कि निर्वाचन होने वाला है'—यह निर्णय करना पर्याप्त है कि निर्वाचन निश्चित रूप से 19 अक्टूबर से, अर्थात् लंदन के कार्लटन क्लब में गठबंधन दल की बैठक के अगले दिन से, देर से नहीं प्रारंभ हुआ था।"

उपर्युक्त मामलों में से किसी एक में यह कहा गया है कि निर्वाचन को अधिसूचना जारी होने के साथ प्रारंभ या संभावित माना जाएगा—इस तथ्य से इतर, यह भी सत्य है कि इस देश में विधि की स्थिति इंग्लैंड जैसी बिल्कुल समान नहीं है।

इलेक्शन ट्रिब्यूनल, वेल्लोर ने मुनुस्वामी गौंडर बनाम खादर शरीफ एवं अन्य (4 ई.एल.आर. 283, पृ. 292) का निर्णय करते हुए कहा:—
"इस संदर्भ में, इस देश का विधि एक महत्वपूर्ण विचलन करता है, और हमारे मत में यह विचलन भिन्न परिस्थितियों के आलोक में महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को और अधिक रेखांकित करता है। यहाँ हम संक्षेप में यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक प्रथा की एक विशेषता का उल्लेख कर सकते हैं, जो बार-बार अंग्रेजी मामलों को प्रभावित और रंगित करती है, अर्थात् वहाँ किसी व्यक्ति को प्रायः किसी राजनीतिक संघ द्वारा प्रत्याशी के रूप में अपना लिया जाता है, उसके द्वारा किसी प्रकार की पहल किए बिना, जब तक कि किसी विशेष चरण पर उसकी सहमति द्वारा उस अंगीकरण को औपचारिक रूप नहीं दिया जाता।"

जो भी हो, हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में, 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा के विघटन के तुरंत बाद निर्वाचन संभावित हो गया था।

मुझे नहीं लगता कि यह दृष्टिकोण प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किसी भी अंग्रेजी निर्णय अथवा किसी भी भारतीय निर्णय में किए गए अवलोकनों से असंगत है।
कृष्ण कांत बनाम बेनमल्ल (ए.आई.आर. 1968 उड़ीसा 200) के मामले में, भारत सरकार के गृह मंत्री द्वारा 10 दिसंबर 1965 को एक घोषणा की गई थी, जिसके द्वारा उड़ीसा विधान सभा के सामान्य निर्वाचन को प्रारंभिक 1967 में होने वाले सामान्य निर्वाचन तक स्थगित कर दिया गया था।

20 दिसंबर 1965 को निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार के उक्त निर्णय को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उड़ीसा को

संप्रेषित किया। इसके पश्चात उड़ीसा विधानसभा का कार्यकाल 1 मार्च 1967 तक बढ़ा दिया गया।

यह अवलोकन किया गया कि 18 जून 1967 तक निर्वाचन संभावित हो चुका था, अर्थात् विधानसभा के विस्तारित कार्यकाल की समाप्ति से बहुत पहले।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि 29 दिसंबर 1970 को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्वोक्त वक्तव्य दिए जाने के समय निर्वाचन संभावित नहीं था, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जैसा कि पहले भी कहा गया है, 29 दिसंबर 1970 को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिया गया वक्तव्य, अपने आप में इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने उसी तिथि से रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया था।

फिर भी, इस निष्कर्ष को और अधिक पुष्ट करने वाली कुछ अन्य परिस्थितियों का उल्लेख करना निरर्थक नहीं होगा।यह जानने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वक्तव्य देकर क्या संदेश दिया, यह जानना भी प्रासंगिक होगा कि उस वक्तव्य को सामान्य रूप से किस प्रकार समझा गया।

प्रदर्श ए-17 'नेशनल हेराल्ड' का 30 दिसंबर 1970 का अंक है। इसमें 29 दिसंबर 1970 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संबोधित प्रेस-कॉन्फ्रेंस से संबंधित समाचार इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ—

"प्रधानमंत्री अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदल रहीं"।

इसके अतिरिक्त, समाचार में प्रतिवादी संख्या 1 से पूछे गए प्रश्न और उनके द्वारा दिए गए उत्तर का सार भी सम्मिलित है। प्रदर्श 81 'स्टेट्समैन' का 30 दिसंबर 1970 का अंक है। इस समाचार-पत्र में मुख्य शीर्षक था—

"निर्वाचन क्षेत्र बदलने से इनकार"।

आगे समाचार में कहा गया:—
"प्रधानमंत्री ने प्रारंभ में ही इस बात से इनकार किया कि वह आगामी लोकसभा चुनाव गुड़गाँव से, न कि रायबरेली से, लड़ने का इरादा रखती हैं।"

प्रदर्श 85 'इंडियन एक्सप्रेस' का 30 दिसंबर 1970 का अंक है। इस समाचार-पत्र में समाचार का शीर्षक था—

"रायबरेली ही निर्वाचन क्षेत्र"।

प्रदर्श 92 'हिंदुस्तान टाइम्स' का 30 दिसंबर 1970 का अंक है। इस समाचार-पत्र का शीर्षक भी था—

"सीट में कोई परिवर्तन नहीं"।

इसके पश्चात समाचार का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:—
"प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया कि वह अपना निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से गुड़गाँव स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। 'नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ,' उन्होंने कहा, जब संवाददाता ने पूछा कि क्या यह सच है, जैसा कि कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं, कि वह अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र को बदलने पर विचार कर रही हैं।"
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देश के लगभग प्रत्येक प्रमुख समाचार-पत्र ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रेस-कॉन्फ्रेंस में दिए गए वक्तव्य को यह अर्थ दिया कि वह अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदल रही थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त किसी भी समाचार का न तो प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा और न ही ए.आई. सी.सी. द्वारा कोई खंडन जारी किया गया।

इसके पश्चात एस. मल्लिंगप्पा (पी.डब्ल्यू. 14), श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (पी.डब्ल्यू. 15), श्री एस.पी. मालवीय (पी. डब्ल्यू. 36), श्री कर्पूरी ठाकुर (पी.डब्ल्यू. 37), राम सरन दास (पी.डब्ल्यू. 38), श्री बनारसी दास (पी.डब्ल्यू. 40) तथा श्री एल.के. आडवाणी (पी.डब्ल्यू. 44) का साक्ष्य है।

यद्यपि ये सभी विपक्षी दलों से संबंधित हैं, तथापि यह तथ्य बना रहता है कि ये सभी किसी न किसी स्तर पर प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति हैं।

इनमें से प्रत्येक ने शपथ पर कहा कि 29 दिसंबर 1970 को प्रेस-कॉन्फ्रेंस में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिए गए वक्तव्य को उन्होंने यह समझा कि प्रतिवादी संख्या 1 अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बदल रही थीं।

एक और तथ्य, जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि 29 दिसंबर 1970 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, कांग्रेस (आर) के महत्वपूर्ण नेता निर्वाचन क्षेत्र में आने लगे।

राम कुमार सिंह (पी.डब्ल्यू. 42) ने बयान दिया कि राजा दिनेश सिंह, जो उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे, 5 जनवरी 1971 को रायबरेली आए।

राम कुमार सिंह द्वारा दिए गए इस बयान—कि राजा दिनेश सिंह 5 जनवरी 1971 को रायबरेली आए थे—को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से नकारा नहीं गया, जैसा कि जिरह के दौरान राम कुमार सिंह से पूछे गए निम्नलिखित प्रश्न से स्पष्ट होता है:—
"प्र. मैं आपको यह सुझाव देता हूँ कि राजा दिनेश सिंह केवल यह जाँच करने के लिए आए थे कि प्रतिवादी संख्या 1 को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं।"

7 जनवरी 1971 को श्री गुलज़ारी लाल नंदा और श्री यशपाल कपूर रायबरेली आए—यह तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया गया है।

17 जनवरी 1971 को कांग्रेस (आर) के एक अन्य महत्वपूर्ण नेता श्री चंद्रशेखर ने रायबरेली का दौरा किया, जैसा कि राम कुमार सिंह (पी.डब्ल्यू. 42) ने बयान दिया।

यह उल्लेखनीय है कि उनकी जिरह में राम कुमार सिंह को यह सुझाव नहीं दिया गया कि चंद्रशेखर रायबरेली नहीं आए थे या कि इस संबंध में उनका कथन असत्य है। इसके विपरीत, उन्हें यह सुझाव दिया गया कि श्री चंद्रशेखर ने अपने भाषण में प्रतिवादी संख्या 1 की प्रत्याशिता के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था।

राम कुमार सिंह ने उस सुझाव का खंडन किया। इसके पश्चात उन्हें यह सुझाव दिया गया कि चंद्रशेखर ने केवल इतना कहा था कि कांग्रेस (आर) को एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव में सफल होना चाहिए।

अतः यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि चंद्रशेखर भी 17 जनवरी 1971 को रायबरेली आए थे।
18 और 19 जनवरी 1971 को भारत सरकार के एक अन्य मंत्री, प्रोफेसर शेर सिंह, ने रायबरेली का दौरा किया।
यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस (आर) के ये सभी नेता बिना किसी उद्देश्य के रायबरेली आ रहे थे।

मेरे विचार में, यह परिस्थिति—पूर्व में उल्लिखित अन्य परिस्थितियों के साथ—इस निष्कर्ष की ओर भी संकेत करती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 29 दिसंबर 1970 को रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर

दिया था, और कांग्रेस (आर) के नेता प्रतिवादी संख्या 1 के निर्वाचन-प्रचार के एक भाग के रूप में रायबरेली आ रहे थे।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि जनवरी 1971 के प्रारम्भ में याची को प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया था; तथा यह तथ्य कि प्रतिवादी सं. 1 ने कोयम्बटूर में भाषण देते समय राज नारायण की आलोचना की और कहा कि राज नारायण की उम्मीदवारी उनके विरुद्ध कीचड़ उछालने के उद्देश्य से प्रायोजित/प्रेरित की गई है—ये दोनों बातें भी इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि प्रतिवादी सं. 1 ने 29 जनवरी 1971 को स्वयं को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। प्रथम परिस्थिति के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने, अन्य साक्ष्यों के साथ-साथ, राम सरन दास (पी.डब्लू. 38), श्री कर्पूरी ठाकुर (पी.डब्लू. 37) तथा बनारसी दास (पी.डब्लू. 40) के साक्ष्य का उल्लेख किया। राम सरन दास ने कहा कि उन्होंने 10 जनवरी 1971 को एक वक्तव्य जारी किया था कि याची रायबरेली से संसद का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने 'पायनियर' दिनांक 11 जनवरी 1971 का अंक (प्रदर्श 78) तथा उसी तिथि का 'नेशनल हेराल्ड' का अंक (प्रदर्श 80) दाखिल किया, जिनमें उक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। श्री बनारसी दास (पी.डब्लू. 40) ने कहा कि जनवरी 1971 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक लखनऊ में श्री सी.बी. गुप्ता के निवास पर हुई, और तब यह निर्णय लिया गया कि याची को प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध प्रत्याशी बनाया जाएगा। श्री कर्पूरी ठाकुर (पी. डब्लू. 37) ने बयान दिया कि 1970–71 में वे अखिल भारतीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने आगे कहा कि 18 जनवरी 1970 को (कई दलों द्वारा उपस्थित) एक बैठक में उन्होंने इस निर्णय पर अपनी सहमति दी कि याची, रायबरेली से प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध चुनाव लड़ सकता है। द्वितीय परिस्थिति के संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने 'नेशनल हेराल्ड' दिनांक 20 जनवरी 1971 के अंक (प्रदर्श 82) की ओर संकेत किया। यह समाचार-पत्र प्रतिवादी सं. 1 के समक्ष उनकी जिरह के दौरान रखा गया और उन्होंने स्वीकार किया कि इस समाचार में उल्लिखित बातें उन्होंने कही हो सकती हैं। अतः 'नेशनल हेराल्ड' दिनांक 20 जनवरी 1971 में प्रकाशित उक्त समाचार (प्रदर्श 82) सिद्ध हो गया। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि जब तक प्रतिवादी ने स्वयं को रायबरेली निर्वाचन-क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया होता, तब तक कोयम्बटूर में (प्रदर्श 82 में वर्णित अनुसार) यह कहने का उनके पास शायद ही कोई अवसर होता कि रायबरेली से राज नारायण की उम्मीदवारी उनके विरुद्ध अधिकतम कीचड़ उछालने के उद्देश्य से फ्रंट पार्टियों द्वारा प्रायोजित की गई है। इन दोनों परिस्थितियों के आधार पर न्यूनतम यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी सं. 1 ने 10 जनवरी 1971 से कुछ पहले किसी समय स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था; अन्यथा राम सरन दास द्वारा यह वक्तव्य जारी करने का कोई अवसर नहीं होता कि याची रायबरेली से प्रतिवादी के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, और न ही प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोयम्बटूर में यह कहने का कोई अवसर होता कि रायबरेली से राज नारायण को उनके विरुद्ध कीचड़ उछालने हेतु प्रत्याशी चुना गया है।

अतः, और अधिक विस्तार में गए बिना, निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह संदेह से परे सिद्ध हो गया है कि प्रतिवादी सं. 1 ने 29 दिसंबर 1970 को रायबरेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से स्वयं को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। अतिरिक्त मुद्दों में से मुद्दा सं. 2 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

अतिरिक्त मुद्दों का मुद्दा सं. 3:

याचिका के अनुच्छेद 5 में यह आरोप लगाया गया है कि श्री यशपाल कपूर भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी थे और विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे; कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने चुनाव-प्रत्याशा को आगे बढ़ाने के लिए श्री यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त/प्रोक्योर की; और यह कि 27 दिसम्बर 1970 से परिणाम घोषित होने तक की पूरी अवधि के दौरान श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी सं. 1 के निर्वाचन-क्षेत्र में प्रतिवादी सं. 1 का चुनावी कार्य संगठित किया। लिखित कथन के अनुच्छेद 5 में प्रतिवादी सं. 1 ने स्वीकार किया कि श्री यशपाल कपूर भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी थे और प्रधानमंत्री सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर थे। तथापि, उन्होंने यह दलील दी कि उक्त श्री यशपाल कपूर ने उपर्युक्त पद से 13 जनवरी 1971 दिनांकित पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया; कि राष्ट्रपति महोदय ने 14 जनवरी 1971 से प्रभावी रूप में उनका त्यागपत्र स्वीकार करना प्रसन्नतापूर्वक अनुमोदित किया; और कि श्री यशपाल कपूर उस तिथि से भारत सरकार की सेवा में नहीं रहे। प्रतिवादी सं. 1 ने इस बात से इन्कार किया कि भारत

सरकार की सेवा में रहते हुए श्री यशपाल कपूर से उन्होंने अपने चुनाव-प्रत्याशा को आगे बढ़ाने हेतु कोई सहायता प्राप्त की या ली।

अतिरिक्त लिखित कथन के अनुच्छेद 2(क) में प्रतिवादी सं. 1 ने आगे यह दलील दी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के सचिव श्री पी.एन. हक्सर, जिनके पास श्री यशपाल कपूर को कार्यमुक्त करने का अधिकार था, ने 13 जनवरी 1971 को त्यागपत्र प्राप्त होने पर उन्हें यह सूचित किया कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है और औपचारिक आदेश यथासमय जारी कर दिए जाएंगे। अतिरिक्त लिखित कथन में ली गई दलील के अनुसार, त्यागपत्र-पत्र में उल्लिखित समय और तिथि से प्रभावी होकर त्यागपत्र के परिणामस्वरूप श्री यशपाल कपूर की सेवाएं समाप्त मानी गईं, और बाद में राष्ट्रपति के नाम से जारी अधिसूचना मात्र एक औपचारिकता थी।

उपर्युक्त अभिवचनों के दृष्टिगत, विचार हेतु जो प्रश्न निर्धारित किया गया है वह यह है कि क्या 14 जनवरी 1971 के बाद भी श्री यशपाल कपूर भारत सरकार की सेवा में बने रहे, और यदि हाँ, तो किस तिथि तक।

श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) ने शपथपूर्वक बयान दिया कि प्रतिवादी सं. 1 से बातचीत करने के बाद, उन्होंने 13 जनवरी 1971 को अपना त्यागपत्र श्री पी.एन. हक्सर को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं. 1 (आर.डब्ल्यू. 37) ने भी बयान दिया कि जनवरी 1971 के दूसरे सप्ताह में एक दिन श्री यशपाल कपूर ने अपने पद से त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की, तब उन्होंने उनसे पुनर्विचार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर पुनः उनके पास आए और बताया कि उन्होंने विषय पर पुनर्विचार कर लिया है तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन्हें पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जिस पर उन्होंने सहमति व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने श्री यशपाल कपूर से औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु श्री पी.एन. हक्सर के पास जाने को कहा। श्री पी.एन. हक्सर (आर.डब्ल्यू. 1) ने बयान दिया कि 13 जनवरी 1971 को लगभग 10 या 11 बजे पूर्वाह्न श्री यशपाल कपूर ने उन्हें टेलीफोन करके बताया कि वे अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं; तब उन्होंने श्री यशपाल कपूर को निर्देश दिया कि वे अपना त्यागपत्र लिखित रूप में उन्हें भेजें और उनसे मिलने भी आएं। श्री हक्सर ने आगे कहा कि एक घंटे के भीतर श्री यशपाल कपूर उनके कार्यालय में आए और विधिवत हस्ताक्षरित त्यागपत्र-पत्र प्रस्तुत किया। याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए त्यागपत्र-पत्र की प्रविष्टि हो, जिससे यह दिखाया जा सके कि वह वास्तव में 13 जनवरी 1971 को प्रस्तुत किया गया था। इसी आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि यह स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि त्यागपत्र-पत्र वास्तव में 13 जनवरी 1971 को प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार, त्यागपत्र संभवतः बाद में तैयार कर प्रस्तुत किया गया और उसे पूर्व-तिथि देकर 13 जनवरी 1971 को प्रस्तुत दिखाने का प्रयास किया गया। मैं यह नहीं मानता कि मात्र इस कारण से कि कोई रजिस्टर आदि अभिलेख पर नहीं लाया गया जिससे यह संकेत मिले कि त्यागपत्र-पत्र 13 जनवरी 1971 को प्रस्तुत किया गया था, प्रतिवादी सं. 1 (आर.डब्ल्यू. 37), श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) तथा श्री पी.एन. हक्सर (आर.डब्ल्यू. 1) के शपथपूर्वक बयानों को असत्य मानकर त्याज्य नहीं ठहराया जा सकता। याची के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त गवाहों के साक्ष्य में—जहाँ तक 13 जनवरी 1971 को त्यागपत्र-पत्र प्रस्तुत किए जाने का संबंध है—कोई दोष/कमज़ोरी इंगित नहीं कर सके। अतः प्रतिवादी सं. 1 (आर.डब्ल्यू. 37), श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) तथा श्री पी.एन. हक्सर के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, यह स्वीकार किया जाता है कि श्री यशपाल कपूर ने 13 जनवरी 1971 को श्री पी.एन. हक्सर के कार्यालय में अपना त्यागपत्र-पत्र प्रस्तुत किया था। तथापि प्रश्न यह है कि श्री यशपाल कपूर द्वारा प्रस्तुत किया गया त्यागपत्र कब से प्रभावी हुआ।

यह तथ्य प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दायर लिखित कथन में स्वीकार किया गया है कि श्री यशपाल कपूर भारत सरकार में राजपत्रित अधिकारी थे और प्रतिवादी सं. 1 के सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। श्री एन.के. सेशन (पी.डब्लू. 53), प्रधानमंत्री के निजी सचिव, ने भी कहा कि त्यागपत्र देने से पहले श्री यशपाल कपूर का पदनाम विशेष कार्य अधिकारी था तथा यह अधिकतम वेतन पाने वाले एक अवर सचिव के समकक्ष पद का राजपत्रित पद था। मेरे समक्ष दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 उन पर लागू होते थे। उक्त नियमों का नियम 5, जहाँ तक हमारे प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"5 (क) जो अस्थायी सरकारी सेवक अर्ध-स्थायी सेवा में नहीं है, उसकी सेवा किसी भी समय लिखित नोटिस द्वारा समाप्त की जा सकेगी, जो या तो सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को दिया जाए, अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दिया जाए।

(ख) ऐसे नोटिस की अवधि एक माह होगी, जब तक कि सरकार और सरकारी सेवक के बीच अन्यथा सहमति न हो: परन्तु यह कि ऐसे किसी भी सरकारी सेवक की सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी, यदि उसे नोटिस-अवधि के लिए (या, यथास्थिति, उस अवधि के लिए, जिससे ऐसा नोटिस एक माह से कम पड़ता हो या किसी सहमत अधिक अवधि से कम पड़ता हो) उसके वेतन तथा भत्तों के समतुल्य राशि का भुगतान कर दिया जाए।"

श्री एस.के. कृष्णन (आर.डब्ल्यू. 5), निदेशक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, ने दिनांक 6 मई 1958 का कार्यालय ज्ञापन (प्रदर्श क-25) दाखिल किया, जिसमें त्यागपत्र तथा उसकी स्वीकृति के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। उसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि त्यागपत्र तब प्रभावी होता है जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है और अधिकारी को उसके कर्तव्यों से कार्यमुक्त कर दिया जाता है। उसमें आगे यह भी कहा गया है कि 'जहाँ त्यागपत्र प्रभावी नहीं हुआ है और अधिकारी उसे वापस लेना चाहता है, तो जिस प्राधिकारी ने त्यागपत्र स्वीकार किया है, उसके लिए यह खुला है कि वह ऐसे प्रत्याहार के अनुरोध को स्वीकार करे या अस्वीकार करे।'

क्योंकि श्री यशपाल कपूर भारत सरकार में एक राजपत्रित पद पर थे; तथा केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949, और निर्देश (प्रदर्श क-25) को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि श्री यशपाल कपूर तब तक सरकारी सेवक नहीं रह सकते थे जब तक कि उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र-पत्र को स्वीकार करने का कोई आदेश पारित न कर दिया जाए। प्रतिवादी सं. 1 (आर.डब्ल्यू. 37) के बयान तक सीमित रहें तो उन्होंने केवल इतना कहा कि जब श्री यशपाल कपूर ने उनसे यह इच्छा व्यक्त की कि वे अपने पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तब उन्होंने उन्हें औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु श्री पी.एन. हक्सर के पास जाने के लिए निर्देशित किया। निःसंदेह, उन्होंने यह भी कहा कि बाद में श्री पी.एन. हक्सर ने उन्हें बताया कि श्री यशपाल कपूर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है; परंतु यह साक्ष्य श्रुतकथन प्रकृति का है, जिसे अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) ने यह नहीं कहा कि उनके समक्ष उनके त्यागपत्र-पत्र को स्वीकार करने का कोई आदेश पारित किया गया था। इस बिंदु पर श्री पी.एन. हक्सर का साक्ष्य कुछ रोचक है। मुख्य-परीक्षा में उन्होंने कहा कि जब 13 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर उनके कार्यालय में मिले और उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, तो उन्होंने श्री यशपाल कपूर से कहा कि वे तत्काल एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद जिरह में उनसे पूछा गया कि क्या किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति मौखिक रूप से करना और मौखिक रूप से उसकी सेवाएँ समाप्त करना अनुमन्य है; इस पर उन्होंने उत्तर दिया:
"मुझे किसी ऐसे नियम की जानकारी नहीं है जिसके अंतर्गत मौखिक रूप से नियुक्तियाँ करना अनुमन्य हो। मेरे विचार में, किसी अस्थायी सरकारी सेवक की सेवाएँ मौखिक रूप से भी समाप्त की जा सकती हैं, जिसके बाद लिखित आदेश दिया जा सकता है।"

फिर उनसे पूछा गया कि क्या भारत सरकार के कार्यालयों में यही प्रचलित प्रथा है; तो उन्होंने उत्तर दिया:
"मैंने देश के भीतर और विदेश में बड़े तथा महत्वपूर्ण कार्यालयों का कार्यभार संभाला है और यही प्रथा मैंने अपनाई है, तथा आज तक उस प्रथा पर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है।"

श्री पी.एन. हक्सर द्वारा दिया गया उपर्युक्त कथन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। सरकारी कार्यालयों में व्यक्तियों की नियुक्ति, विशेष रूप से राजपत्रित पदों पर, तथा उनकी सेवाओं की समाप्ति, अब वैधानिक नियमों द्वारा शासित है, और नियुक्ति प्राधिकारी को सरकारी सेवक की नियुक्ति करने तथा सरकारी सेवक की सेवाएँ समाप्त करने के लिए उन्हीं नियमों के अंतर्गत कार्य करना होता है। नियमों का निहित निर्देश यह है कि सेवाएँ समाप्त करने हेतु लिखित आदेश होना चाहिए। किसी नियम के अभाव में सरकारी सेवकों को मौखिक रूप से नियुक्त करना और मौखिक रूप से हटाना कल्पनीय नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री हक्सर ने भी ऐसा कोई नियम बताने में अपनी

असमर्थता व्यक्त की जिसके अंतर्गत मौखिक रूप से लोगों की नियुक्ति और मौखिक रूप से उनकी सेवाएँ समाप्त करना अनुमन्य हो। यह कथन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अतिरिक्त लिखित कथन में त्यागपत्र की मौखिक स्वीकृति संबंधी जो दलील ली गई थी, उसे बल देने के लिए ही किया गया। इस संदर्भ में यह उल्लेख अनुचित नहीं होगा कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपना लिखित कथन लगभग 2 अगस्त 1971 को दाखिल किया (और वह 2 अगस्त 1971 को ही सत्यापित किया गया), जबकि अतिरिक्त लिखित कथन लगभग 27 अगस्त 1972 को दाखिल किया गया (और उसी दिन सत्यापित किया गया)। त्यागपत्र की मौखिक स्वीकृति की दलील मूल लिखित कथन में नहीं ली गई थी; वह पहली बार अतिरिक्त लिखित कथन में—मूल लिखित कथन दाखिल होने की तिथि से लगभग एक वर्ष बाद—उठाई गई। अतः यह दलील पश्चात्विचार प्रतीत होती है।

चूँकि श्री पी.एन. हक्सर ने कहा था कि मौखिक आदेशों के बाद लिखित आदेश दिए जाते हैं, उनसे पूछा गया कि क्या 13 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र-पत्र पर कोई लिखित आदेश पारित हुआ था; उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी त्यागपत्र-पत्र मँगवाकर यह देखा कि उस पर कोई लिखित आदेश पारित हुआ है या नहीं; इस पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है। जिरह में इस बिंदु को आगे दबाया गया, जैसा कि निम्न प्रश्न-उत्तर से स्पष्ट है:

"प्र. आपने कहा कि मौखिक आदेश के बाद हमेशा लिखित आदेश होता है। आप विशेष कार्य अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी थे। क्या आपने 13 जनवरी 1971 के बाद किसी भी चरण पर, सचिव तथा विशेष कार्य अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में, यह सुनिश्चित किया कि आपके द्वारा मौखिक रूप से दिए गए आदेश की पुष्टि में कोई लिखित आदेश पारित हुआ है?"

"उ. मुझे इस समय याद नहीं कि क्या त्यागपत्र-पत्र किसी चरण पर मेरे द्वारा मँगवाया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई लिखित आदेश पारित हुआ है या नहीं।"

आगे श्री पी.एन. हक्सर ने कहा:
"मुझे श्री यशपाल कपूर के त्यागपत्र-पत्र पर कोई लिखित आदेश अवश्य पारित किया होगा, परंतु आज मुझे वस्तुतः याद नहीं कि मैंने आदेश पारित किया या नहीं।" (रेखांकन मेरे द्वारा)

श्री पी.एन. हक्सर द्वारा दिया गया उपर्युक्त कथन अपने आप में बहुत कुछ कह देता है और इस पर लगभग किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। यह कहना अनावश्यक है कि श्री पी.एन. हक्सर के कथन के आधार पर यह किसी भी क्षण नहीं माना जा सकता कि श्री यशपाल कपूर के त्यागपत्र-पत्र पर उस तिथि तक कोई लिखित आदेश पारित हो गया था, जब तक कि त्यागपत्र स्वीकार करने वाला आदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा नहीं गया। दूसरे शब्दों में, अभिलेख पर उपलब्ध एकमात्र आदेश, जिसे श्री यशपाल कपूर के त्यागपत्र-पत्र पर पारित आदेश कहा जा सकता है, वह दिनांक 25 जनवरी 1971 की अधिसूचना (प्रदर्श क-8) में निहित है। श्री यशपाल कपूर का त्यागपत्र-पत्र प्रतिवादी सं. 1 की अभिरक्षा में था, और श्री पी.एन. हक्सर इस बात को जानने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे कि 25 जनवरी 1971 से पहले त्यागपत्र स्वीकार करने का कोई आदेश पारित हुआ था या नहीं। चूँकि कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर यह दिखाने के लिए नहीं लाया गया कि 25 जनवरी 1971 से पूर्व श्री यशपाल कपूर के त्यागपत्र-पत्र पर कोई लिखित आदेश पारित हुआ था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि त्यागपत्र-पत्र पर 25 जनवरी 1971 को ही उसे स्वीकार करने वाला आदेश पारित किया गया।

यह सही है कि राजपत्र अधिसूचना (प्रदर्श क-8) के अनुसार श्री यशपाल कपूर का त्यागपत्र 14 जनवरी 1971 से प्रभावी रूप से स्वीकार किया गया था; तथापि यह उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि त्यागपत्र स्वीकार करने का आदेश 25 जनवरी 1971 को पारित हुआ। उस आदेश के पारित होने तक श्री यशपाल कपूर की स्थिति सरकारी सेवक की बनी रही, यद्यपि जब आदेश पारित हुआ तो उसे प्रतिगामी प्रभाव देते हुए 14 जनवरी 1971 से वैध/प्रभावी दिखाया गया।

त्यागपत्र कब से प्रभावी होता है—यह प्रश्न अनेक मामलों में विचाराधीन रहा है। राम मूर्ति बनाम सुम्बा सरदार एवं अन्य (2 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 331) के मामले में प्रतिवादियों में से एक व्यक्ति विद्यालय में शिक्षक था और इसलिए वह लाभ का पद धारण करता था। उसने 19 अक्टूबर 1951 को अपने पद से बिना शर्त त्यागपत्र दे दिया। उसे सूचित किया गया कि जब तक किसी स्थानापन्न की व्यवस्था नहीं हो जाती, उसे कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद उसने 6 नवम्बर 1951 को चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के आधार पर एक माह के अवकाश के लिए आवेदन किया और काम करना बंद कर दिया। 10 नवम्बर 1951 को उसने अपना नामांकन-पत्र दाखिल किया। उसका त्यागपत्र 14 जनवरी 1952 को स्वीकार किया गया। निर्णय यह हुआ कि प्रतिवादी ने मात्र त्यागपत्र प्रस्तुत करने या काम बंद कर देने से अपना पद धारण करना समाप्त नहीं किया था, और 10 नवम्बर 1951 को चुनाव लड़ने के लिए वह अयोग्य था। उस मामले में पृष्ठ 336 पर निम्नलिखित टिप्पणी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है:
"विचार हेतु जो बिंदु अब महत्वपूर्ण है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत करना—भले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार न किया गया हो—सेवा-समापन के समतुल्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 यह है कि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित किए जाने के अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति जो राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के प्रसादपर्यंत या संघ के प्रसादपर्यंत (जैसा भी मामला हो) पद धारण करता है, तो यह कल्पना करना असंभव है कि पदधारी व्यक्ति अपने प्रसाद पर पद धारण करेगा। अतः प्रतिवादी सं. 1, राज्य के अधीन पदधारी होने के नाते, जब तक वह राज्य के अधीन पद धारण करता रहा, तब तक वह अपनी इच्छा से सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं था।"

बहोरी लाल पलिवाल बनाम जिला अधिकारी, बुलन्दशहर (ए.आई.आर. 1956 इलाहाबाद 511 पूर्ण पीठ) में—नगर क्षेत्र समिति के अध्यक्ष के संदर्भ में—यही प्रश्न विचार हेतु आया और यह कहा गया:
"कुछ मामलों में त्यागपत्र जैसे ही सक्षम प्राधिकारी को दे दिया जाता है, प्रभावी हो सकता है। अन्य मामलों में वह तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि उस प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार न कर लिया जाए। क्लब जैसी स्वैच्छिक संस्थाओं में कोई व्यक्ति सदस्य बनने के लिए स्वतंत्र होता है और, जब तक संस्था के नियमों में विपरीत बात न कही गई हो, वह जब चाहे त्यागपत्र देने के लिए भी स्वतंत्र होता है।"

इसके पश्चात हॉल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, साइमंड्स संस्करण, खंड पाँच, पृष्ठ 261 का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने कहा:
"परन्तु सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन के लिए विधि द्वारा निर्मित निगम में किसी सदस्य को अपनी इच्छा से त्यागपत्र देने का पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि विधि सार्वजनिक हित में निर्वाचित/नियुक्त व्यक्ति पर यह कर्तव्य आरोपित कर सकती है कि वह उस सार्वजनिक पद पर कार्य करे।"

न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एडवर्ड्स एम. एडवर्ड्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (1880) 26 एल.ई. 314 (सी) से निम्नलिखित कथन को अनुमोदन सहित उद्धृत किया:
"इंग्लैण्ड में नगरपालिका पद पर निर्वाचित व्यक्ति पर उसे स्वीकार करने और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने का दायित्व था, और अस्वीकार करने पर वह दण्ड के लिए उत्तरदायी होता था। पद को एक बोझ माना जाता था, जिसे समुदाय और सुशासन के हित में नियुक्त व्यक्ति को वहन करना पड़ता था। और इससे स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकला कि, एक बार जब पद प्रदान कर दिया गया और ग्रहण कर लिया गया, तो नियुक्ति-कर्ता प्राधिकारी की सहमति के बिना उसे छोड़ा नहीं जा सकता।

यह इसलिए आवश्यक था ताकि विधियों के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक सेवकों के अभाव में सार्वजनिक हित को कोई असुविधा न हो... त्यागपत्र को पूर्ण करने के लिए यह आवश्यक है कि निगम त्यागपत्र के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी स्वीकृति प्रकट करे, जो सार्वजनिक अभिलेखों में प्रविष्टि करके, या उस स्थान को रिक्त मानकर किसी अन्य व्यक्ति का निर्वाचन करके, किया जा सकता है।"

उस मामले में यह निर्णय किया गया कि चूँकि अध्यक्ष ने जिला अधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने से पहले ही त्यागपत्र वापस ले लिया था, इसलिए जिला अधिकारी के पास त्यागपत्र स्वीकार करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहा, भले ही त्यागपत्र बिना शर्त था।

राज कुमार बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1969 सर्वोच्च न्यायालय 180) में यह कहा गया:
"सरकार द्वारा पारित आदेश के माध्यम से सेवा-समाप्ति तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक उस आदेश की सूचना कर्मचारी को नहीं दे दी जाती। परन्तु जहाँ किसी लोक सेवक ने अपने त्यागपत्र-पत्र द्वारा अपनी सेवा-समाप्ति को आमंत्रित किया हो, वहाँ सामान्यतः उसकी सेवाएँ उस तिथि से समाप्त मानी जाएँगी जिस तिथि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र-पत्र स्वीकार किया जाता है; और, यदि उसकी सेवा-शर्तों को नियंत्रित करने वाले किसी विधि या नियम में विपरीत बात न हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के बाद लोक सेवक के लिए त्यागपत्र वापस लेना खुला नहीं होगा। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति-नियमों के अनुरूप त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लिया जाता, संबंधित लोक सेवक के पास पश्चात्ताप कर निर्णय बदलने का अवसर रहता है; उसके बाद नहीं।"

उपर्युक्त राज कुमार बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त दृष्टि की पुनरावृत्ति तब की गई जब वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया (राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी: ए.आई.आर. 1972 सर्वोच्च न्यायालय 1302)।

उपर्युक्त निर्णयों में घोषित विधि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री यशपाल कपूर 25 जनवरी 1971 तक भारत सरकार की सेवा में बने रहे, क्योंकि इसी तिथि को उनका त्यागपत्र स्वीकार करने का आदेश पारित हुआ। उक्त मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार, 25 जनवरी 1971 तक श्री यशपाल कपूर अपना त्यागपत्र वापस लेने का अनुरोध भी कर सकते थे। यह तथ्य कि 25 जनवरी 1971 के आदेश द्वारा त्यागपत्र-स्वीकृति को 14 जनवरी 1971 से प्रभावी दिखाया गया, इस निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकता कि श्री यशपाल कपूर 14 जनवरी 1971 से प्रभावी रूप से सरकारी सेवक नहीं रहे।

प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तत्पश्चात प्रतिवादी सं. 1 (आर.डब्ल्यू. 37) के बयान के उस भाग की ओर संकेत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 13 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने विषय पर पुनर्विचार कर लिया है तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए; जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने श्री यशपाल कपूर से कहा कि वे औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु श्री पी.एन. हक्सर के पास चले जाएँ। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह वस्तुतः श्री यशपाल कपूर द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को मौखिक रूप से त्यागपत्र प्रस्तुत करने के समान है। विद्वान अधिवक्ता ने इस समर्थन में कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम से 'त्यागपत्र देने की विधि' तथा 'स्वीकार करने की विधि' पदबंधों का अर्थ उद्धृत किया, ताकि यह प्रतिपादित किया जा सके कि त्यागपत्र मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है और मौखिक रूप से स्वीकार भी किया जा सकता है। यह तर्क मुझे कोई बलवान नहीं प्रतीत होता। 'त्यागपत्र देने की विधि' को परिभाषित करते हुए कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम में यह भी कहा गया है:
"जहाँ संविधानिक या वैधानिक आवश्यकताओं द्वारा किसी पद से त्यागपत्र देने की कोई विशिष्ट विधि निर्धारित नहीं की गई हो, वहाँ किसी औपचारिक विधि की आवश्यकता नहीं है; वह मौखिक भी हो सकता है अथवा निहित भी। परन्तु जहाँ विधि द्वारा त्यागपत्र की कोई विधि निर्धारित की गई हो, सामान्यतः वही विधि अनन्य/विशिष्ट होती है।"
(रेखांकन मेरे द्वारा)

इसी प्रकार 'स्वीकृति की विधि' पदबंध को परिभाषित करते हुए कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम में यह भी कहा गया है:
"जहाँ संविधान या विधि द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की कोई विशिष्ट विधि निर्धारित नहीं की गई हो, वहाँ स्वीकृति की कोई औपचारिक विधि आवश्यक नहीं है; और वह मौखिक भी हो सकती है, अथवा किसी ऐसे आधिकारिक कार्य के निष्पादन से भी प्रदर्शित हो सकती है जिसे विधिक रूप से तब तक नहीं किया जा सकता जब तक त्यागपत्र स्वीकार न

कर लिया गया हो।" (रेखांकन मेरे द्वारा)

मैं पहले ही यह इंगित कर चुका हूँ कि त्यागपत्र तथा सेवा-समाप्ति के विषय में पक्षकार—अर्थात् भारत सरकार और श्री यशपाल कपूर—केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949 द्वारा शासित थे, जो वैधानिक नियम थे। अतः कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम में उपर्युक्त पदबंधों को जो अर्थ दिया गया है, उसके आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्री यशपाल कपूर त्यागपत्र मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते थे या उसका मौखिक रूप से स्वीकार किया जाना संभव था।

इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में त्यागपत्र के प्रभावी होने के लिए उसकी स्वीकृति का कोई औपचारिक आदेश आवश्यक नहीं है और वह प्रस्तुत किए जाते ही प्रभावी हो जाता है। इस दलील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 56, 67, 90(ख), 101(3)(ख), 124(2) के परंतुक के खंड (क), 156, 190(3), 217(1)(क) तथा 316 के परंतुक के खंड (क) का उल्लेख किया। इन सभी अनुच्छेदों का अवलोकन किया गया। इन अनुच्छेदों में उल्लिखित व्यक्तियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे संबंधित प्राधिकारी को अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित पत्र द्वारा अपनी सीट या पद से त्यागपत्र दे दें। इस प्रकार, विधि द्वारा, उक्त संवैधानिक अनुच्छेदों में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में त्यागपत्र का विषय एकपक्षीय कार्य बना दिया गया है। ये अनुच्छेद श्री यशपाल कपूर पर लागू नहीं हो सकते, क्योंकि वे ऊपर उल्लिखित पृथक नियम-समूह द्वारा शासित थे।

इसके बाद प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील के समर्थन में कुछ अंग्रेजी निर्णयों का उल्लेख किया कि त्यागपत्र के प्रभावी होने के लिए उसकी स्वीकृति का कोई औपचारिक आदेश आवश्यक नहीं है। ये मामले हैं:

(क) मैटलैंड्स केस (इंग्लिश रिपोर्ट्स, 43 चांसरी 708);
ख) लैचफोर्ड प्रीमियर सिनेमा लिमिटेड बनाम एन्नियन (चांसरी डिवीजन, खंड 2, 1931); \
ग) मॉरिस बनाम बैरन एंड कंपनी (1918 ए.सी. 1);
घ) न्यू साउथ वेल्स के अटॉर्नी-जनरल बनाम परपेचुअल ट्रस्टी कंपनी (लि.) एवं अन्य (1955, 1 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 846);
ङ) ग्लॉसॉप बनाम ग्लॉसॉप (1907, खंड 2, चांसरी डिवीजन)।

विद्वान अधिवक्ता ने क्वीन्स बेंच के निर्णय का भी उल्लेख किया, जो निम्नलिखित वाद में दिया गया था: इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर्स बनाम हैमब्रुक (1956 (1) ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 807), तथा उसी वाद में अपीलीय न्यायालय के निर्णय का भी, जो 1956 (3) ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 338 में प्रकाशित है।

उपर्युक्त सभी वाद स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

मैटलैंड्स का मामला एक कंपनी के निदेशक द्वारा दिए गए इस्तीफे से संबंधित है। यह किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए इस्तीफे से संबंधित नहीं है। मामले की रिपोर्ट से यह प्रतीत नहीं होता कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस्तीफा प्रस्तुत करने या उसे स्वीकार करने के लिए कोई विधि निर्धारित की गई थी। लैचफोर्ड प्रीमियर सिनेमा लिमिटेड बनाम एनियन के मामले में भी विषय किसी लोक सेवक के इस्तीफे का नहीं था, बल्कि एक कंपनी के निदेशक के इस्तीफे का था। इस्तीफा वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत और स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए इसे पारस्परिक सहमति का मामला कहा गया। मॉरिस बनाम बैरन एंड कंपनी का मामला वस्तुओं की बिक्री के अनुबंध से संबंधित है, न कि किसी भी प्रकार के इस्तीफे से। ग्लॉसन बनाम ग्लॉसन के मामले में भी विवाद का विषय एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के निदेशक का इस्तीफा था। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आधार पर यह माना गया कि इस्तीफा जैसे ही प्रस्तुत किया गया, उसी समय से प्रभावी हो गया। शेष तीन मामले केवल क्राउन और उसके सेवकों के बीच संबंधों से संबंधित हैं। अतः उपर्युक्त मामलों में कही गई किसी भी बात के आधार पर यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि श्री यशपाल कपूर द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा, जो वैधानिक नियमों द्वारा शासित थे, प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद

प्रभावी हो गया था।

राष्ट्रपति क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तत्पश्चात अपने तर्क के समर्थन में रॉजर्स ऑन इलेक्शन, 20वाँ संस्करण, खंड 2, पृष्ठ 21 का उल्लेख किया, जिसमें एब्रोब्रॉथॉक और लैनार्कशायर के मामलों का उल्लेख है।

पहला मामला वर्ष 1748 का है और दूसरा वर्ष 1774 का है तथा दोनों स्कॉटलैंड से संबंधित हैं। इस प्रकार प्रतीत होता है कि ये मामले दो शताब्दियों पुराने हैं। हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समय स्कॉटलैंड में इस्तीफे के विषय को नियंत्रित करने वाले नियम क्या थे। इसके अतिरिक्त, इन दोनों मामलों पर विचार किया जा चुका है और उन्हें सुदर्शन राव बनाम क्रिश्चियन पिल्लै एवं अन्य (ए.आई.आर. 1924 मद्रास 306) के मामले में तथा पुनः राम मूर्ति बनाम सुम्बा सदर एवं अन्य (2 ई.एल.आर. 331, पृ. 337) के मामले में पृथक किया जा चुका है। परिणामस्वरूप, 'रॉजर्स ऑन इलेक्शन' पुस्तक में उल्लिखित उपर्युक्त दोनों मामलों पर कोई भी निर्भरता नहीं रखी जा सकती।

अब भारतीय निर्णयों की ओर आते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वप्रथम पी.आर.एन. अब्दुल हक बनाम कटपडी इंडस्ट्रीज़ (ए.आई.आर. 1960 मद्रास 482) के मामले का उल्लेख किया। यह मामला भी एक कंपनी के निदेशक से संबंधित है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस विषय से संबंधित कुछ भी था। अतः अंग्रेजी मामलों पर निर्भर करते हुए यह कहा गया कि जो निदेशक इस्तीफा दे चुका है, उसे उसके इस्तीफे की तिथि से ही पदत्याग किया हुआ माना जाएगा। इस मामले का वर्तमान मामले पर कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता।

विद्वान अधिवक्ता ने इसके पश्चात ए.एच. रंगरेज़ बनाम एम.एन. कौल एवं अन्य (40 इलेक्शन लॉ रिपोर्ट्स 130) के मामले का उल्लेख किया। इस मामले में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक ऑर्डरली चपरासी ने 3 अगस्त 1966 को अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया।

यह इस्तीफ़ा कुछ कार्यालयों के बीच घूमता रहा और 27 फरवरी 1967 को 3 अगस्त 1967 से प्रभावी माने जाने के साथ स्वीकार किया गया। ऑर्डरली चपरासी ने 23 जनवरी 1967 से कुछ समय पूर्व अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। नामांकन पत्रों की जांच 23 जनवरी 1967 को हुई। यह प्रश्न उठा कि क्या याचिकाकर्ता, अर्थात वह ऑर्डरली चपरासी, नामांकन पत्रों की जांच की तिथि पर कोई लाभ का पद धारण किए हुए था और क्या वह चुने जाने के लिए अयोग्य था। यह माना गया कि चूँकि इस्तीफ़ा जांच की तिथि से पूर्व की किसी तिथि से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस तिथि पर याचिकाकर्ता कोई लाभ का पद धारण किए हुए था।

इस मामले के संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम, हमें यह ज्ञात नहीं है कि जम्मू और कश्मीर में ऑर्डरली चपरासियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम क्या थे, जहाँ से यह मामला संबंधित है। द्वितीय, इस मामले में इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं है कि इस्तीफ़ा प्रस्तुत किए जाने की तिथि और उसे स्वीकार करने के आदेश की तिथि के बीच याचिकाकर्ता की स्थिति क्या थी।

वर्तमान मामले (राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी) में भी इसी प्रकार की स्थिति पहले उत्पन्न हुई थी, जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया। सर्वोच्च न्यायालय ने (राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 1302, पृ. 1308) यह अवलोकन किया:-
"यशपाल कपूर ने प्रतीत होता है कि 13 जनवरी 1971 को अपने धारण किए हुए पद से इस्तीफ़ा प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत अधिसूचना की प्रमाणित प्रति से यह प्रदर्शित होता है कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफ़ा 25 जनवरी 1971 को स्वीकार किया और वही 6 फरवरी 1971 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रपति के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने यशपाल कपूर का इस्तीफ़ा 14 जनवरी 1971 से प्रभावी माना। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के आदेश के वास्तविक प्रभाव की जांच किए बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यशपाल कपूर का इस्तीफ़ा 14 जनवरी 1971 से प्रभावी हो गया। हमारे

मत में इस निष्कर्ष पर पुनर्विचार अपेक्षित है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ए.एच. रंगरेज़ बनाम एम.एन. कौल एवं अन्य के मामले में इस बिंदु का विस्तृत परीक्षण नहीं किया गया है। अतः उक्त निर्णय के आधार पर यह मान लेना मेरे लिए कठिन है कि यशपाल कपूर का इस्तीफ़ा 14 जनवरी 1971 से प्रभावी हो गया था, केवल इसलिए कि 25 जनवरी 1971 के आदेश द्वारा, जिसके माध्यम से इस्तीफ़ा स्वीकार किया गया, उसे उस तिथि से प्रभावी बताया गया।

इसके पश्चात विद्वान अधिवक्ता ने वी.पी. गिंद्रोनिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1494) के मामले का उल्लेख किया। इस मामले में अपीलकर्ता ने 6 जनवरी 1964 को सरकार को अपनी सेवा समाप्त करने की सूचना दी थी। तथापि, सरकार ने उसके विरुद्ध विभागीय जांच के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह प्रश्न उठा कि क्या अपीलकर्ता 6 जून 1964 के बाद भी सेवा में बना रहा। उस मामले में अपीलकर्ता की सेवा को नियंत्रित करने वाले नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस) रूल्स थे। उन नियमों का नियम 12, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (टेम्परेरी सर्विस) रूल्स के नियम 5 के अनुरूप था। उन नियमों पर विचार करने के उपरांत न्यायालय ने यह अवलोकन किया:-

राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफ़ा 25/01/1971 को स्वीकार किया और इसकी सूचना 06/02/1971 को दी गई। राष्ट्रपति के आदेश से पता चलता है कि उन्होंने यशपाल कपूर का इस्तीफ़ा 14/01/1971 से प्रभावी माना।

माननीय ट्रायल जज ने राष्ट्रपति के आदेश के वास्तविक प्रभाव की ठीक से जांच किए बिना यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यशपाल कपूर का इस्तीफ़ा 14/01/1971 से प्रभावी हो गया था। हमारे विचार में इस निष्कर्ष पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि पहले भी कहा गया है।

ए.एच. रंगरेज बनाम एम.एन. कॉल और अन्य मामले में इस बिंदु पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है। इसलिए उस पहले के निर्णय के आधार पर यह मानना मेरे लिए कठिन है कि यशपाल कपूर का इस्तीफ़ा 14/01/1971 से प्रभावी हो गया था। केवल इसलिए कि 25/01/1971 के आदेश से इस्तीफ़ा स्वीकार किया गया और उसे 14/01/1971 से प्रभावी बताया गया, यह पर्याप्त नहीं है।

इसके बाद माननीय अधिवक्ता ने वी.पी. गिंद्रोनिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1494) मामले का उल्लेख किया। इस मामले में अपीलकर्ता ने 06/01/1964 को सरकार को अपनी सेवा समाप्त करने का नोटिस दिया था। लेकिन सरकार ने उन्हें विभागीय जांच के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

प्रश्न यह उठा कि क्या अपीलकर्ता 06/06/1964 के बाद भी सेवा में बने रहे। उस मामले में अपीलकर्ता की सेवा पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज (अस्थायी सेवा) नियम लागू होते थे। उन नियमों का नियम 12, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (अस्थायी सेवा) नियम के नियम 5 के समान था। इन नियमों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने यह कहा।

माननीय अधिवक्ता (Learned Council) नंबर एक ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक अप्रकाशित फैसले का भी उल्लेख किया, जिसका दिनांक 29/04/1975 है और सिविल रिट नंबर 2083/1975 में है। मामला: सथवंत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

मैंने इस फैसले को ध्यान से पढ़ा और पाया कि यह, अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन करने के बजाय, उससे असहमति रखता है। इस मामले में याचिकाकर्ता पंजाब राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षक थी और 01/11/1966 से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में डेप्यूटेशन पर थी।

22/04/1975 को याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफ़ा एक महीने की तनख्वाह के साथ दिया क्योंकि वह राज्य विधानसभा के चुनाव में भाग लेना चाहती थी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13/04/1975 थी। चूंकि याचिकाकर्ता

के इस्तीफ़े की स्वीकृति में देरी हो रही थी, उसने रिट याचिका दायर की, जिसमें आदेश (mandamus) मांगा कि उसका इस्तीफ़ा स्वीकार किया जाए और यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता अब पंजाब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सेवा में नहीं रही, इस्तीफ़े की तिथि से प्रभावी।

न्यायालय ने यह अवलोकन किया: किसी अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार, उससे बाहर निकलने के अधिकार को भी दर्शाता है। याचिकाकर्ता ने जब पंजाब राज्य में सेवा स्वीकार की, तो स्पष्ट रूप से सेवा का अनुबंध किया। ऐसा अनुबंध नियुक्ति प्राधिकारी को पेशकश (offer) देने से समाप्त किया जा सकता है, जिसे उचित समय में स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस प्रकार की पेशकश को स्वीकार करने का "उचित समय" प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में, जब एक सरकारी कर्मचारी चुनाव में भाग लेने के लिए इस्तीफ़ा देता है, तो उसका इस्तीफ़ा संभवतः जल्द से जल्द और नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से पहले स्वीकार किया जाना चाहिए।

ऊपर किए गए अवलोकन के आधार पर, न्यायालय ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा शिक्षक पद से दिया गया इस्तीफ़ा आज से स्वीकार किया जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के लिए इस्तीफ़ा स्वीकार करना आवश्यक माना, अन्यथा न्यायालय यह भी घोषित कर सकता था कि चूंकि इस्तीफ़ा 22/04/1975 को एक महीने की तनख्वाह के साथ दिया गया था, यह उसी दिन से प्रभावी हो गया और याचिकाकर्ता उसी दिन से सरकार की सेवा में नहीं रही।

यह बताना अनावश्यक है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में वास्तव में इस प्रकार की घोषणा मांगी थी, फिर भी उसे नहीं दी गई। इसके बजाय न्यायालय ने उत्तरदाताओं को इस्तीफ़ा स्वीकार करने का निर्देश दिया। इसलिए, जैसा पहले कहा गया, यह तर्क याचिकाकर्ता के पक्ष को उत्तरदाताओं के तर्क की तुलना में अधिक समर्थन देता है।
अंत में, उत्तरदाता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि रिकॉर्ड के प्रमाण के अनुसार, यशपाल कपूर ने 13/01/1971 की दोपहर से काम करना बंद कर दिया था और उसी दिन उनका चार्ज रिपोर्ट भी था, हालांकि वह 14/01/1971 की तारीख से जारी किया गया था। इस आधार पर अधिवक्ता ने तर्क किया कि यशपाल कपूर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे और इसलिए उनके इस्तीफ़े को 14/01/1971 से प्रभावी माना जाना चाहिए।

जहाँ तक काम छोड़ने की बात है, मेरा यह विचार है कि केवल काम बंद कर देना अपने आप सेवा समाप्ति नहीं ला सकता। ऐसा काम छोड़ना और ड्यूटी पर अनुपस्थिति हमेशा बाद में छुट्टी के लिए आवेदन करके नियमित किया जा सकता है, चाहे वह वेतन सहित हो या बिना वेतन के।

जहाँ तक चार्ज रिपोर्ट की बात है, यह उल्लेखनीय है कि न तो चार्ज रिपोर्ट और न ही उसकी कोई प्रति मामले में पेश की गई है। उत्तरदाता ने निःसंदेह श्री के.पी. सूद (RW 8, सेक्शन ऑफिसर, कार्यालय ऑफ़ अकाउंटेंट जनरल, सेंट्रल रेवेन्यूज, नई दिल्ली) को गवाह बनाया ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि श्री यशपाल कपूर को उनकी तनख्वाह केवल 13/01/1971 तक के लिए ही दी गई थी और भुगतान 28/08/1972 को ही किया गया।

इसलिए श्री के.पी. सूद के बयान से यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि वास्तव में 13/01/1971 को यशपाल कपूर द्वारा कोई चार्ज रिपोर्ट जमा की गई थी। लेकिन मान लें कि यशपाल कपूर ने 13/01/1971 को अपना इस्तीफ़ा देते समय चार्ज रिपोर्ट भी जमा की, तो भी मेरा यह विचार है कि केवल इस्तीफ़े के पत्र के साथ चार्ज रिपोर्ट जमा करना और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस्तीफ़ा स्वीकार किए जाने की आशा करना सेवा समाप्ति नहीं ला सकता, चाहे इस्तीफ़ा स्वीकार हो या न हो।

इसलिए यह तर्क भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। कोई और तर्क पेश नहीं किए जाने के कारण, मेरा निष्कर्ष अतिरिक्त

मुद्दों के मुद्दा संख्या तीन पर यह है कि यशपाल कपूर भारत सरकार की सेवा में 25/01/1971 तक बने रहे।

मुद्दा संख्या एक (पहली सेट) और अतिरिक्त मुद्दों का मुद्दा संख्या एक, दोनों मुद्दे शब्द दर शब्द एक-दूसरे की पुनरावृत्ति हैं और इसलिए इन्हें एक ही स्थान पर देखा जा रहा है।

इस मुद्दे के अंतर्गत विचार करने का प्रश्न यह है कि क्या उत्तरदाता संख्या एक ने यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त की और उनके चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में उनका उपयोग किया, जबकि वह अभी भी भारत सरकार की सेवा में गजटेड अधिकारी थे।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने पूरे समय को 29/12/1971 से तीन उप-अवधियों में बाँटकर तर्क किया:
1. अवधि जो 13/01/1971 पर समाप्त होती है।
2. अवधि 14/01/1971 से 25/01/1971 तक।
3. अवधि 26/01/1971 से 06/02/1971 तक।

मैं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों को इसी क्रम में विचार करूंगा। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उत्तरदाता संख्या एक ने खुद को 29/12/1970 को रायबरेली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, जब उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और श्री यशपाल कपूर (RW 32) ने उसी तारीख से उनके लिए चुनावी कार्य करना शुरू किया।

याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि 09/01/1971 को श्री यशपाल कपूर ने श्री गुलज़ारिलाल नंदा के साथ रायबरेली का दौरा किया, जहाँ उन्होंने सबसे पहले रायबरेली में सार्वजनिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और फिर मुंशीगंज में आयोजित शहीद मेला में भाषण दिए, उत्तरदाता संख्या एक के उम्मीदवार बनने के समर्थन में।

उत्तरदाता संख्या एक ने यह खंडन किया कि उन्होंने 01/02/1971 से पहले किसी भी तारीख को खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, उन्होंने पहली बार 01/02/1971 को रायबरेली में खुद को उस क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया।

उत्तरदाता संख्या एक ने यह भी खंडन किया कि श्री यशपाल कपूर ने उस तारीख तक उनके लिए कोई चुनावी काम नहीं किया।

अब, जब मैंने मुद्दा संख्या दो पर अपना निर्णय दर्ज किया, तो मैंने पहले ही उत्तरदाता संख्या एक की यह दलील खारिज कर दी कि उन्होंने पहली बार 01/02/1971 को खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया।

मैंने आगे यह सकारात्मक निष्कर्ष भी लिखा कि उत्तरदाता संख्या एक ने 29/12/1970 से प्रभावी रूप से खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया।

पूरा मामला इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसके लिए पहले कुछ परिस्थितियों को नोट करना आवश्यक है, जिनका इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

श्री यशपाल कपूर (RW 32) ने स्वयं स्वीकार किया कि वह 1951 से प्रधानमंत्री सचिवालय में काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि 1956 और 1964 के वर्षों के दौरान वह अपने निवास स्थान पर प्रधानमंत्री सचिवालय में काम कर रहे थे। चूंकि उत्तरदाता संख्या एक मेज़बान (hostess) थीं, वह कभी-कभी कुछ कार्यों के लिए उनकी सहायता मांगती थीं, जिससे उत्तरदाता संख्या एक उनके काम से काफी परिचित हो गई थीं।

उन्होंने आगे कहा कि जब उत्तरदाता संख्या एक को सूचना और प्रसारण मंत्री नियुक्त किया गया, तो उन्हें उत्तरदाता संख्या एक के आदेश पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया। और जब उत्तरदाता संख्या एक प्रधानमंत्री बनीं, तो उन्हें फिर से प्रधानमंत्री सचिवालय में स्थानांतरित किया गया और 1967 में उनकी निजी सचिव (private secretary) नियुक्त किया गया।

जब उत्तरदाता संख्या एक रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली थीं, तब उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया और रायबरेली क्षेत्र में उत्तरदाता संख्या एक के लिए काम किया।

1967 के चुनावों के बाद, वह फिर से उत्तरदाता सचिवालय में शामिल हो गए और उनके अनुसार, उन्होंने ऐसा उत्तरदाता संख्या एक की स्वयं की आग्रह पर किया।

श्री यशपाल कपूर के बयान का इस संबंध में प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

मैंने 1967 में सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया और प्रधानमंत्री सचिवालय में शामिल हो गया क्योंकि उत्तरदाता संख्या एक ने मुझसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करने के लिए कहा था। इस प्रकार, उनके अनुरोध पर मैंने विशेष अधिकारी (officer on special duty) के रूप में प्रधानमंत्री सचिवालय में फिर से शामिल हुआ।

मैंने अप्रैल 1967 में प्रधानमंत्री सचिवालय में शामिल होने के समय कोई औपचारिक आवेदन नहीं दिया। यदि उत्तरदाता संख्या एक ने मुझसे अनुरोध नहीं किया होता, तो मैं अप्रैल 1967 में सरकारी सेवा में शामिल नहीं होता। मैंने इसलिए शामिल होने पर सहमति दी क्योंकि मुझे लगा कि प्रधानमंत्री इस बात पर गंभीर थीं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री यशपाल कपूर लंबे समय से या तो उत्तरदाता संख्या एक के पिता के साथ या उत्तरदाता संख्या एक स्वयं के साथ काम कर रहे थे। श्री यशपाल कपूर ने उत्तरदाता संख्या एक का पूर्ण विश्वास प्राप्त कर लिया था, इतना कि उन्होंने 1967 में लोक सभा चुनाव के लिए चुनावी काम करने के लिए अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा तक दे दिया।

जब श्री यशपाल कपूर ने यह काम उत्तरदाता संख्या एक के लिए कर दिया, तो उन्हें फिर से प्रधानमंत्री सचिवालय में नियुक्त किया गया। यदि श्री यशपाल कपूर द्वारा किया गया यह बयान सही है, तो यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या एक ने उनके कार्यों को लगभग अपरिहार्य (indispensable) माना और उन्हें अपने सचिवालय में शामिल होने पर ज़ोर दिया, ताकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी मदद कर सकें।

ऊपर दिए गए पृष्ठभूमि में, यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदाता संख्या एक ने 29/12/1970 से रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया।

यह तथ्य कि श्री यशपाल कपूर ने 07/01/1971 को रायबरेली का दौरा किया, उसे उत्तरदाता संख्या एक के चुनावी कार्य से जोड़कर देखा जा सकता है।

इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि 05/01/1971 को राजा दिनेश सिंह, जो उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, रायबरेली आए। राम कुमार सिंह (PW 42) को दिए गए सुझाव के अनुसार, उन्होंने रायबरेली के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बैठक की और कार्यकर्ताओं को बताया कि उत्तरदाता संख्या एक रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली हैं।

राम कुमार सिंह के अनुसार, राजा दिनेश सिंह ने उन्हें यह भी कहा कि वे उत्तरदाता संख्या एक की मदद करें। राम कुमार सिंह को दिए गए सुझाव से ही यह स्पष्ट होता है कि राजा दिनेश सिंह का दौरा उत्तरदाता संख्या एक के चुनाव से संबंधित था।

यह निम्नलिखित प्रश्न से भी प्रतीत होता है जो राम कुमार सिंह से क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया:
"मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या राजा दिनेश सिंह केवल यह जानने के लिए आए थे कि उत्तरदाता संख्या एक चुनाव लड़ें या नहीं।"

इस पृष्ठभूमि और चारों ओर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अब मैं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करना शुरू करता हूँ, जो उनके-उनके तर्कों का समर्थन करते हैं।

याचिकाकर्ता ने नंकाऊ (PW 28), आर.के. दीक्षित, उर्फ़ फक्कर (PW 31) और श्री विद्या शंकर यादव (PW 43) को गवाह बनाया ताकि यह साबित किया जा सके कि 07/01/1971 को मुंशीगंज में श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए भाषण में उन्होंने उत्तरदाता संख्या एक के लिए समर्थन मांगा।

याचिकाकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए बीयर वैष्वरा अखबार के अंक पर भी भरोसा किया।

नंकाऊ (PW 28) जखरासी गांव के गांव सभा (Gao Sabha) के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि उनका गांव मुंशीगंज से केवल आधा मील दूर था, उन्होंने मुंशीगंज में सभा में भाग लिया और आगे बताया कि उस सभा में श्री गुलज़ारी लाल नंदा, जो उस समय भारत सरकार में रेलवे मंत्री थे, ने कहा कि उत्तरदाता संख्या एक रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं और लोग उन्हें जीत दिलाने के लिए अपना वोट दें।

नंकाऊ ने आगे कहा कि श्री यशपाल कपूर ने सभा में वही बात कही।

यह तथ्य कि गुलज़ारी लाल नंदा और यशपाल कपूर ने 07/01/1971 को मुंशीगंज में सभा में भाग लिया, उत्तरदाता संख्या एक की ओर से विवादित नहीं किया गया।

हालाँकि, उत्तरदाता की ओर से उठाया गया तर्क दो हिस्सों में है।

- नंकाऊ और अन्य गवाहों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य, जो 07/01/1971 को मुंशीगंज में शहीद मेला में दिए गए कथित भाषणों के बारे में हैं, स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई सभा पहले से दावा नहीं किया था।
- भले ही श्री यशपाल कपूर और श्री गुलज़ारी लाल नंदा 07/01/1971 को मुंशीगंज में शहीद मेला में गए और वहां भाषण दिए, उन्होंने चुनाव में उत्तरदाता संख्या एक के उम्मीदवार होने से संबंधित कुछ भी नहीं कहा, बल्कि केवल शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

जहाँ तक प्रथम तर्क का सवाल है, याचिका के पैराग्राफ 5 में स्पष्ट रूप से यह दावा किया गया है कि यशपाल कपूर ने चुनावी कार्य किया, जिसमें उत्तरदाता संख्या एक (इंदिरा नेहरू गांधी) के समर्थन में भाषण देना शामिल था। यह भाषण 07/01/1971 को और अन्य तारीख़ों पर वोट मांगने के लिए दिया गया।

सही है कि याचिका में यह नहीं बताया गया कि भाषण मुंशीगंज में दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 07/01/1971 को यशपाल कपूर ने उत्तरदाता संख्या एक के समर्थन में भाषण दिया। केवल इस बात के लिए कि बैठक का स्थान नहीं बताया गया, इसे महत्वपूर्ण कमी (material omission) नहीं माना जा सकता।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि उत्तरदाता संख्या एक की ओर से कोई लिखित आपत्ति नहीं की गई कि पैराग्राफ 5 में यह विवरण अस्पष्ट है और बेहतर जानकारी दी जानी चाहिए।

जब नंकाऊ का बयान दर्ज किया जा रहा था, तब मौखिक आपत्ति उठाई गई कि याचिका में यह दावा नहीं किया गया कि 07/01/1971 को मुंशीगंज में कोई सभा हुई थी। हालांकि, मैंने पहले ही कहा है कि याचिका में यह तथ्य स्पष्ट रूप से है कि 07/01/1971 को सभा हुई थी और श्री यशपाल कपूर ने उस सभा में भाषण दिया।

यदि उत्तरदाता को सभा का स्थान जानना आवश्यक लगता, तो इस संबंध में उनकी ओर से आपत्ति दर्ज की जा सकती थी और याचिकाकर्ता को विवरण देने के लिए कहा जा सकता था। उत्तरदाता संख्या एक के पास यह अवसर भी

था कि वह नंकाऊ और अन्य गवाहों से क्रॉस-एग्ज़ामिनेशन करे, जिन्होंने 07/01/1971 को मुंशीगंज में हुई सभा के बारे में बयान दिया। उत्तरदाता संख्या एक के लिए यह भी खुला था कि वे इस संबंध में कोई प्रतिवाद (rebuttal) साक्ष्य प्रस्तुत करें, और वास्तव में उन्होंने ऐसा किया।

इसलिए, उत्तरदाता संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, विशेष रूप से क्योंकि उन्होंने यह साबित नहीं किया कि याचिका में सभा का स्थान न बताया जाना उत्तरदाता संख्या एक के लिए किसी प्रकार का नुकसान (prejudice) लाया।

जहाँ तक नंकाऊ (PW) के साक्ष्य की गुणवत्ता का सवाल है, उत्तरदाता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नंकाऊ अपने रिश्तेदारों से मिलने की तारीख़, अपनी शादी की तारीख़, अपने पहले और सबसे छोटे बच्चे की जन्मतिथि नहीं बता सकते। अधिवक्ता ने कहा कि अगर नंकाऊ अन्य तारीख़ें नहीं याद रख सकते, तो यह असंभव है कि वह मुंशीगंज में हुई कथित सभा की तारीख़ याद रख पाए।

यह तर्क मुझे संतुष्ट नहीं करता। यह दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान मुंशीगंज में गोलीबारी हुई थी, जिसमें देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे कुछ लोग मारे गए। यह भी स्वीकार किया गया कि उन व्यक्तियों की स्मृति में, जो अपनी जान गंवा चुके थे, 07/01 को हर साल मुंशीगंज में शहीद मेला आयोजित किया जाता है।

मुंशीगंज के आसपास रहने वालों के लिए यह मेला विशेष महत्व रखता है। चूंकि यह मेला हर साल उसी तारीख़ को होता है, इसलिए यह बिल्कुल असंभव नहीं है कि नंकाऊ ने इस तारीख़ को याद रखा, भले ही वह अपने जीवन की अन्य घटनाओं की तारीख़ें याद न रख पाए।

विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि ननकऊ साक्षी के स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, उमा शंकर यादव ने रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

वह 1974 में हुए चुनाव में बी.के.डी. के उम्मीदवार थे और उमा शंकर यादव के कार्यकर्ता थे। इस आधार पर इस बात पर जोर दिया गया कि ननकऊ का संबंध है। एक शत्रुतापूर्ण पक्ष और इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। कि वह कथित मामले के बारे में सबूत देने के लिए आगे आया। श्री यशपाल कपूर द्वारा उनके अवसर पर दिया गया भाषण विरोधी दल के साथ मेरा राजनीतिक संबंध है।

डर इस तथ्य से ही है कि वर्ष 1974 में नानकाऊ किसी बी.के.डी. उम्मीदवार के लिए काम करना उसकी गवाही को खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। कई ऐसे व्यक्ति, जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता, कभी-कभी उस दल द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, न कि दल से अपने जुड़ाव के कारण, बल्कि उम्मीदवार से किसी न किसी रूप में अपने जुड़ाव के कारण। केवल यही बात उन्हें अविश्वसनीय गवाह नहीं बनाती। अंबिका सरन सिंह बनाम महंत महादेव नंद गिरि (41 चुनाव विधि रिपोर्ट 183 पृष्ठ 193) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

"वर्तमान मामले में हमें यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि मतदान प्रतिनिधि या मतगणना प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति या किसी विशेष उम्मीदवार की सफलता की कामना करने वाला व्यक्ति अनिवार्य रूप से हितधारक गवाह है या नहीं। यदि वह हितधारक गवाह है भी, तो केवल इसी कारण से उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामले में न्यायालय को अधिक से अधिक उसकी गवाही की गहन जांच करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करने से पहले पुष्टि की मांग करनी चाहिए।"

इस मामले में यह साबित नहीं किया जा सका कि ननकऊ का साक्ष्य असंगत या कमजोर है। मैंने पहले ही कहा है कि 7 जनवरी 1971 को जिस परिस्थिति में श्री यशपाल कपूर रायबरेली आए थे, उसे देखते हुए यह संभव है कि मुंशीगंज के शहीद मेले में भाषण देते समय उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के लिए चुनाव में समर्थन जुटाने का भी प्रयास किया हो। इस प्रकार ननकऊ का कथन आसपास की परिस्थितियों से पूरी तरह समर्थित है।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि ननकऊ ने जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि उन्होंने 7 जनवरी 1971 को हुई बैठक के बारे में पहली बार अदालत में बयान दिया था और उन्होंने उस बैठक के बारे में पहले किसी को नहीं बताया था। यह तर्क दिया गया कि यदि ननकऊ ने मुंशीगंज स्थित शहीद मेले में अपनी यात्रा के बारे में अदालत को कोई बयान नहीं दिया, तो यह समझ से परे है कि उन्हें इस मामले में गवाह के रूप में कैसे पेश किया जा सकता है, और इससे उनकी गवाही का महत्व कम हो जाता है। मैं एक बार फिर इससे असहमत हूँ। पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मामले में अपनी जांच से पहले बैठक के बारे में कोई बयान नहीं दिया, तो उनका मतलब संभवतः एक औपचारिक बयान था। लेकिन, भले ही उन्होंने अदालत में अपनी जांच से पहले आपसी बातचीत में भी किसी से इसका जिक्र नहीं किया हो, फिर भी वे बैठक में उपस्थित होने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे।

यह काफी बड़ी सभा रही होगी और बैठक में ननकऊ को देखने वाला कोई भी व्यक्ति याचिकाकर्ता को जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे याचिकाकर्ता मामले में ननकऊ को गवाह के रूप में पेश कर सके।

इसके बाद विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि ननकऊ द्वारा जिरह में दिए गए बयान के अनुसार, झाकरासी गांव के सरजू प्रसाद और राम पाल नामक दो अन्य व्यक्ति भी बैठक में उपस्थित थे और वे तीनों एक साथ बैठक में गए थे। सरजू प्रसाद और राम पाल को क्रमशः प्रत्यक्षदर्शी संख्या 12 और प्रत्यक्षदर्शी संख्या 13 के रूप में दर्ज किया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि सरजू प्रसाद और राम पाल (प्रत्यक्षदर्शी) द्वारा शपथ पर दिए गए बयानों के अनुसार, वे मुंशीगंज स्थित शहीद मेले में कभी नहीं गए थे और इससे यह सिद्ध होता है कि ननकऊ का बयान पूरी तरह से झूठा है। प्रतिवादी की ओर से उठाए गए इस तर्क को देखते हुए, इस स्तर पर ही सरजू प्रसाद (प्रत्यक्षदर्शी संख्या 12) और राम पाल (प्रत्यक्षदर्शी संख्या 13) के साक्ष्यों पर विचार करना उचित होगा।

सरजू प्रसाद (आर.डब्ल्यू. 12) और राम पाल (आर.डब्ल्यू. 13) झाकरासी गांव के निवासी हैं और दोनों ने कहा कि वे जनवरी 1971 में शहीद मेले में नहीं गए थे। हालांकि, मैं उनके साक्ष्य से संतुष्ट नहीं हूं। सरजू प्रसाद 1971 में एक प्राथमिक पाठशाला में शिक्षक थे। उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि गया प्रसाद शुक्ला जिला परिषद के अध्यक्ष थे और उनकी पाठशाला जिला परिषद द्वारा संचालित थी। यह याद किया जा सकता है कि गया प्रसाद शुक्ला चुनाव में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। प्रतिवादी संख्या 1 के यात्रा कार्यक्रमों की प्रतियां उन्हें ही दी जाती थीं। उन्होंने ही प्रतिवादी संख्या 1 की उम्मीदवारी के समर्थन में आम अपील जारी की थी (प्रदर्शनी 24), और श्री यशपाल कपूर के अनुसार, वही प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव से संबंधित खातों का रखरखाव कर रहे थे। यह पूरी तरह संभव है कि जब ननकऊ ने जिरह में स्वीकार किया कि सरजू प्रसाद उनके साथ शहीद सरजू प्रसाद (आर.डब्ल्यू. 12) पर दबाव डाला गया कि वह अपना काम करे। मेले में गए थे, तो गया प्रसाद शुक्ला ने ननकऊ की गवाही का खंडन करने के लिए उन्हें गवाह के रूप में पेश किया था। यह सच है कि सरजू प्रसाद ने अपनी जांच में स्वीकार किया कि जिस तारीख को उनकी जांच गवाह के रूप में की गई थी, उस दिन स्कूल जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। हालांकि, गया प्रसाद शुक्ला का पाठशाला के अध्यक्ष के रूप में और परिणामस्वरूप उस पाठशाला के शिक्षक सरजू प्रसाद के साथ जो घनिष्ठ संबंध था, वह रातोंरात खत्म नहीं हो सकता था, सिर्फ इसलिए कि स्कूल को सरकार ने अपने अधिकारियों के अधीन चलाने के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। सरजू प्रसाद से जिरह के दौरान भी ऐसी सामग्री सामने आई जिससे पता चलता है कि गवाह के रूप में उनका व्यवहार स्पष्ट नहीं था। मैंने पहले ही कहा है कि मुंशीगंज में शहीद मेला स्थानीय क्षेत्र में कुछ महत्व रखता था। सरजू प्रसाद ने स्वयं स्वीकार किया कि 7 जनवरी 1971 को शहीद मेले के कारण पाठशाला बंद थी। ऐसे में यह संभव है कि सरजू प्रसाद आर.डब्ल्यू. भी शहीद मेले में गए हों, जो उनके गांव से मात्र डेढ़ मील दूर था, खासकर तब जब अखिल भारतीय स्तर पर महत्वपूर्ण नेता श्री गुलजारी लाल नंदा शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए थे। हालांकि, सरजू

प्रसाद ने कहा कि उन्होंने मुंशीगंज में शहीद मेले का स्थान देखा तक नहीं है और वे कभी शहीद मेले में नहीं गए हैं। अब, यह एक ऐसा बयान है जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसलिए, मेरी राय में सरजू प्रसाद (आर.डब्ल्यू. 12) एक विश्वसनीय गवाह नहीं है और ननकऊ के साक्ष्य को उसके साक्ष्य के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

राम पाल (आर.डब्ल्यू. 13) ने जिरह में यह भी कहा कि बालिग होने के बाद से वह शहीद मेले में नहीं गए थे। मैंने पहले ही कहा है कि शहीद मेले का इलाके में कुछ महत्व है, इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह अपने जीवनकाल में शहीद मेले में नहीं गए होंगे। इससे ही पता चलता है कि गवाह के कटघरे में वह सच नहीं बोल रहे थे। उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि अधिवक्ता श्री आर.सी. शुक्ला उनके गांव के हैं। यह आर.सी. शुक्ला एक समय इस मामले में प्रतिवादी की ओर से पैरवी कर रहे थे और याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके एक गवाह को गवाही देने से रोकने के लिए उनके द्वारा ले जाया गया था।

अतः उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया। यह तथ्य कि श्री आर. सी. शुक्ला निर्वाचन के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के लिए कार्य कर रहे थे, श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) की प्रतिपरीक्षा के दौरान उजागर हुआ। श्री मोहन लाल त्रिपाठी (पी.डब्ल्यू 59), जो वर्ष 1970-1971 में जिला कांग्रेस समिति (आर), रायबरेली के महासचिव थे, ने यह बयान दिया कि श्री रमेश चन्द्र शुक्ला उस अवधि में जिला कांग्रेस समिति (आर) के महासचिवों में से एक थे।अब, चूँकि रमेश चन्द्र शुक्ला, अधिवक्ता, उसी गाँव के निवासी हैं जहाँ राम पाल निवास करते थे, और चूँकि वे निर्वाचन के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे तथा किसी चरण पर उनके पैरोकार भी रहे थे, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि राम पाल पर श्री रमेश चन्द्र शुक्ला द्वारा दबाव डाला गया हो।इसके साथ-साथ यह तथ्य भी है कि श्री गया प्रसाद शुक्ला, जो प्रतिवादी संख्या 1 के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे, उस अवधि में जिला परिषद के अध्यक्ष थे, जब इस मामले में गवाह का परीक्षण किया गया। यह सर्वविदित है कि जिला परिषद का अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त प्रभाव रखता है।यह कहना अनुचित नहीं होगा कि जब प्रतिपरीक्षा में राम पाल से यह प्रश्न किया गया कि श्री रमेश चन्द्र शुक्ला किस राजनीतिक दल से संबंधित थे, तो उन्होंने इसके संबंध में अज्ञानता व्यक्त की। यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है कि यद्यपि श्री शुक्ला उसी गाँव में निवास करते थे जिसमें यह गवाह रहता था, और यद्यपि श्री शुक्ला कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे, फिर भी राम पाल को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

उपरोक्त सभी कारण यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि राम पाल (आर.डब्ल्यू. 13) एक सत्यनिष्ठ गवाह नहीं है। अतः ननकऊ के साक्ष्य को राम पाल द्वारा कही गई किसी भी बात के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ननकऊ (पी.डब्ल्यू. 8) के साक्ष्य के विरुद्ध कोई अन्य आलोचना न किए जाने के कारण, मैं यह पाता हूँ कि वह एक पूर्णतः विश्वसनीय गवाह है और उसकी गवाही के आधार पर कार्य करने में कोई जोखिम नहीं है।

आर. के. दीक्षित उर्फ भक्कर (पी.डब्ल्यू. 31) जनवरी से मार्च 1971 के दौरान 'बीयर बलस्वारा' नामक एक साप्ताहिक पत्र के संयुक्त संपादक थे, जो रायबरेली से मुद्रित एवं प्रकाशित होता था। उन्होंने यह बयान दिया कि वे उस पत्र में रिपोर्टर के रूप में भी कार्यरत थे तथा उन्होंने स्वयं 7 जनवरी 1971 को शहीद स्मारक, मुंशीगंज में आयोजित बैठक में भाग लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त बैठक में श्री गुलज़ारी लाल नंदा तथा श्री यशपाल कपूर सहित अन्य व्यक्तियों ने भाषण दिए थे। श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में गवाह ने यह बयान दिया:—
"श्री यशपाल कपूर ने अपने भाषण में कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद का चुनाव लड़ेगी और पूर्व अवसर की भाँति हमें पुनः उसे सफल बनाना चाहिए।"

इसके पश्चात गवाह ने उक्त बैठक से संबंधित समाचार का उल्लेख किया, जो बीयर बलस्वारा' दिनांक 9 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुआ था (पृष्ठ 1,स्तंभ 1 एवं 2), और यह कहा कि यह रिपोर्ट उसी के द्वारा प्रेषित की गई थी। उक्त रिपोर्ट

को प्रदर्श (Exhibit) 67 के रूप में चिह्नित किया गया है।

यह तक सुझाव भी नहीं दिया गया कि श्री आर. के. दीक्षित उर्फ फक्कड़ (पी.डब्ल्यू.) का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध था अथवा वे प्रतिवादी संख्या 1 के प्रति शत्रुतापूर्ण किसी प्रत्याशी के समर्थक थे। यह भी सिद्ध नहीं किया जा सका कि उनके पास श्री यशपाल कपूर तथा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रभावित करने हेतु कोई झूठा बयान देने का कोई अन्य कारण था।

तथापि, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि समाचार मद (प्रदर्श 67) में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि शहीद मेला में श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए भाषण में वास्तव में क्या कहा गया था। "विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय में श्री आर. के. दीक्षित द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

यह सर्वविदित तथ्य है कि समाचार-पत्रों में प्रायः केवल भाषणों का सार ही प्रकाशित किया जाता है। प्रदर्श 67 के प्रथम भाग में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:—
"प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश दिनांक 5 जनवरी को केंद्रीय मंत्री द्वारा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के संबोधन से हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन 7 जनवरी को मुंशीगंज शहीद स्थल पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री गुलज़ारी लाल नंदा द्वारा एक भरी जनसभा के संबोधन से हुआ।"

'बीयर बलस्वारा' के 9 जनवरी 1971 के अंक (प्रदर्श 67) के अन्य भाग में सर्वप्रथम यह उल्लेख किया गया है कि रेल मंत्री श्री गुलज़ारी लाल नंदा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के निजी सचिव श्री यशपाल कपूर 7.1.1971 को प्रातः 11.00 बजे रायबरेली स्टेशन पहुँचे। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि मुंशीगंज में आयोजित शहीद मेला में श्री गुलज़ारी लाल नंदा ने भाषण दिया और कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 देश से गरीबी, भुखमरी तथा बेरोज़गारी को समाप्त करने के पक्ष में खड़ी है तथा उसे निर्वाचन में सफल बनाकर उसके हाथों को सशक्त किया जाना चाहिए। अगले अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जिला कांग्रेस समिति के नेताओं—जिनमें दल बहादुर सिंह, देवीचरण पांडेय, राम शंकर त्रिपाठी, अमरेश (अधिवक्ता), रमेश चन्द्र शुक्ला (अधिवक्ता) तथा डॉ. पी. एन. मेहरोत्रा सम्मिलित थे—ने भी भाषण दिए, जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 की नीतियों पर प्रकाश डाला गया तथा विपक्षी दलों के विरुद्ध आरोप लगाए गए। इसके पश्चात् आने वाले अनुच्छेद में इस तथ्य का उल्लेख है कि श्री यशपाल कपूर, श्री मदन मोहन मिश्र, श्री शिव शंकर सिंह तथा श्री परमानंद ने भी उस बैठक में भाषण दिए। चूँकि श्री गुलज़ारी लाल नंदा प्रमुख वक्ता थे, इसलिए उनके भाषण को विस्तार से प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात् अन्य वक्ताओं के नामों का उल्लेख किया गया। चूँकि उनके भाषणों का सार भी श्री गुलज़ारी लाल नंदा के भाषण के समान ही था, इसलिए उसे पुनः दोहराना निरर्थक समझा गया।

समाचार मद को संपूर्णता में पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि शहीद मेला में भाषण देने वाले सभी व्यक्तियों ने रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही प्रत्याशी के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के समर्थन की अपील की थी। समाचार मद में एक स्थान पर यह भी उल्लेख किया गया है कि ...

श्री गुलज़ारी लाल नंदा द्वारा दिए गए भाषण के सार में यह उल्लेख किया गया है :—
"वास्तव में चुनाव प्रचार सभा थी।"

प्रतिवादी की ओर से "विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि शहीद मेला (मुंशीगंज) में दिनांक 7.1.1971 को दिए गए भाषणों के संबंध में रिपोर्ट भेजते समय श्री आर.के. दीक्षित उर्फ फक्कर ने श्री यशपाल कपूर के भाषण के सार की रिपोर्ट नहीं की थी और परिणामस्वरूप, न्यायालय में उनके द्वारा श्री यशपाल कपूर द्वारा शहीद मेला में दिए गए भाषण के विषय में किया गया कथन सत्य नहीं माना जाना चाहिए। यह तर्क उचित नहीं है और स्वीकार किए

जाने योग्य नहीं है।
अतः मेरे मत में श्री आर.के. दीक्षित उर्फ फक्कर (पी.डब्ल्यू. 31) एक स्वतंत्र एवं विश्वसनीय साक्षी हैं तथा उनकी गवाही पर भरोसा करने में कोई जोखिम नहीं है।

विद्या शंकर यादव (पी.डब्ल्यू. 43) एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं। उन्होंने बयान दिया कि वे शहीद मेला में आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उस बैठक में अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त सरवर श्री गुलज़ारी लाल नंदा एवं यशपाल कपूर ने भी भाषण दिए थे और श्री यशपाल कपूर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात अपने भाषण में कहा :–
"प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्व में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था और वह उसी निर्वाचन क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ेगी तथा हमें उसे सफल बनाना चाहिए।"

जिरह में उन्होंने कहा कि वर्ष 1921 में मुंशीगंज में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष वहाँ बैठक आयोजित की जाती है। उनके अनुसार, उस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य उपस्थित होते थे और इसी कारण वे भी उसमें सम्मिलित होने गए थे।

सरजू प्रसाद (आर.डब्ल्यू. 12) की जिरह में यह तथ्य सामने आया कि मुंशीगंज और रायबरेली के बीच लगभग दो मील की दूरी है। रायबरेली और मुंशीगंज के बीच अत्यंत कम दूरी होने तथा इस तथ्य को देखते हुए कि शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मुंशीगंज में बैठक आयोजित की जानी थी और अखिल भारतीय स्तर के नेता, अर्थात् श्री गुलज़ारी लाल नंदा, उस उद्देश्य से वहाँ आए थे, इसमें कोई भी असंभावना नहीं है कि अधिवक्ता विद्या शंकर यादव उस बैठक में भाग लेने के लिए मुंशीगंज गए हों।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार श्री विद्या शंकर यादव याचिकाकर्ता के लिए मतदान अभिकर्ता थे तथा उसके चुनाव कार्य को भी देख रहे थे। यह भी बताया गया कि जिरह में प्राप्त स्वीकारोक्तियों के अनुसार वे भारतीय क्रांति दल से संबंधित थे और वर्ष 1971 में वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी उमा शंकर यादव के प्रस्तावक थे। प्रतिवादी संख्या 1 विद्वान अधिवक्ता इस बात पर बल दिया कि चूँकि यह साक्षी याचिकाकर्ता के लिए चुनाव में कार्य कर चुका था और विपक्षी राजनीतिक दल से संबंधित था, इसलिए उसकी गवाही पर भरोसा करना जोखिमपूर्ण होगा। यह सत्य है कि विद्या शंकर यादव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव में प्रतिवादी के लिए कार्य किया था तथा वे विपक्षी दल, अर्थात् भारतीय क्रांति दल, के सदस्य भी थे। तथापि, तथ्य यह है कि वे एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं और उनकी गवाही दो अन्य साक्षियों की गवाही से समर्थित है, जिन्हें मैं पूर्व में ही विश्वसनीय साक्षी ठहरा चुका हूँ।

प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूँकि विद्या शंकर यादव एक शिक्षित व्यक्ति एवं अधिवक्ता हैं तथा विपक्षी राजनीतिक दल से संबंधित हैं, यदि वास्तव में शहीद मेला (मुंशीगंज) में चुनाव प्रचार किया गया होता, तो वे इसके संबंध में संबंधित प्राधिकरणों को शिकायत भेजते। "विद्वान अधिवक्ता"ने यह भी इंगित किया कि स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार श्री विद्या शंकर यादव ने इस संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं भेजी और परिणामस्वरूप, यह कथन कि बैठक में किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रचार किया गया था, असत्य मानकर त्याज्य है।

मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ। श्री विद्या शंकर यादव ने इस बिंदु पर पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने बैठक के चुनाव सभा में परिवर्तित किए जाने के विरुद्ध विरोध दर्ज कराया था।

उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि केवल 3 या 4 व्यक्तियों ने ही विरोध किया था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कोई शिकायत इस कारण नहीं भेजी क्योंकि बैठक का आयोजन रायबरेली के निवासियों द्वारा किया गया था और उनमें से अधिकांश कांग्रेस (आर) से संबंधित थे। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री विद्या शंकर

यादव द्वारा कोई शिकायत न भेजे जाने का कारण क्या था।

इसके अतिरिक्त यह भी तथ्य है कि उस समय तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। इस कारण भी श्री विद्या शंकर यादव को निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत भेजने से हतोत्साहित होना स्वाभाविक था तथा किसी अन्य प्राधिकरण को शिकायत भेजने का कोई तार्किक आधार नहीं था।

जहाँ तक श्री विद्या शंकर यादव द्वारा प्रेस को कोई वक्तव्य न दिए जाने का प्रश्न है, यह इस कारण भी हो सकता है कि यह विषय पहले ही रायबरेली में सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका था।
चूँकि श्री विद्या शंकर यादव एक सम्मानित साक्षी हैं तथा उनकी गवाही दो स्वतंत्र व्यक्तियों की गवाही से पुष्ट होती है, इसलिए उनकी गवाही पर भरोसा करने में भी मुझे कोई जोखिम नहीं दिखाई देता।

अंत में, "बीर बैसवारा" समाचार-पत्र, दिनांक 9 जनवरी 1971, का उल्लेख किया जाता है। उक्त पत्र न्यायालय में श्री राम देव त्रिवेदी (पी.डब्ल्यू. 23), संपादक, द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त पत्र में प्रकाशित समाचार (प्रदर्श-67) श्री आर.के. दीक्षित, जो उस समय उक्त पत्र के सिटी रिपोर्टर थे, से प्राप्त सूचना पर आधारित था जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है, साक्षी-पेटी में प्रवेश करने के पश्चात् गवाह ने उक्त समाचार-आइटम को सिद्ध कर दिया है। उसने उस बैठक में श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। बीर बैसवारा दिनांक 9 जनवरी 1971 में प्रकाशित समाचार-आइटम (प्रदर्श-67) इस प्रकार सिद्ध होता है। उक्त समाचार-आइटम को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए निर्वाचन भाषण में प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रचार (कैनवसिंग) किया गया था। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह समाचार-आइटम 9 जनवरी 1971 को किसी भी प्रकार की पेशबंदी (पेशबन्दी) के रूप में प्रकाशित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता इस बात की कोई ठोस आधारभूमि स्थापित नहीं कर सके कि 'बीर बैसवारा' का यह अंक याचिका के उद्देश्य से चुनाव के पश्चात् किसी समय मुद्रित किया गया था। अतः मैं यह निर्णय देता/देती हूँ कि 'बीर बैसवारा' के दिनांक 9 जनवरी 1971 के अंक में सम्मिलित समाचार-आइटम (प्रदर्श-67) का उपयोग ननकऊ (पी.डब्ल्यू. 28), आर.के. दीक्षित उर्फ फक्कर (पी.डब्ल्यू. 31) तथा विद्या शंकर यादव (पी.डब्ल्यू. 33) की साक्ष्य की पुष्टि (corroboration) हेतु भी किया जा सकता है। तथापि, मैं यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता/समझती हूँ कि यदि 'बीर बैसवारा' का यह अंक अस्तित्व में न भी होता, तब भी उपर्युक्त गवाहों की साक्ष्य पर भरोसा करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता।

उपरोक्त साक्ष्य, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह सिद्ध करता है कि श्री यशपाल कपूर ने 7 जनवरी 1971 को मुंशीगंज में आयोजित शहीद मेला में एक भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी के पक्ष में प्रचार किया था।

13.1.1971 को समाप्त अवधि के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जिस दूसरे साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह प्रत्यर्थी द्वारा दायर निर्वाचन व्यय विवरण (प्रदर्श-5) की क्रम संख्या 1 की प्रविष्टि है। इस प्रविष्टि के अनुसार, 11.1.1971 को मतदाता सूची की लागत के भुगतान के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी, रायबरेली को ₹657.90 की राशि अदा की गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया कि विवरण की प्रथम स्तंभ में व्यय की तिथि तथा छठे स्तंभ में उस व्यक्ति का नाम दर्शाया जाना है, जिसे भुगतान किया गया। यह तर्क दिया गया कि चूँकि प्रथम स्तंभ में यह दर्शाया गया है कि राशि 11.1.1971 को अदा की गई थी और छठे स्तंभ में यह उल्लेख है कि भुगतान जिला निर्वाचन अधिकारी को किया गया, अतः यह माना जाना चाहिए कि 11.1.1971 को श्री यशपाल कपूर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए मतदाता सूची खरीदी और इस प्रकार उन्हें सहायता प्रदान की।

श्री यशपाल कपूर के अनुसार, जब उन्होंने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया, तब वे मतदाता सूची प्राप्त करना चाहते थे और चूँकि उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जिला कांग्रेस कमेटी पहले ही मतदाता सूची प्राप्त

कर चुकी है, इसलिए उन्होंने वही सूची डी.सी.सी. से प्राप्त की और उन्हें ₹657.90 की राशि अदा की।

मैं श्री यशपाल कपूर के इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यदि यही सम्पूर्ण सत्य होता, तो उक्त व्यय को निर्वाचन व्यय विवरण (प्रदर्श-5) में उस तिथि के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था, जिस तिथि को वास्तव में श्री कपूर द्वारा राशि का भुगतान किया गया था तथा विवरण के छठे स्तंभ में जिला कांग्रेस कमेटी का नाम अंकित होना चाहिए था, न कि जिला निर्वाचन अधिकारी का।

तथापि, चूँकि इस बात का कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि श्री यशपाल कपूर 11 जनवरी 1971 को रायबरेली में उपस्थित थे, इसलिए केवल उक्त प्रविष्टि के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं होगा कि 11.1.1971 को श्री यशपाल कपूर ने स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए मतदाता सूची खरीदी थी। श्री गया प्रसाद शुक्ला प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। श्री यशपाल कपूर के अनुसार, वे खातों के रख-रखाव के प्रभारी थे। यह पूर्णतः सम्भाव्य है कि किसी निर्देश के अंतर्गत उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए मतदाता सूची खरीदी हो और उसी के परिणामस्वरूप यह प्रविष्टि की गई हो।

अतः मैं 13.1.1971 को समाप्त अवधि के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 को श्री यशपाल कपूर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आकलन में निर्वाचन व्यय विवरण (प्रदर्श-5) की प्रविष्टि संख्या 1 पर कोई भरोसा नहीं करता/करती।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्युत्तर में चार गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से सरजू प्रसाद (आर.डब्ल्यू. 12) और राम पाल (आर.डब्ल्यू.13) की साक्ष्य पर मैंने ननकऊ (पी.डब्ल्यू.28) की साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विचार किया है और दोनों को अविश्वसनीय पाया है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तीसरे गवाह हैं— ठाकुर अम्बिका सिंह (आर.डब्ल्यू. 24)। उन्होंने यह बयान दिया कि वे भी 7 जनवरी 1971 को मुंशीगंज में आयोजित शहीद मेला में उपस्थित थे और जब सर्वश्री गुलज़ारी लाल नंदा, यशपाल कपूर तथा कुछ स्थानीय नेताओं ने उस शहीद मेला में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तब उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। तथापि, उनके प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि वे पिछले 14-15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और 1971 के चुनाव में उन्होंने उस पार्टी के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए कार्य किया था। उनके प्रतिपरीक्षण में यह भी उजागर हुआ कि लगभग छह वर्ष पूर्व उन पर डकैती के आरोप में अभियोजन चलाया गया था। विचारण न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया था, परंतु अपील में वे बरी कर दिए गए। अतः वे प्रथम दृष्टया एक हितबद्ध गवाह हैं और उनके पूर्ववृत्त भी पूर्णतः निष्कलंक नहीं हैं। उनके प्रतिपरीक्षण में यह भी सामग्री सामने आई कि उन्होंने तथ्यों को दबाने का प्रयास किया। उन्होंने यह कहना गलत बताया कि 1971 में गया प्रसाद शुक्ला निर्वाचन कार्यालय के प्रभारी थे। तथापि, यह पूर्व में ही उल्लेख किया जा चुका है कि दौरा-कार्यक्रमों की प्रतियाँ, अन्य लोगों के साथ-साथ, श्री गया प्रसाद शुक्ला को भी प्रेषित की गई थीं तथा उनमें उनका पता 'केन्द्रीय कांग्रेस कार्यालय, रायबरेली' (प्रदर्श-43) के रूप में अंकित है। पुनः, 1 फरवरी 1971 को उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी के समर्थन में निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य अपील जारी की थी, जिसकी प्रति अभिलेख पर प्रदर्श-24 के रूप में उपलब्ध है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया कि श्री गया प्रसाद शुक्ला प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से निर्वाचन खातों के संधारण के प्रभारी थे। अतः ठाकुर अम्बिका सिंह द्वारा श्री गया प्रसाद शुक्ला के संबंध में दिया गया कथन सम्पूर्ण सत्य नहीं है।

उपरोक्त समस्त कारणों से ठाकुर अम्बिका सिंह की साक्ष्य पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता।
अंत में, श्री यशपाल कपूर (आर.डब्ल्यू. 32) की साक्ष्य है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने 7.1.1971 को मुंशीगंज में शहीद मेला की बैठक में भाग लिया था और वहाँ एक भाषण भी दिया था। तथापि, उनका कहना था कि उनके द्वारा दिए गए संक्षिप्त भाषण में उन्होंने केवल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी अथवा उस बैठक में चुनाव के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। यहाँ श्री यशपाल कपूर की साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनकी गवाही पर, यदि कोई, कितना भरोसा किया जा सकता है।

अतिरिक्त मुद्दों के अंतर्गत मुद्दा संख्या 2 पर अपना निष्कर्ष दर्ज करते समय मैं पहले ही यह निर्णय दे चुका/चुकी

हूँ कि श्री यशपाल कपूर द्वारा दिया गया यह कथन कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पहली बार 1 फरवरी 1971 को श्री कमलापति त्रिपाठी तथा जिला कांग्रेस कमेटी, रायबरेली के सदस्यों से बातचीत के पश्चात् स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया था, असत्य था और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा स्थापित की गई दलील को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिया गया था।

श्री यशपाल कपूर ने यह भी कहा कि उन्होंने 1967 में सार्वजनिक सेवा करने की इच्छा से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तथापि, यह आश्चर्यजनक है कि सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका यह उत्साह अत्यंत अल्पकालिक सिद्ध हुआ, क्योंकि चुनाव समाप्त होते ही वे पुनः प्रत्यर्थी संख्या 1 के सचिवालय में सेवा में सम्मिलित हो गए। इस संदर्भ में यह माना जाना चाहिए कि 1967 में सार्वजनिक सेवा करने के उद्देश्य से त्यागपत्र देने का उनका कथन असत्य था और वास्तविकता यह है कि उन्होंने केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए चुनाव कार्य करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया था।

उन्होंने यह भी कहा कि 7.1.1971 को मुंशीगंज में शहीद मेला में भाग लेने के पश्चात् वे अगले दिन दिल्ली लौट गए और 9 या 10 जनवरी 1971 को उन्होंने पुनः प्रत्यर्थी संख्या 1 से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने हेतु त्यागपत्र देने की इच्छा व्यक्त की। यह समझ से परे है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के सचिवालय में 7 जनवरी 1971 तक विशेष कार्य अधिकारी के रूप में शांतिपूर्वक कार्य करने के पश्चात् उन्हें पुनः सार्वजनिक सेवा की तीव्र इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई, और वह भी संसदीय चुनावों की पूर्वसंध्या पर, जब प्रत्यर्थी संख्या 1 ने रायबरेली से चुनाव लड़ने की अपनी मंशा व्यक्त कर दी थी। यह तथ्य केवल यही दर्शाता है कि यह सार्वजनिक सेवा की इच्छा नहीं थी, बल्कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए चुनाव कार्य करने की इच्छा अथवा निर्देश ही था, जिसने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया।

श्री यशपाल कपूर के त्यागपत्र के उद्देश्य संबंधी कथन की और अधिक जाँच करने पर यह पाया जाता है कि 13 जनवरी 1971 को त्यागपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उसी सायं उनकी भेंट उस समय के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यू.पी.सी.सी.) के अध्यक्ष श्री कमलापति त्रिपाठी से हुई, जो उस समय दिल्ली में ठहरे हुए थे। श्री यशपाल कपूर ने कहा कि उन्होंने श्री कमलापति त्रिपाठी को बताया कि वे एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और उन्हें सौंपा गया कोई भी कार्य कर सकते हैं, जिस पर श्री त्रिपाठी ने उन्हें लखनऊ के पूर्व के जिलों में जाने को कहा। यह उल्लेखनीय है कि 1971 में देश में लोकसभा के आम चुनाव हो रहे थे और श्री यशपाल कपूर का दावा है कि उन्होंने इन्हीं चुनावों की पूर्वसंध्या पर त्यागपत्र दिया था। यह माना जा सकता है कि उस समय उन्होंने अधिक व्यापक और तीव्र सेवा के अवसर उपलब्ध होने के कारण ऐसा किया। तथापि, यह पुनः आश्चर्यजनक है कि उन्हें एक बार फिर रायबरेली की दिशा में जाने को कहा गया। आगे बढ़ते हुए, श्री यशपाल कपूर ने कहा कि 14 जनवरी 1971 की प्रातः लखनऊ पहुँचने पर उन्होंने यू.पी.सी.सी. से एक वाहन प्राप्त किया और उसी दिन रायबरेली चले गए। प्रश्न यह है—रायबरेली ही क्यों? उनके अनुसार, श्री कमलापति त्रिपाठी ने उन्हें लखनऊ के पूर्व के जिलों में जाने को कहा था। रायबरेली लखनऊ के पूर्व का एकमात्र जिला नहीं है। तब वे रायबरेली ही क्यों गए, जब तक कि उनके त्यागपत्र का अंतर्निहित कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य करना न हो।

श्री यशपाल कपूर ने कहा कि वह 17 जनवरी, 1971 की अपराह्न तक रायबरेली में ठहरे रहे तथा उसके पश्चात सुलतानपुर और बाराबंकी के लिए प्रस्थान किया। तथापि, जिरह के दौरान उन्होंने यह कहा कि वे बाराबंकी में एक दिन से अधिक नहीं ठहरे, क्योंकि बाराबंकी लखनऊ के अत्यंत निकट है तथा लखनऊ में ठहरना अधिक सुविधाजनक था। सुलतानपुर के संबंध में उन्होंने कहा कि वे वहाँ केवल एक दिन ठहरे थे, किंतु उन्हें वहाँ ठहरने का स्थान स्मरण नहीं है। सुलतानपुर एवं बाराबंकी में उनके द्वारा किए गए कार्य के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ संगठनात्मक कार्य के संबंध में स्थानीय लोगों से मात्र बातचीत की थी। यह कथन विश्वासयोग्य प्रतीत नहीं होता। जैसा कि आगे थोड़ी देर में प्रदर्शित किया जाएगा, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत करता है कि वे 19 जनवरी, 1971 तक रायबरेली में ही ठहरे रहे। प्रतीत होता है कि उपर्युक्त कथन उन्होंने 17 जनवरी, 1971 को रायबरेली के क्लॉक टॉवर पर हुई बैठक में तथा 18 जनवरी, 1971 को प्रोफेसर शेर सिंह द्वारा आयोजित बैठकों एवं कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति स्वीकार करने से बचने के उद्देश्य से दिया था।

इसके पश्चात श्री यशपाल कपूर से यह प्रश्न किया गया कि वर्ष 1967 में उन्होंने निर्वाचन की पूर्व संध्या पर पद

से त्यागपत्र दिया था और प्रतिवादी संख्या-1 के निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किया था; तथा वर्ष 1971 में उन्होंने पुनः संसदीय निर्वाचन की पूर्व संध्या पर त्यागपत्र दिया और पुनः प्रतिवादी संख्या-1 के निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किया; और क्या इस संयोग के पीछे कोई विशेष कारण था। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कार्य में सम्मिलित होना चाहता है।

यह बात उसे संसद अथवा किसी राज्य की विधान सभा में प्रवेश पाने की दिशा में प्रेरित कर सकती थी। उसने स्वीकार किया कि वर्ष 1967 तथा 1971 में भी उसकी यही महत्वाकांक्षा थी। वस्तुतः प्रतिवादी संख्या-1 (आर.डब्ल्यू. 37) ने भी अपनी जिरह के दौरान यह कहा कि वर्ष 1967 में श्री यशपाल कपूर ऐसे अवसरों की तलाश में थे जो उस समय उपलब्ध नहीं थे। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि श्री यशपाल कपूर ने न तो वर्ष 1967 में और न ही वर्ष 1971 में किसी सार्वजनिक सेवा के उद्देश्य से त्यागपत्र दिया, बल्कि केवल प्रतिवादी संख्या-1 के निर्वाचन क्षेत्र में उसके लिए कार्य करने तथा इस प्रकार उसकी सहायता से अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ऐसा किया।

श्री यशपाल कपूर के अनुसार, उसकी महत्वाकांक्षा वर्ष 1972 में तब पूरी हुई जब वह उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ। इस संबंध में श्री यशपाल कपूर द्वारा दिया गया कथन भी विचारणीय है। उसने स्वीकार किया कि कोई व्यक्ति जो किसी विशेष राज्य का निवासी नहीं है, उस राज्य से राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। वर्ष 1970 की निर्वाचक नामावली (प्रद. 17) में उसका नाम मकान संख्या 968, कचहरी रोड, रायबरेली के निवासी के रूप में अंकित है। तथापि, उसने यह भी स्वीकार किया कि न तो वर्ष 1968-69 में और न ही 1970-71 में वह कभी रायबरेली में निवासरत रहा। यह स्पष्टतः इसलिए था क्योंकि उस समय वह दिल्ली में प्रधानमंत्री सचिवालय में कार्यरत था। अतः उससे यह प्रश्न किया गया कि क्या निर्वाचक नामावली (प्रद. 17) में उसका निवास मकान संख्या 968, कचहरी रोड, रायबरेली के रूप में गलत रूप से अंकित किया गया था।

उसने प्रारंभ में कहा—
"मैं इसे गलत नहीं कहूँगा। मुझे याद है कि जब निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण हो रहा था, उस समय मैं रायबरेली में था और मुझे बताया गया था कि मेरा नाम रायबरेली की निर्वाचक नामावली में दर्ज कर दिया गया है।"

इसके पश्चात साक्षी से प्रश्न किया गया तथा उसका उत्तर इस प्रकार है—
"प्रश्न: आपके द्वारा दिया गया उत्तर उस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं है जो आपसे पूछा गया था। आपको यह स्पष्ट करना है कि जब आप यह स्वीकार करते हैं कि वर्ष 1970 के दौरान आप उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर या जनपद में निवास नहीं कर रहे थे, तब प्रदर्श 17 में आपके निवास का विवरण किस प्रकार सही है?
उत्तर: मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ।"

अतः यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री यशपाल कपूर यह बताने में पूर्णतः असमर्थ रहे कि वर्ष 1970 के दौरान उनका नाम उत्तर प्रदेश राज्य की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में किस प्रकार दर्ज किया गया। उसकी जिरह में यह भी तथ्य सामने आया कि 14 नवम्बर 1970 को रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा खोली गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उप वित्त मंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया ने किया था। उसने कहा कि उसने उस शाखा में ₹101/- की एक प्रतीकात्मक राशि जमा कर खाता खोला था। उसे बैंक ऑफ बड़ौदा, रायबरेली शाखा के अभिकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के उप पंजीयक को भेजे गए पत्र (प्रद. 54) से अवगत कराया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लेख है कि बैंक में श्री यशपाल कपूर के नाम से बचत खाता संख्या 26 खोला गया था। कचहरी रोड, रायबरेली।

श्री यशपाल कपूर ने कहा कि खाता खोलते समय उसने बैंक के अभिलेखों में दर्ज किए जाने हेतु कोई पता नहीं दिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि किसी भी बैंक में खाता खोलते समय व्यक्ति को अपना पता देना आवश्यक होता है, किंतु उसका कहना था कि उसने केवल प्रतीकात्मक खाता खोला था, इसलिए उसने कोई पता नहीं दिया। श्री अशोक कुमार धूपर (पी.डब्ल्यू. 11), जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी हैं, को याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित किया

गया। उन्होंने कहा—
"श्री यशपाल कपूर, जिसने खाता खोला था, ने अपना नाम यशपाल कपूर तथा पता कचहरी रोड, रायबरेली बताया था।"

उन्होंने आगे कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं बैंक में उपस्थित होता है तथा उसके नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर सुरक्षित रखे जाते हैं। पत्र (प्रद. 54), श्री यशपाल कपूर द्वारा किया गया स्वीकारोक्ति-युक्त कथन तथा श्री अशोक कुमार धूपर (पी.डब्ल्यू. 11) के बयान को दृष्टिगत रखते हुए यह मानना कठिन है कि श्री यशपाल कपूर का पता बैंक में कचहरी रोड, रायबरेली के रूप में उसकी जानकारी अथवा कथन के बिना दर्ज किया गया होगा। उससे यह प्रश्न भी किया गया कि जब उसने स्वीकार किया कि वर्ष 1970 में वह दिल्ली में रहता था और केवल कभी-कभी रायबरेली आता था तथा खाता खोलते समय उसने कोई पता नहीं दिया, तब यह बताया जाए कि बैंक के अभिलेखों में उसका पता किसके निर्देश पर दर्ज किया गया। जो पत्र (प्रद. 54) में उल्लिखित है। साक्षी ने यह बताने में असमर्थता व्यक्त की कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अभिलेखों में उसका पता इस प्रकार किसके निर्देश पर दर्ज हुआ।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क दिया कि श्री यशपाल कपूर ने निर्वाचक नामावली (प्रद. 17) में अपना नाम मकान संख्या 968, कचहरी रोड, रायबरेली के निवासी के रूप में दर्ज कराने हेतु जानबूझकर हेर-फेर की तथा वर्ष 1970 में बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलते समय भी उसने गलत प्रस्तुतीकरण किया, ताकि वह इस राज्य से निर्वाचक के रूप में संसद सदस्य चुना जा सके।

चूँकि श्री यशपाल कपूर यह स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहा कि किन परिस्थितियों में उसका नाम निर्वाचक नामावली (प्रद. 17) में दर्ज हुआ तथा किन परिस्थितियों में बैंक अभिलेखों में उसका पता कचहरी रोड, रायबरेली अंकित किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया यह तर्क निराधार नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, यह स्थिति दर्शाती है कि श्री यशपाल कपूर अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कोई भी कथन करने से नहीं हिचकता था। श्री यशपाल कपूर के अपने कथनों को देखते हुए यह आलोचना अनुचित नहीं कही जा सकती।

प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता ने यह आपत्ति उठाई कि निर्वाचक नामावली से संबंधित किसी भी विषय को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में इस विषय पर पूर्ण प्रावधान हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि किसी निर्वाचक नामावली की अंतिमता को किसी निर्वाचन याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी साक्षी द्वारा इस प्रश्न पर दिया गया कथन कि उसका नाम किसी राज्य की निर्वाचक नामावली में किस प्रकार दर्ज हुआ, उसकी गवाही के मूल्यांकन हेतु विचारणीय नहीं होगा। अतः प्रतिवादी संख्या-1 के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से श्री यशपाल कपूर द्वारा किए गए व्यय संबंधी कथन भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। उसने कहा कि उसने 1 फरवरी 1971 से पूर्व प्रतिवादी की ओर से कोई व्यय नहीं किया था। किंतु प्रदर्श 22/9, जो चालक सिराज अहमद को दिए गए पारिश्रमिक की रसीद की प्रति है, निर्वाचन व्यय विवरण के साथ संलग्न है। श्री यशपाल कपूर के अनुसार, उसे 1 फरवरी 1971 के पश्चात जीप प्राप्त हुई थी और चालक को उसी समय नियुक्त किया गया था। तथापि, उक्त रसीद से यह स्पष्ट होता है कि चालक को 15 जनवरी 1971 से 10 मार्च 1971 तक वेतन का भुगतान किया गया था।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री यशपाल कपूर ने 15 जनवरी 1971 से निर्वाचन व्यय करना प्रारंभ कर दिया था। रसीद (प्रद. 22/9) से सामना होने पर उसने अपने कथन में संशोधन करने का प्रयास किया और कहा कि जब उसे जीप दी गई, उस समय वह पहले से ही रायबरेली में थी तथा उसे बताया गया था कि सिराज अहमद ही चालक है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, यह बयान फिर से उनके पिछले बयान का खंडन करता है कि ड्राइवर को उन्होंने ही रखा था। हालांकि, उनसे पूछा गया कि, अगर उन्हें पता था कि चुनावी खर्च के रिटर्न में केवल चुनाव के संबंध में खर्च की गई रकम ही दिखानी होती है, तो उन्होंने सैलरी का वह हिस्सा जो 1 फरवरी 1971 से पहले की अवधि से संबंधित था और चुनावी खर्च नहीं था, उसे रसीद (एग्जिबिट 22/9) और चुनावी खर्च के रिटर्न में क्यों शामिल किया। इस पर गवाह ने जवाब दिया:

"मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मैंने सही तरफ गलती की। काफी गुंजाइश थी। इसलिए, मुझे रसीद (एग्जिबिट 22/9) में बताई गई पूरी रकम को चुनावी रिटर्न में शामिल करने में कोई नुकसान नहीं दिखा।"

यह जवाब बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है।

फिर से, रिटर्न या चुनाव खर्च (Exh. 5) के अनुसार, उन्होंने 11.1.1971 को वोटर्स लिस्ट की लागत के लिए 657=90 रुपये का खर्च किया। रिटर्न में अगली छह एंट्री 28 जनवरी 1971 को किए गए खर्च से संबंधित हैं। सातवीं और आठवीं एंट्री 29 जनवरी 1971 को किए गए खर्च से संबंधित हैं और इसके बाद वाली एंट्री 30 जनवरी 1971 को किए गए खर्च से संबंधित है। अगर यह सच होता कि श्री यशपाल कपूर ने 1.2.1971 से पहले कोई खर्च नहीं किया था, जैसा कि उन्होंने कहा है, तो ये सभी एंट्री रिटर्न (Exh. 5) में कैसे मौजूद हैं? इसके अलावा, चुनाव खर्च के रिटर्न (Exh. 5) के साथ वाउचर नंबर 54, 53, 52, 51 और 50 दिखाते हैं कि नन्हे धोबी, श्रीमती रेवा राम प्यारी, श्रीमती दया दुलारी, राम पाल और रण सागर को 28 जनवरी 1971 से शुरू होने वाली अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया था।अगर याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी 1971 से पहले कोई चुनावी खर्च नहीं किया था, तो इसका क्या स्पष्टीकरण है?

श्री यशपाल कपूर ने चुनाव खर्च के रिटर्न में पहले बताई गई एंट्रीज़ के बारे में यह कहकर समझाने की कोशिश की कि, चूंकि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने उनसे कहा था कि यह खर्च किसी ऐसे व्यक्ति के चुनाव को ऑर्गनाइज़ करने के लिए किया गया था जो बाद में खुद को उम्मीदवार बता सकता है, इसलिए उन्होंने उस रकम को भी D.C.C. को वापस करना सही समझा।

यह स्पष्टीकरण भी संतोषजनक नहीं है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि श्री यशपाल कपूर ने वाउचर के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।इसलिए, श्री यशपाल कपूर के बयान के उस हिस्से को मानना मुश्किल है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 फरवरी 1971 से पहले प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव के संबंध में उनका कोई खर्च नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि जब चुनाव खर्च का रिटर्न फाइल किया गया था, तो यह महसूस नहीं किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 का 29.12.1970 को खुद को उम्मीदवार घोषित करना और श्री यशपाल कपूर का उसके तुरंत बाद उनके लिए चुनाव का काम शुरू करना कोई दिक्कत पैदा कर सकता है। इसी वजह से खर्च उसी तारीख में दर्ज किया गया जिस तारीख में वह हुआ था। हालांकि, जब यह याचिका दायर की गई, तो शायद यह महसूस किया गया कि यह मानना कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 29 दिसंबर 1970 को खुद को उम्मीदवार घोषित किया था या श्री यशपाल कपूर ने उसके तुरंत बाद उनके लिए काम करना शुरू कर दिया था, दिक्कतें पैदा कर सकता है।इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 ने यह रुख अपनाया कि उन्होंने पहली बार 1 फरवरी 1971 को खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था, और तब तक उन्होंने श्री यशपाल कपूर या किसी अन्य व्यक्ति से अपने लिए कोई काम करने के लिए नहीं कहा था। श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लिए गए रुख के अनुसार बयान देने की कोशिश की और इसी वजह से ऊपर बताई गई विसंगतियां पैदा हुई हैं।

श्री यशपाल कपूर से कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया, जो कथित तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी। उन्होंने माना कि उनकी पत्नी ने गोल्ड लिंक इलाके में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके लिए उन्होंने चार लाख रुपये से ज़्यादा का पेमेंट किया था। उनके अनुसार, उन्होंने इस काम के लिए अपनी पत्नी को 50,000 रुपये दिए थे, उनकी सास ने उन्हें 1,00,000 रुपये एडवांस दिए थे, नारंग बैंक ने उनकी पत्नी को 1,00,000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा एडवांस दिया था और एक फैमिली फ्रेंड ने 1,00,000 रुपये से थोड़ा ज़्यादा लोन दिया था। इसलिए, उनसे सवाल किया गया कि उनकी पत्नी ने किन शर्तों पर लोन लिया था, और इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि लोन किन शर्तों पर लिया गया था। उन्होंने इस बारे में भी अनभिज्ञता जताई कि क्या उनकी पत्नी द्वारा खरीदी गई बिल्डिंग या उसका कोई हिस्सा उन लोगों के पक्ष में गिरवी रखा गया था जिनसे लोन लिया गया था, या इस संबंध में कोई प्रोनोट या बॉन्ड एग्जीक्यूट किए गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी द्वारा खरीदी गई बिल्डिंग में कवर्ड जगह के बारे में भी अनभिज्ञता जताई।अब, इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि यह बिल्डिंग किसी और ने नहीं बल्कि श्री यशपाल कपूर की पत्नी ने खरीदी है। उनका यह मामला नहीं है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच संबंध खराब हैं। दूसरी ओर, उनके खुद के बयान के अनुसार, उन्होंने बिल्डिंग खरीदने में 50,000/- रुपये का योगदान दिया था। इस बैकग्राउंड

में, यह मानना मुश्किल है कि श्री यशपाल कपूर को यह नहीं पता था कि लिए गए लोन के संबंध में कोई बॉन्ड, प्रोनोट या मॉर्गेज डीड बनाए गए थे, और घर में कवर्ड जगह के बारे में भी। फिर से, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर लिखित बयान को देखने से पता चलता है कि उसके कई पैराग्राफ प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने इलेक्शन एजेंट, यानी श्री यशपाल कपूर से मिली जानकारी के आधार पर वेरिफाई किए हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपनी गवाही के दौरान यह भी कहा कि इलेक्शन याचिका की कॉपी मिलने के बाद उसने इस विषय पर श्री यशपाल कपूर से बात की थी। इस बिंदु पर श्री यशपाल कपूर द्वारा दिया गया बयान प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए बयान से मेल नहीं खाता, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोर्ट में गवाही देने से पहले उन्होंने कभी भी प्रतिवादी नंबर 1 के साथ इलेक्शन याचिका पर चर्चा नहीं की। फिर उनका ध्यान लिखित बयान में मौजूद वेरिफिकेशन क्लॉज़ की ओर दिलाया गया और उन्होंने कहा: "मैं अब भी कहता हूँ कि मैंने प्रतिवादी नंबर 1 के साथ इलेक्शन याचिका के बारे में कोई बात नहीं की।"

श्री यशपाल कपूर के बयान पर ऊपर की गई चर्चा से ऐसा लगता है कि यह एक सीधा-सादा बयान नहीं है और कई बातों में यह आधी सच्चाइयों और झूठ का मिश्रण है। नतीजतन, उनके बयान के उस हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता जिसमें उन्होंने 7 जनवरी 1971 को अपने भाषण में प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया था। यह भी बताना ज़रूरी है कि चूंकि श्री यशपाल कपूर पर ही भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी के तौर पर प्रतिवादी नंबर 1 को मदद देने का आरोप था, इसलिए उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह इसे स्वीकार करेंगे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने फिर यह दलील दी कि यह मानते हुए भी कि श्री यशपाल कपूर ने 7 जनवरी 1971 को मुंशीगंज में भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने प्रतिवादी के लिए समर्थन मांगा था, वह उस तारीख को चुनाव एजेंट नहीं थे, और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 ने ऐसा करने का निर्देश दिया था। अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि, इसलिए, इस आधार पर यह नहीं माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए श्री यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त की या ली।

मैंने इस तर्क पर भी ध्यान से विचार किया है, लेकिन मुझे इसे स्वीकार न कर पाने का अफ़सोस है। जैसा कि पहले भी कहा गया है, श्री यशपाल कपूर काफी लंबे समय से प्रतिवादी नंबर 1 के साथ विश्वास और भरोसे के पद पर थे। विचाराधीन अवधि के दौरान वह प्रतिवादी नंबर 1 के सचिवालय में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी थे। 1967 में उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वह निर्वाचन क्षेत्र में उनके चुनाव का काम कर सकें। वह काम पूरा होने के बाद, उन्हें फिर से प्रतिवादी के सचिवालय में विशेष ड्यूटी पर अधिकारी के रूप में वापस ले लिया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने 29 दिसंबर 1970 को खुद को उम्मीदवार घोषित किया। 5 जनवरी 1971 को राजा दिनेश सिंह को निर्वाचन क्षेत्र में भेजा गया। 7 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर रायबरेली गए और, प्रतिवादी नंबर 1 के अपने बयान के अनुसार, उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 को पहले से सूचित करके ऐसा किया था। बाद की घटनाएँ भी महत्वपूर्ण लगती हैं, क्योंकि, श्री यशपाल कपूर के अनुसार, रायबरेली से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने 9 और 10 जनवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 से बात की; 13 जनवरी को उन्होंने फिर से पद से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन एक बार फिर प्रतिवादी नंबर 1 के निर्वाचन क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। अंततः उन्हें ही प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव एजेंट नियुक्त किया गया।

यह जोड़ा जा सकता है कि इस बात पर कोई सीधा सबूत देना संभव नहीं था कि प्रतिवादी नंबर 1 ने श्री यशपाल कपूर को 7 जनवरी 1971 को किसी चुनावी काम के लिए रायबरेली जाने का निर्देश दिया था। यह केवल आसपास की परिस्थितियों के आधार पर ही अनुमान लगाया जा सकता है।मैंने ऊपर उन हालातों का ज़िक्र पहले ही कर दिया है और मेरे हिसाब से उन हालातों के आधार पर सिर्फ़ यही नतीजा निकाला जा सकता है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1, रेस्पोंडेंट नंबर 1 के निर्देशों पर बताई गई तारीख को रायबरेली अपनी इलेक्शन से जुड़ा शुरुआती काम करने गई थी।

संक्षेप में, इसलिए, यह संतोषजनक ढंग से साबित होता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने, 13 जनवरी 1971 को समाप्त होने

वाली अवधि के दौरान, अपने चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार में एक राजपत्रित अधिकारी श्री यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त की, क्योंकि श्री यशपाल कपूर को 7.1.1971 को रायबरेली भेजा गया और मुंशीगंज में शहीद मेले में उनके उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के लिए भाषण देने के लिए कहा गया।

इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि श्री यशपाल कपूर ने 13 जनवरी 1971 को विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा, श्री यशपाल कपूर के अपने बयान के अनुसार, वे 14 जनवरी 1971 को रायबरेली पहुंचे। मैंने पहले ही कहा है कि 7 जनवरी 1971 को वे प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव कार्य शुरू करने के लिए रायबरेली गए थे और, मुंशीगंज में शहीद मेले में भाषण देते समय, उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए समर्थन मांगा। वे 8 जनवरी 1971 को दिल्ली लौट आए, और 9 या 10 जनवरी 1971 को उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 से बात की। मेरे इस निष्कर्ष के संदर्भ में कि वे 7 जनवरी 1971 को चुनाव कार्य करने के लिए रायबरेली गए थे, यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि संभवतः उन्होंने 9 या 10 जनवरी 1971 को प्रतिवादी नंबर 1 के साथ हुई बातचीत के दौरान इसी बारे में बात की थी। यह तथ्य कि उन्होंने 13 जनवरी 1971 को राजनीतिक कार्य करने के इरादे से इस्तीफा दिया और सीधे रायबरेली आए, इस निष्कर्ष की ओर एक मजबूत संकेत है कि उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव कार्य करने के इरादे से ऐसा किया। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि वाउचर नंबर प्रतिवादी के चुनाव खर्चों की वापसी (प्रदर्शनी 5) के साथ संलग्न 49, उस जीप के ड्राइवर के रूप में सिरनी अहमद को दिए गए वेतन से संबंधित है, जिसका इस्तेमाल श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव का काम करने के लिए किया था। इस रसीद को देखने से पता चलता है कि सिराज अहमद को 15 जनवरी 1971 से शुरू होने वाली अवधि के लिए उनका वेतन दिया गया था।इसलिए, यह वाउचर यह भी साबित करता है कि कम से कम 15 जनवरी 1971 से श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव का काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि श्री यशपाल कपूर द्वारा ऊपर बताए गए वाउचर के बारे में दी गई सफाई को मैं पहले ही मानने लायक नहीं मान चुका हूँ।

श्री मोहन लाल त्रिपाठी (P.W. 59), जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी (R), रायबरेली का बयान भी इस बात का समर्थन करता है कि 14 जनवरी 1971 से शुरू हुई अवधि के दौरान श्री यशपाल कपूर रायबरेली में चुनाव का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 1971 तक वे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रचार कर रहे थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी खास उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि श्री यशपाल कपूर ने भी इसी तरह से प्रचार किया।

यह तथ्य कि श्री यशपाल कपूर ने 14 जनवरी 1971 से रायबरेली में रहने के दौरान चुनाव से संबंधित काम किया था, इसका समर्थन प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर अतिरिक्त लिखित बयान से भी मिलता है। पैरा 2(b) में प्रतिवादी नंबर 1 ने, अन्य बातों के अलावा, यह दलील दी: -
“याचिका के संशोधित पैराग्राफ 5 में यह बयान कि श्री यशपाल कपूर ने, इस प्रतिवादी के निर्देश पर, 27 दिसंबर 1970 से शुरू होने वाली पूरी अवधि के दौरान उनके लिए चुनाव प्रचार का काम आयोजित किया, 15 को गलत साबित हुआ, सिवाय इसके कि, श्री तांशपाह आने ने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम किया, हालांकि उनके द्वारा इस प्रतिवादी के लिए चुनाव एजेंट के रूप में उनकी नियुक्ति से कुछ दिन पहले तक कोई चुनाव प्रचार का काम नहीं किया गया था। (अंडरलाइन मेरे द्वारा की गई है)”

ऊपर बताई गई दलीलों से प्रतिवादी नंबर 1 ने यह मान लिया है कि श्री यशपाल कपूर ने चुनाव एजेंट नियुक्त होने से पहले निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम किया था और चुनाव एजेंट के तौर पर अपनी नियुक्ति से कुछ दिन पहले उन्होंने प्रतिवादी के लिए कुछ चुनावी काम भी किया था। पैरा 2(c) में प्रतिवादी नंबर 1 ने, अन्य बातों के अलावा, यह दलील दी: -
"यह भी इनकार किया जाता है कि श्री यशपाल कपूर ने 7.1.1971 को उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में कोई भाषण दिया था। हालांकि, चुनाव एजेंट के तौर पर अपनी नियुक्ति से कुछ दिन पहले भी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए मतदाताओं से अपील करते हुए भाषण दिए थे, लेकिन विशेष रूप से किसी उम्मीदवार के लिए या इस प्रतिवादी के लिए प्रचार नहीं किया था।" (रेखांकन मेरे द्वारा किया गया है)

याचिका के पैरा 2(b) में दिए गए ऊपर बताए गए प्लीडिंग के साथ प्लीडिंग का यह हिस्सा असंगत लगता है, क्योंकि अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 2(b) में दी गई प्लीडिंग यह मानती है कि श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव एजेंट के रूप में अपनी नियुक्ति से कुछ दिन पहले कुछ चुनावी काम भी किया था, जबकि अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 2(c) में दी गई प्लीडिंग के ऊपर बताए गए हिस्से में इससे इनकार किया गया है। हालांकि, अतिरिक्त लिखित बयान के पैरा 2(b) और पैरा 2(c) को एक साथ पढ़ने से, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से यह साफ तौर पर माना जाता है कि श्री यशपाल कपूर चुनाव एजेंट के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले रायबरेली में कुछ चुनावी काम कर रहे थे, हालांकि वह काम विशेष रूप से किसी उम्मीदवार के लिए नहीं था। अब, एक बार जब यह मान लिया जाता है कि, चुनाव एजेंट के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले की अवधि के दौरान, श्री यशपाल कपूर निर्वाचन क्षेत्र के भीतर चुनाव से संबंधित काम कर रहे थे, तो यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि वह काम प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी से संबंधित था, मेरे पहले दर्ज किए गए निष्कर्ष के मद्देनजर कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 29 दिसंबर 1970 को खुद को एक उम्मीदवार के रूप में पेश किया था।

यह तथ्य कि प्रतिवादी नंबर 1 29 दिसंबर 1970 से रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थीं और यह तथ्य कि श्री यशपाल कपूर भी 7 जनवरी 1971 को रायबरेली गए थे और उन्होंने तब उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में भाषण दिया था, इससे यह स्पष्ट है कि 14 जनवरी 1971 और 25 जनवरी 1971 के बीच की अवधि में भी श्री यशपाल कपूर द्वारा रायबरेली में किया गया काम प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव से संबंधित था।

इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 के अतिरिक्त लिखित बयान से, श्री यशपाल कपूर (R.W. 32) द्वारा शपथ पर दिए गए बयान से और श्री मोहन लाल त्रिपाठी (P.W. 59) द्वारा अपनी जिरह के अंत में दिए गए बयान से, यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि 14 जनवरी 1971 और 25 जनवरी 1971 के बीच की अवधि में श्री यशपाल कपूर प्रतिवादी नंबर 1 के लिए चुनाव का काम कर रहे थे।

सबसे पहले यह आरोप लगाया गया है कि 14 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव प्रचार के हिस्से के तौर पर रायबरेली शहर से कारों का एक काफिला निकाला था। प्रतिवादी नंबर 1. इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए मौखिक सबूतों में उमा शंकर यादव (P.W. 41) और राम कुमार सिंह (P.W. 42) के बयान शामिल हैं। श्री उमा शंकर यादव एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 1971 को रायबरेली के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस से कई गाड़ियां जुलूस की शक्ल में निकलीं, जिन पर प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी के समर्थन में पोस्टर और बैनर लगे थे।सबसे पहले यह आरोप लगाया गया है कि 14 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर ने प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव प्रचार के हिस्से के रूप में रायबरेली शहर से कारों का एक काफिला निकाला।

प्रतिवादी नंबर 1. इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए मौखिक सबूतों में उमा शंकर यादव (P.W. 41) और राम कुमार सिंह (P.W. 42) के बयान शामिल हैं। श्री उमा शंकर यादव एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 1971 को रायबरेली के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस से कई गाड़ियां जुलूस के रूप में निकलीं, जिन पर प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी के पक्ष में पोस्टर और बैनर लगे थे। उन्होंने आगे कहा कि गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगे थे और गाड़ियों में बैठे लोग लाउडस्पीकर के ज़रिए जनता से अपील कर रहे थे कि वे प्रतिवादी नंबर 1 को वोट दें और उन्हें सफल बनाएं।

हालांकि, उन्होंने उस जुलूस में श्री यशपाल कपूर को देखने का दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि उन्होंने उन्हें 15 जनवरी 1971 के आसपास चुनाव प्रचार करते हुए देखा था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने ज़ोर देकर कहा कि उमा शंकर यादव (P.W. 41), उनके क्रॉस-एग्जामिनेशन में किए गए एक कबूलनामे के अनुसार, S.S.P. के कट्टर कार्यकर्ता थे, और 1971 के चुनाव के दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता के लिए काउंटिंग एजेंट के रूप में काम किया था, साथ ही उनके चुनाव अभियान के संबंध में भी काम किया था। अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उमा शंकर यादव, इसलिए, एक बहुत पक्षपाती गवाह हैं और इसलिए उनकी गवाही पर सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, इसके एक से ज़्यादा कारण हैं, जिनकी वजह से मैं याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई आलोचना को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। श्री उमा शंकर यादव एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और इसलिए एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उनसे क्रॉस-एग्जामिनेशन में यह नहीं पूछा गया कि 14 जनवरी 1971 को रायबरेली में कांग्रेस पार्टी द्वारा वाहनों का कोई जुलूस नहीं निकाला गया था और गवाह द्वारा दिया गया बयान सरासर झूठ था। इसके विपरीत उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया: -

प्रश्न: क्या यह सही नहीं है कि 14 जनवरी 1971 को कांग्रेसियों द्वारा जो प्रचार शुरू किया गया था, वह चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सफलता के लिए था, न कि किसी खास उम्मीदवार के लिए?"

इस प्रश्न में यह स्पष्ट सुझाव है कि भले ही चुनाव प्रचार 14 जनवरी 1971 को शुरू हुआ था, जैसा कि इस गवाह ने बताया है, यह कांग्रेस पार्टी की सफलता के लिए था, न कि किसी खास उम्मीदवार के लिए। इसके अलावा, इस गवाह के बयान की पुष्टि रेन कुमार सिंह (P.W. 31) के सबूतों से होती है। इन परिस्थितियों के संदर्भ में, श्री उमा शंकर यादव एडवोकेट की गवाही पर भरोसा करने में कोई जोखिम नहीं लगता है, भले ही वह एक पक्षपाती गवाह हों।

श्री राम कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 42) ने बयान दिया कि 14 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर के नेतृत्व में कारों का एक बेड़ा (काफिला) रवाना हुआ था, यह जुलूस पूरे शहर में घूमा और यह प्रचार किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (उत्तरदाता सं. 1) चुनाव लड़ रही हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले अवसर पर किया था और आगे यह कि उन्हें विजयी बनाया जाना चाहिए। जिरह के दौरान उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि वाहनों पर "इंदिरा जी को वोट दो" दर्शाने वाला कोई बैनर नहीं था और केवल "इंदिरा कांग्रेस को जिताओ" का प्रचार किया जा रहा था। उनके बयान का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है :

"यह कहना गलत है कि, उन वाहनों में से किसी पर 'इंदिरा जी को वोट दो' कहने वाला कोई बैनर नहीं था। यह कहना भी गलत है कि केवल 'इंदिरा कांग्रेस को जिताओ' का प्रचार किया जा रहा था।"

अतः यह स्पष्ट होता है कि, राम कुमार सिंह की जिरह में भी यह बात नहीं रखी गई थी कि 14 जनवरी 1971 को कारों का बेड़ा निकालने के संबंध में उनके द्वारा दिया गया बयान मूलतः असत्य था। इसके विपरीत, जिरह का झुकाव यह था कि भले ही कारों या जीपों का काफिला निकाला गया था, लेकिन उन कारों और जीपों से किया गया एकमात्र प्रचार यह था कि 'इंदिरा कांग्रेस' को सफल बनाया जाना चाहिए, न कि स्वयं 'इंदिरा जी' को सफल बनाया जाना चाहिए। जिरह का स्वरूप ऐसा होने के कारण, राम कुमार सिंह द्वारा शपथ पर दिए गए बयान को स्वीकार करने से इनकार करने का कोई ठोस औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने निश्चित रूप से यह तर्क दिया कि, राम कुमार सिंह 'संगठन कांग्रेस' के सदस्य हैं और उन्होंने चुनाव में याचिकाकर्ता के लिए काम किया था। सच है, ऐसा ही है। हालाँकि, तथ्य यह है कि राम कुमार सिंह से की गई जिरह के स्वरूप को देखते हुए, वह परिस्थिति इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि, 14 जनवरी 1971 को यशपाल कपूर के नेतृत्व में शहर में कारों का काफिला निकालने के बारे में राम कुमार सिंह द्वारा दिया गया बयान झूठ है।

याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के समर्थन में कि 14 जनवरी 1971 को श्री यशपाल कपूर द्वारा कारों का एक बेड़ा निकाला गया था, ... के 22.01.1971 के अंक में प्रकाशित समाचार पर भी भरोसा किया। चूँकि, जिस व्यक्ति ने संबंधित समाचार की रिपोर्ट की थी, उसकी जाँच (गवाही) नहीं की गई है, इसलिए इसे पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में भी मानना बहुत सुरक्षित नहीं हो सकता है। तदनुसार, मैं उस समाचार को विचार में नहीं लूँगा।

प्रत्यर्थी की ओर से, श्री यशपाल कपूर (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 32) की एकमात्र गवाही है, जिन्होंने कहा कि उन्होंने 14 जनवरी 1971 को शहर में कारों का कोई बेड़ा नहीं निकाला था। हालाँकि, मैं पहले ही श्री यशपाल कपूर के साक्ष्यों

पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ ..... और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं हैं। तदनुसार, मेरा यह निष्कर्ष है कि श्री यशपाल कपूर का साक्ष्य, श्री उमाशंकर यादव (अभियोजन साक्षी सं. 41) और राम कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 42) के साक्ष्यों का खंडन करने में विफल रहे हैं।

श्री उमाशंकर यादव (अभियोजन साक्षी सं. 41) और राम कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 42) के साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि 14 जनवरी 1971 को उत्तरदाता संख्या 1 (प्रतिवादी) के प्रचार के लिए कारों और जीपों का एक बड़ा काफिला जुलूस के रूप में निकाला गया था और श्री यशपाल कपूर उससे जुड़े हुए थे।

इसके बाद यह आरोप लगाया गया है कि 17 जनवरी 1971 को रायबरेली के क्लॉक टॉवर (घंटाघर) पर एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें श्री चंद्रशेखर और श्री यशपाल कपूर (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 32) ने भाग लिया था। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा जिस मौखिक साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, उसमें श्री राम कुमार दीक्षित उर्फ फक्कड़ (अभियोजन साक्षी सं. 31) और राम कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 42) के बयान शामिल हैं।

राम कुमार दीक्षित उर्फ फक्कड़ (अभियोजन साक्षी सं. 31) ने इस बिंदु पर बोलते हुए बयान दिया कि, श्री यशपाल कपूर भी बैठक में उपस्थित थे, हालांकि उन्हें यह याद नहीं था कि उन्होंने बैठक में कोई भाषण दिया था या नहीं। गवाह ने आगे कहा कि नारों में श्री यशपाल कपूर के खिलाफ कुछ उत्तेजना और नाराजगी व्यक्त की गई थी। उन्होंने 23 जनवरी 1971 के 'वीर बैसवाड़ा' के अंक में छपी उस बैठक से संबंधित समाचार मद (प्रदर्श.69) को सिद्ध किया। उन्होंने बयान दिया कि 'वीर बैसवाड़ा' के रिपोर्टर के रूप में उन्होंने स्वयं उस समाचार मद की रिपोर्ट भेजी थी। समाचार मद (प्रदर्श. 69) में यह उल्लेख है कि 17 जनवरी 1971 को रायबरेली के क्लॉक टावर के चौराहे पर आयोजित प्रतिवादी नंबर 1 की चुनावी बैठक में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसे श्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया था, जब कुछ युवाओं ने श्री यशपाल कपूर के खिलाफ कुछ आरोप लगाए और उसके बाद नारेबाजी की। मैंने 7 जनवरी 1971 को मुंशीगंज में श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में श्री राम कुमार दीक्षित द्वारा पहले दिए गए बयान पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वह एक विश्वसनीय गवाह हैं। इसके अलावा, 17 जनवरी 1971 को हुई बैठक के बारे में श्री राम कुमार दीक्षित द्वारा दिया गया बयान समाचार मद (प्रदर्श.69) द्वारा समर्थित है, जो 23 जनवरी 1971 को 'वीर बैसवाड़ा' में प्रकाशित हुआ था। वास्तव में, यह नहीं कहा जा सकता कि 'वीर बैसवाड़ा' का यह अंक चुनावी बैठक के उद्देश्यों के लिए बाद में तैयार किया गया था। यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि, श्री राम कुमार दीक्षित द्वारा दिए गए बयान के अनुसार चुनावी बैठक होने के तथ्य को प्रतिवादी की ओर से गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी, जैसा कि जिरह में राम कुमार दीक्षित से पूछे गए निम्नलिखित प्रश्न से प्रतीत होता है :-
"मैं आपके सामने यह बात रखता हूँ कि, यह बैठक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।"

यह प्रश्न इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि, याचिकाकर्ता के आरोप के अनुसार बैठक वास्तव में हुई थी। इन सभी कारणों से, मुझे राम कुमार दीक्षित उर्फ फक्कड़ (अभियोजन साक्षी सं. 31) की गवाही पर भरोसा करने से इनकार करने का कोई भी औचित्य नज़र नहीं आता।

राम कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 42) के साक्ष्य पर आते हुए, उन्होंने बयान दिया कि 17 जनवरी 1971 को रायबरेली के क्लॉक टावर में एक चुनावी बैठक बुलाई गई थी और जब श्री यशपाल कपूर उस बैठक में भाषण देना चाहते थे, तो छात्रों द्वारा कुछ व्यवधान उत्पन्न किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह ऐसा नहीं कर सके और फिर बैठक को श्री चंद्रशेखर द्वारा नियंत्रित किया गया। श्री चंद्रशेखर के भाषण का उल्लेख करते हुए गवाह ने कहा कि, उन्होंने अपने भाषण में प्रतिवादी नंबर 1 के लिए समर्थन मांगा था। यह सच है कि राम कुमार सिंह कांग्रेस पार्टी के एक कट्टर कार्यकर्ता हैं (o) और उन्होंने 1971 में हुए चुनाव में याचिकाकर्ता के लिए भी काम किया था। हालाँकि, इस तथ्य को देखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से बैठक के होने के तथ्य को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है, जैसा कि आर.के. दीक्षित (अभियोजन साक्षी सं. 31) से पूछे गए पहले उल्लेखित प्रश्न से स्पष्ट है, और आगे इस तथ्य को देखते हुए कि राम कुमार सिंह के साक्ष्य को आर.के. दीक्षित के साक्ष्य और 23 जनवरी 1971 के 'वीर बैसवाड़ा' के अंक में प्रकाशित समाचार मद

(प्रदर्श.69) द्वारा पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, मुझे राम कुमार सिंह के साक्ष्य पर भी भरोसा करने में कोई जोखिम नहीं दिखता।

प्रतिवादी ने खंडन में श्री विमल चंद द्विवेदी (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 18) और श्री यशपाल कपूर (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 32) का परीक्षण किया। श्री विमल चंद द्विवेदी ने स्वीकार किया कि रायबरेली के क्लॉक टावर पर एक बैठक हुई थी, जिसे श्री चंद्रशेखर ने संबोधित किया था। हालाँकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि उस बैठक में श्री यशपाल कपूर उपस्थित नहीं थे। उनकी जिरह के अवलोकन से पता चलता है कि वह बिल्कुल भी सच्चे गवाह नहीं हैं। उन्होंने कहा कि श्री चंद्रशेखर द्वारा संबोधित बैठक चुनावी बैठक नहीं थी। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि जिरह के दौरान श्री आर.के. दीक्षित (अभियोजन साक्षी सं. 31) के सामने यह पक्ष रखा गया था कि वह बैठक एक चुनावी बैठक थी, भले ही उस बैठक में प्रचार किसी विशेष उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि एक पार्टी के रूप में कांग्रेस के लिए किया जा रहा था। इसलिए, श्री विमल चंद द्विवेदी द्वारा इसके विपरीत दिए गए बयान को गलत मानकर खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, श्री द्विवेदी इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि श्री यशपाल कपूर ने 7 जनवरी 1971 को रायबरेली का दौरा नहीं किया था, जबकि यह एक ऐसा तथ्य है जिसे स्वयं श्री यशपाल कपूर ने स्वीकार किया है। उनकी जिरह में यह भी निकलकर आया कि इस गवाह के भाई फिरोज गांधी कॉलेज में व्याख्याता हैं और श्री यशपाल कपूर कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उसी प्रभाव के तहत बयान दिया। वह प्रभाव इतना अधिक था कि उन्होंने स्वीकृत तथ्यों को भी नकार दिया, जैसे कि श्री यशपाल कपूर ने 7 जनवरी 1971 को श्री गुलजारी लाल नंदा के साथ रायबरेली का दौरा किया था। जाहिर है, ऐसे गवाह के साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। जहाँ तक श्री यशपाल कपूर का सवाल है, मैंने पहले ही उनके साक्ष्य पर विस्तार से विचार किया है और उन्हें विश्वसनीय गवाह नहीं पाया है। प्रतिवादी की ओर से कोई अन्य साक्ष्य न होने के कारण, श्री आर.के. दीक्षित (अभियोजन साक्षी सं. 31) और राम कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 42) के साक्ष्य का खंडन नहीं हो पाया है। उस साक्ष्य के आधार पर, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि 17 जनवरी 1971 को रायबरेली के क्लॉक टावर पर प्रतिवादी नंबर 1 की एक चुनावी बैठक आयोजित की गई थी और श्री यशपाल कपूर ने उस बैठक में भाग लिया था।

अगला आरोप यह है कि 19 जनवरी 1971 को भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह और श्री यशपाल कपूर ने निहस्ता गांव में एक बैठक को संबोधित किया और उन भाषणों में उन्होंने अन्य बातों के अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा। यह सच है कि राज किशोर सिंह जनसंघ पार्टी से संबंधित हैं और उन्होंने निहस्ता मतदान केंद्र पर याचिकाकर्ता के चुनावी काम की देखभाल की थी। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण है कि राज किशोर सिंह की जिरह में उनसे एक प्रश्न पूछा गया था, जो इस प्रकार है :-
"मेरा सुझाव यह है कि, श्री यशपाल कपूर ने केवल इतना कहा था कि हमें प्रतिवादी नंबर 1 के नेतृत्व और कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए।"

उपरोक्त प्रश्न में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति निहित है कि, श्री यशपाल कपूर न केवल प्रोफेसर शेर सिंह के साथ मौजूद थे, जब उन्होंने 19 जनवरी 1971 को निहस्ता में बैठक को संबोधित किया था, बल्कि यह भी कि उन्होंने भाषण भी दिया था। जो कुछ तर्क देने की कोशिश की गई वह यह थी कि भाषण में प्रचार प्रतिवादी नंबर 1 के लिए नहीं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 1 के नेतृत्व और पार्टी के लिए किया गया था। अब, एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने 29 दिसंबर 1970 को रायबरेली से उम्मीदवार के रूप में खुद को पेश कर दिया था, तो मतदाताओं से प्रतिवादी के नेतृत्व या एक पार्टी के रूप में कांग्रेस के लिए समर्थन मांगने का मतलब निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवादी नंबर 1 के लिए समर्थन मांगने के अलावा और कुछ नहीं था। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त प्रश्न में इस आशय की कोई स्वीकारोक्ति नहीं है कि, श्री यशपाल कपूर 19 जनवरी 1971 को निहस्ता में उपस्थित थे या उन्होंने कोई भाषण दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि उपरोक्त प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि, उस स्तर तक यह जानने का कोई साधन नहीं था कि श्री यशपाल कपूर वास्तव में बैठक में उपस्थित थे या नहीं। दूसरे शब्दों में, यह केवल एक टटोलने वाला प्रश्न था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई यह व्याख्या मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता को एक से अधिक पैरोकारों द्वारा निर्देश दिए जाने का लाभ प्राप्त था। उनमें से एक, श्री जगपत दुबे हमेशा विद्वान अधिवक्ता के बगल में मौजूद रहते थे। इसके अलावा, श्री यशपाल कपूर प्रतिवादी नंबर 1 के चुनाव एजेंट के अलावा और कोई नहीं थे। इन परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी जाने वाली व्याख्या केवल एक बाद का विचार प्रतीत होती है।

राज किशोर सिंह (अभियोजन साक्षी) के साक्ष्य में एकमात्र कमी यह है कि उनके अनुसार प्रोफेसर शेर सिंह ने 19 जनवरी 1971 को निहस्ता गांव का दौरा किया था, जबकि दौरा कार्यक्रम (प्रदर्श. 47) के अनुसार उन्हें 18 जनवरी 1971 को उस गांव का दौरा करना चाहिए था। हालांकि, मैं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि, राज किशोर सिंह का इस मामले में तीन साल से अधिक के अंतराल के बाद गवाह के रूप में परीक्षण किया गया था। इसके अलावा, प्रोफेसर शेर सिंह दोनों तारीखों पर जिले के भीतर मौजूद थे। इसलिए राज किशोर सिंह के बयान में तारीख की गलती समय बीतने और उसके परिणामस्वरूप उनके मन में उत्पन्न भ्रम के कारण हो सकती है। राज किशोर सिंह के साक्ष्य को उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

अतः मुझे राज किशोर सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 26) की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं दिखता।

राज किशोर सिंह के साक्ष्य का खंडन करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 1 ने जगन्नाथ प्रसाद (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 16) और कृष्ण दत्त पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 17) का परीक्षण किया।

जगन्नाथ प्रसाद (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 16) ग्राम निहस्ता के निवासी हैं। कृष्ण दत्त पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 17) वर्ष 1971 के दौरान उप-डाकघर, निहस्ता में उप-पोस्टमास्टर थे। उन दोनों ने गवाही दी कि प्रोफेसर शेर सिंह ने उप-डाकघर के टेलीफोन एक्सचेंज अनुभाग का दौरा किया था। उनके द्वारा आगे यह भी कहा गया कि, श्री यशपाल कपूर उक्त उद्घाटन समारोह में उपस्थित नहीं थे। उनके साक्ष्य को इस सरल कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि, यह प्रतिवादी संख्या 1 के उस पक्ष के साथ असंगत है, जो जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से राज किशोर सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 26) के सामने रखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि काफी देर के चरण तक प्रतिवादी संख्या 1 का इरादा उप-डाकघर में टेलीफोन एक्सचेंज अनुभाग के उद्घाटन के संबंध में निहस्ता में हुए समारोह में श्री यशपाल कपूर की उपस्थिति से इनकार करने का नहीं था और केवल तभी जब प्रतिवादी ने अपना बचाव शुरू किया, तब इस तथ्य को नकारने का निर्णय लिया गया। वास्तव में, किसी भी पक्ष के लिए अपने मामले को पुख्ता करने के लिए एक या दो गवाह ढूंढना कभी भी कठिन नहीं होता, चाहे वह सच हो या झूठ।

इसलिए, जगन्नाथ प्रसाद (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 16) और कृष्ण दत्त पांडे (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 17) के साक्ष्य की तुलना में राज किशोर सिंह के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, मैं यह मानता हूँ कि श्री यशपाल कपूर निहस्ता में उपस्थित थे जब प्रोफेसर शेर सिंह ने वहां टेलीफोन एक्सचेंज अनुभाग का उद्घाटन किया था और श्री यशपाल कपूर ने उस अवसर पर एक भाषण दिया था, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली थीं और लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए।

आगे यह आरोप लगाया गया है कि, 19 जनवरी 1971 को प्रोफेसर शेर सिंह और श्री यशपाल कपूर ने लालगंज में आयोजित एक बैठक में भाग लिया और उक्त बैठक में श्री यशपाल कपूर ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और लोगों को उन्हें सफल बनाना चाहिए। उपरोक्त तथ्य के प्रमाण में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एकमात्र साक्ष्य श्री गिरीश नारायण पांडे (अभियोजन साक्षी सं. 30) का है। हालांकि, श्री गिरीश नारायण पांडे ने जिरह में स्वीकार किया कि वर्ष 1971 के दौरान वह जनसंघ पार्टी के कार्यकर्ता थे और जिस वर्ष अदालत में उनकी जांच की गई थी, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि, उन्होंने चुनाव में याचिकाकर्ता का सक्रिय रूप से समर्थन किया था और उनके लिए गणना एजेंट के साथ-साथ पोलिंग एजेंट के रूप में भी काम किया था। इसलिए, वह एक पक्षपाती गवाह हैं। गिरीश नारायण पांडे के साक्ष्य की पुष्टि के लिए कोई अन्य साक्ष्य न होने के कारण, उनकी गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।

उत्तरदाता ने गिरीश नारायण पांडेय के साक्ष्यों का खंडन करने के लिए अब्दुल जब्बार (प्रतिरक्षा साक्षी सं.25),

फतेह बहादुर सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी सं.26), ईश्वर चंद (प्रतिरक्षा साक्षी सं.27) और रणजीत सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी सं.28) का परीक्षण किया। हालाँकि, इस तथ्य को देखते हुए कि मैंने गिरीश नारायण पांडेय के अकेले साक्ष्य पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं समझा है, उत्तरदाता संख्या 1 के उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य का विस्तार से उल्लेख करना अनावश्यक है। तदनुसार मेरा यह निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि श्री यशपाल कपूर ने 19 जनवरी 1971 को लालगंज में कथित प्रकृति का कोई भाषण दिया था।

आगे यह आरोप लगाया गया है कि 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में टेलीफोन एक्सचेंज अनुभाग का उद्घाटन समारोह हुआ था और उस संबंध में प्रोफेसर शेर सिंह, श्री यशपाल कपूर के साथ बेहटा कलां गांव गए थे। यह भी आरोप है कि उस अवसर पर श्री यशपाल कपूर ने एक भाषण दिया था जिसमें कहा गया था कि उत्तरदाता संख्या 1 रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी और लोगों को उन्हें सफल बनाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने पंडित शशांक मिश्रा (अभियोजन साक्षी सं. 32) का परीक्षण किया, जिन्होंने उपरोक्त आरोप के समर्थन में बयान दिया।
उत्तरदाता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पंडित शशांक मिश्रा के पिता जनसंघ कार्यसमिति के सदस्य हैं और वर्ष 1971 के दौरान वह स्वयं याचिकाकर्ता के पोलिंग एजेंट थे। यह सच है कि पंडित शशांक मिश्रा ने स्वयं अपनी जिरह के दौरान उपरोक्त दोनों तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। हालाँकि, यह एक बार फिर ध्यान देने योग्य है कि पंडित शशांक मिश्रा (अभियोजन साक्षी सं. 32) के सामने रखे गए मामले में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया प्रतीत होता है कि, श्री यशपाल कपूर न केवल 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में हुए उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे, बल्कि उन्होंने कुछ भाषण भी दिया था। यह उनसे पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों से स्पष्ट होता है :-

"प्रश्न: मैं आपके सामने यह बात रखता हूँ कि जैसे ही श्री यशपाल कपूर ने बोलना शुरू किया, वहां उत्तेजना और हंगामा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सभा में कोई भी व्यक्ति वह नहीं सुन सका, जो श्री यशपाल कपूर द्वारा कहा जा रहा था।"

उत्तर: यह गलत है।

प्रश्न: मैं आपके सामने यह बात रखता हूँ कि, श्री यशपाल कपूर ने रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उत्तरदाता संख्या 1 की उम्मीदवारी के संबंध में कुछ नहीं कहा और उन्होंने केवल सामान्य रूप से कांग्रेस को दी जाने वाली सहायता के लिए अपील की।

उत्तर: यह गलत है।

उत्तरदाता संख्या-1 के विद्वान अधिवक्ता ने इन प्रश्नों को पूछने के लिए फिर से वही स्पष्टीकरण दिया जो जिरह में राज किशोर सिंह (अभियोजन साक्षी सं. 26) को दिए गए सुझाव के संबंध में दिया गया था। मैं उस स्तर पर पहले ही कह चुका हूँ कि, वह स्पष्टीकरण बिल्कुल भी उचित नहीं है। पंडित शशांक मिश्रा से पूछे गए उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में उत्तरदाता संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए जाने वाले स्पष्टीकरण पर मेरा वही उत्तर है। उस स्थिति में, यह स्वीकार करना होगा कि, श्री यशपाल कपूर 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में उपस्थित थे, जब प्रोफेसर शेर सिंह ने वहां टेलीफोन एक्सचेंज अनुभाग का उद्घाटन किया था और उन्होंने उस अवसर पर एक चुनावी भाषण दिया था। मेरे पहले के निष्कर्ष को देखते हुए कि, उस समय तक उत्तरदाता संख्या 1 ने रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से खुद को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर दिया था, यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री यशपाल कपूर द्वारा दिए गए चुनावी भाषण में उन्होंने उत्तरदाता संख्या 1 के लिए समर्थन मांगा होगा, जैसा कि, पंडित शशांक मिश्रा ने गवाही दी है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने शेषांक मिश्रा के साक्ष्यों का खंडन करने के लिए शीतला बक्स सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी सं. 14) और रघुपति बहादुर सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी सं.15) का परीक्षण किया। संभवतः, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने बचाव में तीन व्यक्तियों का परीक्षण करने का एक कारण यह था कि शेषांक मिश्रा (अभियोजन साक्षी) ने एक नोटिस (प्रदर्श 74) दाखिल किया था, जिसके बारे में कहा गया था कि वह 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में हुई बैठकों के संबंध में जनता को जारी किया गया था। इस नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया था कि प्रधानमंत्री के निजी

सचिव श्री यशपाल कपूर भी उस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यह नोटिस गुप्त सिंह (विधायक) के अलावा शीतला बक्स सिंह और रघुबंश बहादुर सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी) के हस्ताक्षरों के तहत जारी किया गया था। इन दोनों गवाहों ने गवाही दी कि प्रोफेसर शेर सिंह ने 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया था। हालांकि, उन्होंने उस अवसर पर श्री यशपाल कपूर की उपस्थिति से इनकार किया। लेकिन, जिरह के दौरान शेषांक मिश्रा के सामने रखे गए स्पष्ट मामले को देखते हुए, जिसमें 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में हुए कार्यों में श्री यशपाल कपूर की उपस्थिति स्वीकार की गई थी, शीतला बक्स सिंह और रघुबंश बहादुर सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी) के उस समारोह में उनकी उपस्थिति से इनकार करने वाले बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

अतः मैं यह पाता हूँ कि श्री यशपाल कपूर ने 19 जनवरी 1971 को बेहटा कलां में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने चुनाव में प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्मीदवारी के लिए समर्थन मांगा था।

अंतिम आरोप यह है कि 18 जनवरी 1971 को प्रोफेसर शेर सिंह ने रायबरेली में डाकघर के नए भवन की आधारशिला रखी थी और वहां आयोजित समारोह में श्री यशपाल कपूर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के समर्थन में प्रचार करते हुए भाषण दिया था। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया गया एकमात्र साक्ष्य उमाशंकर यादव (अभियोजन साक्षी सं.41) का है। उनके बयान के अवलोकन से पता चलता है कि जहां उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह द्वारा रायबरेली के डाकघर भवन के शिलान्यास समारोह के बारे में गवाही दी, वहीं उन्होंने उस समारोह में न तो श्री यशपाल कपूर की उपस्थिति के बारे में और न ही उनके द्वारा दिए गए किसी भाषण के बारे में गवाही दी। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि उस आरोप के समर्थन में याचिकाकर्ता की ओर से कोई साक्ष्य नहीं है और वह आरोप सिद्ध नहीं होता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि, जब तक इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश संबंधित सरकारी कर्मचारी को सूचित नहीं किया जाता, तब तक इस्तीफा प्रभावी नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि, प्रत्यर्थी को भी यह विवादित नहीं है कि, श्री यशपाल कपूर ने 1 फरवरी 1971 से उनके लिए चुनाव कार्य करना शुरू कर दिया था। यह आग्रह किया गया था कि, श्री यशपाल कपूर का इस्तीफा 6 फरवरी 1971 को गजट में प्रकाशित होने के कारण, यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि, यह उसी तारीख को श्री यशपाल कपूर को सूचित किया गया था और उसी तारीख से यह प्रभावी हुआ। इस तर्क के आधार पर, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि 1 फरवरी 1971 से 6 फरवरी 1971 के बीच श्री यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त करने का प्रत्यर्थी संख्या 1 का कार्य भी 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम' की धारा 123(7) के तहत एक भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।

हालाँकि, मैंने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के राज कुमार बनाम भारत संघ (ए. आई. आर.1969 सुप्रीम कोर्ट 180) के फैसले के आधार पर यह माना है कि इस्तीफा उस तारीख से प्रभावी होता है, जिस दिन इसे स्वीकार किया जाता है और संबंधित सरकारी सेवक को इसकी औपचारिक सूचना देना आवश्यक नहीं है। जैसा कि पहले भी कहा गया है, श्री यशपाल कपूर का इस्तीफा स्वीकार करने का आदेश 25 जनवरी 1971 को पारित किया गया था, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना से स्पष्ट है। इसलिए, श्री यशपाल कपूर उस तारीख से सरकारी सेवक नहीं रहे। परिणामस्वरूप, 25 जनवरी 1971 और 6 फरवरी 1971 के बीच की अवधि के दौरान श्री यशपाल कपूर द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के लिए किए गए किसी भी कार्य के आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 को भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अतः, मुद्दा संख्या 1 (पहला सेट) और अतिरिक्त मुद्दा संख्या 1 पर मेरा निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 7 जनवरी 1971 से 24 जनवरी 1971 की अवधि के दौरान श्री यशपाल कपूर की सहायता प्राप्त की और जुटाई, जब श्री यशपाल कपूर अभी भी भारत सरकार की सेवा में एक राजपत्रित अधिकारी थे और प्रधानमंत्री सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर तैनात थे; और इसके चलते प्रतिवादी संख्या 1 अधिनियम की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण की दोषी हैं।

आदेश

चुनाव याचिका :-

मुद्दा संख्या 3 (पहला सेट), मुद्दा संख्या 1 (पहला सेट), अतिरिक्त मुद्दा संख्या 1, अतिरिक्त मुद्दा संख्या 2 और अतिरिक्त मुद्दा संख्या 3 पर मेरे निष्कर्षों को देखते हुए, यह याचिका स्वीकार की जाती है और प्रतिवादी संख्या 1, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी का लोकसभा के लिए निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट (रायबरेली), पुलिस अधीक्षक (रायबरेली), अधिशासी अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी. रायबरेली) और अभियंता (पनबिजली विभाग, रायबरेली) की सहायता प्राप्त कर अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, जैसा कि मुद्दा संख्या 2 पर मेरे निष्कर्ष में दर्शाया गया है। उन्हें आगे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(7) के तहत एक और भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी श्री यशपाल कपूर, जो प्रधानमंत्री सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर थे, की सहायता प्राप्त की थी। तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 ए के प्रावधानों के अनुसार, इस आदेश की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

याचिकाकर्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से चुनाव याचिका का अपना खर्च प्राप्त करने का हकदार होगा। कार्यालय द्वारा न्यायालय के नियमों के अध्याय XVA के नियम 13 के अनुसार खर्चों की एक तालिका तैयार की जाएगी।

याचिका :-

जैसा कि मुद्दा संख्या 9 पर अपना निष्कर्ष दर्ज करते समय पहले ही बताया जा चुका है, याचिकाकर्ता लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश 1974 (1974 का संख्या XIII) या लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम संख्या 58) की संवैधानिकता की जांच के लिए तथ्यों पर कोई आधार प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है। तदनुसार, याचिका संख्या 3761 (1975) खारिज की जाती है। याचिका में पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

हस्ताक्षर/- जे.एम.एल. सिन्हा, न्यायमूर्ति
दिनांक :- 12.6.75

आभार अभिव्यक्ति

परम सम्मान के साथ, हम माननीय **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन कमेटी, उच्चतम न्यायालय** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से न्यायिक निर्णयों को आम जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराया जा सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के तत्वावधान में सुवास प्रकोष्ठ द्वारा **'ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'** एवं त्रैमासिक ई-पत्रिका **'न्यायाभा - न्याय की किरण'** के प्रकाशन के साथ ही **'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय'** का प्रकाशन किया जा रहा है। यह कड़ी न्यायिक एवं विधिक ज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बन रही है।

इस ई-पुस्तिका के प्रथम संस्करण में **ऐतिहासिक मुक़दमा चौरी चौरा**, द्वितीय संस्करण में **केशव सिंह प्रकरण**, तृतीय संस्करण में **आगरा षड्यंत्र केस**, एवं चतुर्थ संस्करण में **कानपुर बम षड्यंत्र प्रकरण** का प्रकाशन किया गया तथा यह पंचम संस्करण ऐतिहासिक **राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी प्रकरण** को समर्पित है।

इस अवसर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय **मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली** जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के माननीय अध्यक्ष **न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार जी**, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों की पुस्तिका के प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया और संपादक मंडल का कुशल नेतृत्व किया एवं समिति के सदस्यगण माननीय **न्यायमूर्ति श्री समीर जैन जी**, माननीय **न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान जी** एवं माननीय **न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह जी** का हृदय से धन्यवाद, जिनके दिशा-निर्देशन में यह प्रकाशन साकार हो रहा है। **श्री मंजीत सिंह श्योराण,** विद्वान महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रकाशन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

इस प्रकाशन को साकार बनाने और उनके अमूल्य योगदान के लिए, हम माननीय कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण के निजी सचिवगण तथा सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करने के साथ ही आशा करते हैं कि यह प्रकाशन न्यायिक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

संपादक मण्डल

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

संयुक्त निबंधक
श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक
श्री गोपाल सिंह बिष्ट (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी
सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी
सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, अमित कुमार पांडे, सुश्री प्रियंका गौतम, सुश्री आकृति मिश्रा, श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, श्री धरिन्द्र प्रताप, श्री मनीष कुमार सिंह, सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती अंजलि कुशवाहा

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)
सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
श्री राकेश कुमार

संपादक मण्डल

वरिष्ठ संपादक

श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विनय सरन, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री समीर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

संपादक मण्डल

श्री अजय चंद्र गुप्ता
श्री अनिल मिश्र
श्री आशीष सिंह
श्री अनिल गुप्ता
श्री आशीष कुमार
श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव
सुश्री अर्चना सिंह
श्री आशुतोष कुमार राय
श्री ईश शरन
सुश्री गौरी दूबे
श्री कार्तिकेय सिंह
श्री कुणाल शाह
सुश्री निधि वर्मा
श्री पंकज कुमार अस्थाना
सुश्री साधना सिंह
श्री श्रेयस श्रीवास्तव
सुश्री सिमरन यादव
सुश्री सोनाक्षी अरोरा
श्री विनायक वर्मा
श्री यावर मुख्तार

पदेन सदस्य

डॉ अनिल कुमार सिंह - II (उ.न्या.सेवा / समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मण्डल
श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री मनीष कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा
न्याय की किरण

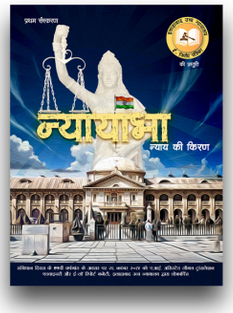

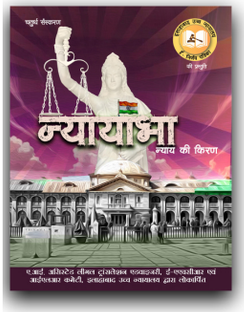

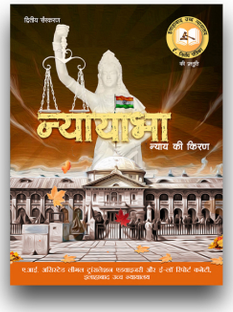

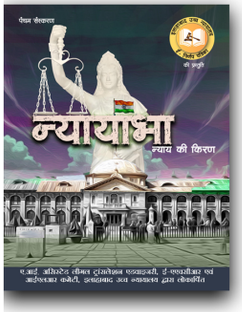

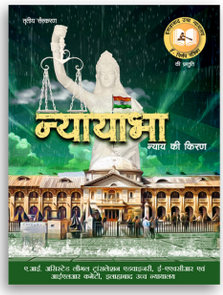

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

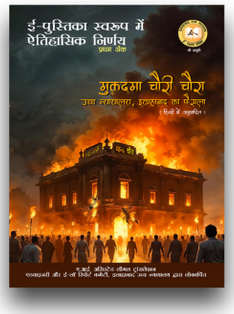

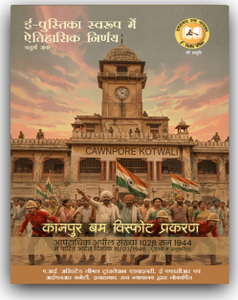

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं
आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित